खण्ड-321, अंक-7
शनिवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1898
(1 मई, 1976 ई0)

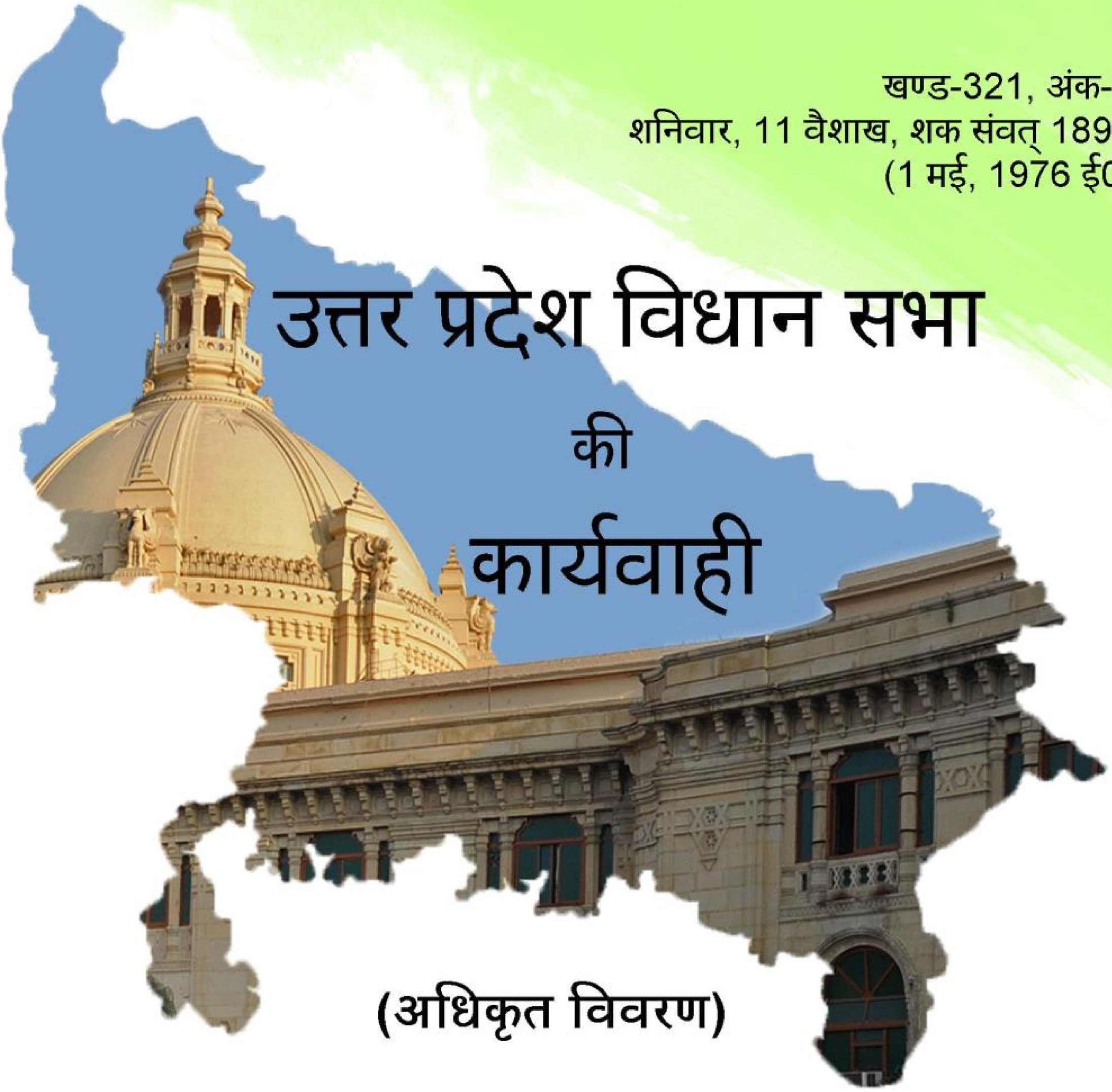

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	505–508
सदस्य विधान सभा, श्री बृजपाल सिंह यादव द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	508
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन (जारी)	508–520
सदस्य विधान सभा, श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विद्युत् मन्त्री का पत्र	520–521
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	521–541
अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 69—चिकित्सा परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	541–564
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	565

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 1 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 6 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—274

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री

जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नन्हेंलाल, श्री
नाथराम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरूषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री

मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरसिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

नोट—राज्य स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

सदस्य विधान सभा, श्री बृजपाल सिंह यादव द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज आपको यह सूचना देनी है कि श्री बृजपाल सिंह लोकपक्ष दल को छोड़कर निर्दलीय हो गए हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

12 महीने में सफाई हो जाएगी।

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—न्याय-प्रशासन

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 5,13,11,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप सभी अनुदानों को एक साथ रख दीजिए, आसानी होगी। माननीय ऊदल आप बतायें इसमें क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

हमारा तो खयाल यह था जो आपने सुझाव दिया कि एक ही साथ रख देते तो माननीय सदस्य जो चाहते, वह न्याय पर भी बोल देते और स्वास्थ्य पर भी बोल देते।

श्री प्रभुनारायण—

मुझे इसमें दिक्कत होगी। स्वास्थ्य को एक साथ रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री के हिसाब से विभाग रख दिया गया है। तो आप सब रख सकते हैं। जिसको बोलना होगा, वह न्याय पर, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर वह उस पर बोलेगा।

श्री प्रभुनारायण—

मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, पहले न्याय की बात रखनी है फिर स्वास्थ्य की बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझें।

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, इस अनुदान को रखते समय मैं कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र के अन्दर न्याय पंचायत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जो आज जनता के सिविल राइट्स हैं या उसी के साथ साथ क्रिमिनल आफेंसेज में अग्रीव्ड परसन्स को न्याय दिलाने की बात है, जब इसे मजबूती के साथ कम करने की बात नहीं होगी तब तक डिमोक्रेसी को ठीक तरह से चलाया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम 1976-77 में लीगल जस्टिस को ठीक तरह से चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 1974 में जितनी नई दन्ड प्रक्रिया बनी या उसमें संशोधन हुआ तो तब लगभग डेढ़ लाख के मुकदमें जुडीशियल मजिस्ट्रेटों की कोर्ट में थे जो बढ़ कर करीब 5 लाख के अब हैं। सेशन ट्रायल्स में भी जो 10,700 मुकदमें थे वह 25,616 हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमने यह उचित समझा कि आज मुकदमों का डिस्पोजल समय से कराने के लिए जिस तरह से जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड के सिद्धान्त को मानने के कारण हम चाहते हैं कि न्यायालयों की ऐसी व्यवस्था हो जिससे मुकदमों का फैसला शीघ्रता से किया जा सके। माननीय सदस्यगण यह कहेंगे कि मुकदमें इतने पेंडिंग हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के अलग होने के कारण जो सब्सटेंटिव ऐक्ट्स के केसेज एग्जीक्यूटिव के पास थे वह भी अब हाई कोर्ट के अन्दर चले आए। इसी के साथ-साथ जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमने लागू किया उसमें मामला अब सेशन कोर्ट को भेजने की अनिवार्यता कर दी गयी है। इसी तरीके से लोअर कोर्ट्स में भी इस उत्तर दायित्व को निभाने के लिए शासन ने 170 मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स पिछले वर्ष नियुक्त किए और लगभग 150 और अगले 3-4 महीनों में नियुक्त किए जायेंगे। उनका इन्टरव्यू हो चुका है और बाकी की सारी प्रोसेस चल रही है, 3-4 महीने के अन्दर ही 150 और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स नियुक्त हो जायेंगे। साथ ही हमारा यह प्रयास है कि 1976-77 में भी करीब 90 मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स के नए कोर्ट्स स्थापित किए जायं। इसके अलावा कुछ मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स को तरक्की दे कर एडिशनल सिविल ऐन्ड सेशन्स जज बनाने की बात हो रही है ताकि सेशन कोर्ट्स के मामले निपटाए जा सकें।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि 150 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति करनी है जिसमें से 68 की नियुक्ति हो चुकी है। दन्ड प्रक्रिया में संशोधन कर के स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स को प्रथम श्रेणी के अधिकार दे कर तथा क्षेत्राधिकार किसी एक जिले में सीमित न रख कर केसेज को निपटाने का निश्चय किया गया है। इससे यह है कि जो सेकेन्ड क्लास के मैजिस्ट्रेट्स पेटी अफेन्सेज का फैसला कर सकते थे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होने के बाद वे बड़े मुकदमों का भी फैसला कर सकेंगे। यह इसलिए किया गया कि मुकदमों का शीघ्र निपटारा कराया जा सके। इधर सिविल प्रोसीजर कोड की प्रथम अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन उच्च न्यायालय के परामर्श से हम शीघ्र करना चाहते हैं। साथ ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कुछ तब्दीली करना चाहते हैं। इस तरह आज हमारी कोशिश यह है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड को इतना सिम्पलीफाई करें जिससे कि मुकदमों के स्पीडी डिस्पोजल का काम अच्छी तरह से किया जा सके।

[श्री प्रभुनारायण]

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कानून लाने की बात सरकार की तरफ से की जाएगी। कानून लाने के सिलसिले में सोच विचार हो रहा है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्यायालय के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में निश्चय किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में इस प्रक्रिया के सिलसिले में ललितपुर, पौड़ी, तथा अल्मोड़ा में नया डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट कायम करने की बात है जहां पर कि पहले डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट नहीं थे। हापुड़, बलरामपुर, फिरोजाबाद, राबर्टसगंज और दुद्धी में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय का प्रबन्ध किया गया है। सैदपुर, गाजीपुर, चुनार, मिर्जापुर, हरिद्वार में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय शीघ्र स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है। मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट अब तहसील हेडक्वार्टर में चले जाएंगे। जिन तहसीलों में भवन उपलब्ध हैं वहां न्यायालय स्थापित करने का प्रयास बहुत तेजी से किया जाएगा और जहां भवन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं वहां मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट के भवन की बनवाने का कार्य किया जाएगा। ऐसी स्थिति में शासन ने निश्चय किया है कि ला एन्ड आर्डर के सिलसिले में, पुलिस प्रशासन के सिलसिले में, एस0 डी0 ओ0 या सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के मामले में या सिविल और क्रिमिनल फैसले के सिलसिले में हमारा जो डिसेंट्रलाइ-जेशन का काम हो सकता है, इसकी स्थित के मुताबिक आगे को बढ़ाते चले जायेंगे और तभी हम जाकर अपने अन्तिम ध्येय पर पहुंच सकते हैं।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्यायालयों की शक्ति को बढ़ाने में न्यायालय भवनों कि जो कमी है, उसको दूर करने के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि निर्माण कार्य के लिए रखी गयी है। जिन जिलों या तहसीलों में न्यायालयों की बहुत कमी है या वे खराब हालत में हैं, उनको प्राथमिकता देकर उनका निर्माण कार्य किया जाएगा। यह इसलिए करना पड़ा चूंकि कोर्ट रूम की कमी है और चूंकि तहसीलों में भी न्यायालय गया है और इधर दो वर्षों में जितने न्यायालय बढ़ाए गए हैं, उनके अनुसार जितने भवनों का निर्माण होना चाहिए था वह निर्माण नहीं हो पाया है। इस वर्ष न्यायालयों के निर्माण कार्य का प्रबन्ध तेजी से होने जा रहा है और 2 करोड़ रुपए का प्राविधान इस वर्ष किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद कार्यालय के विस्तार का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के हाते में पानी वगैरह की जो दिक्कत है उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। न्यायालय के जो हमारे अधिकारी हैं तथा जिनके रहने के लिए इलाहाबाद में कोई सरकारी मकान नहीं था, स्टेनले रोड पर उनके लिये मकान बनाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। उच्च न्यायालय में 40 स्थायी जज हैं और 7 जज अस्थायी हैं जिनमें 9 स्थान रिक्त हैं। जो 9 स्थान रिक्त हैं उनको शीघ्र भरने के लिए सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस समय उच्च न्यायालय में 1,08,917 वाद निर्णीत होने के लिए पड़े हैं और इसीलिए हमें यह चिन्ता है कि शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को कर दिया जाय जिससे इन मुकदमों के डिसीजन का काम आगे को बढ़ सके।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति है कि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में हिन्दी, जो इस प्रदेश की राज्य भाषा है, को प्रतिष्ठित किया जाय। अभी तक स्थिति यह है कि हाई कोर्ट के अन्दर कोई डिक्री, कोई आर्डर या जजमेन्ट हिन्दी में दिया जा सकता है लेकिन हिन्दी में देने के साथ-साथ उसकी सर्टिफाइड कापी अंग्रेजी वर्जन की लगाने की बात है। हमारी यह राय है कि जहां तक उसके साथ अंग्रेजी वर्जन लगाने का प्रश्न है, अंग्रेजी वर्जन लगाने की पद्धति खत्म होनी चाहिए और इसके साथ-साथ जब सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील में जाय तो उस समय जो पेपर तैयार होते हैं उस समय हिन्दी के जजमेंट को अंग्रेजी में प्रस्तुत कर दिया जाय, इसके लिए हम सोच विचार कर रहे हैं। मान्यवर, यह जो जजमेंट के साथ जोड़ने की पद्धति है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ मान्यवर, हाई कोर्ट का एफीडेविट का सवाल है, जहां तक बहस का सवाल है और जहां तक और बातों का सवाल है उसमें हिन्दी के पूरे प्रयोग के निर्णय हो चुके हैं

और उसमें कार्यवाही अच्छी तरह से चल रही है। इस मौके पर मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि नीचे की अदालतों में, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की अदालतों में 2 हजार रुपए के सिविल केसेज और 1 वर्ष की सजा के क्रिमिनल केसेज में फैसला हिन्दी में करना अनिवार्य है। लेकिन हम चाहते हैं और हाई कोर्ट से बातचीत कर रहे हैं कि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के यहां जो 3 साल के क्रिमिनल केसेज और 5 हजार रुपये के सिवलि कैसेज हों उन पर पूरा का पूरा फैसला हिन्दी में, सरल शब्दों में किया जाय। मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के यहां के सारे फैसले हिन्दी में हों इस सिलसिले में हम हाईकोर्ट से बातचीत कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेज के कोर्ट्स हैं उनमें वैकल्पिक रूप से हिन्दी या अंग्रेजी दोनों लागू हैं जिसमें चाहे फैसला कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेज के कोर्ट्स में हिन्दी की अनिवार्यता अपनी जगह पर जजमेंट के लिए कर दें। लेकिन हमारे सामने दिक्कतें हैं और साधनों की कमी है। ऐसी स्थिति में हम इस काम को करना चाहते हैं और इसके लिए हमने हाई कोर्ट और मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के कोर्ट्स से इस काम की शुरुआत अपनी जगह पर करने का निश्चय किया है। इस मौके पर म यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो गरीब लोग हैं उनको लीगल ऐड देने की बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में पहले भी निर्णय हो चुके हैं और केन्द्र का ध्यान इस ओर है। केन्द्र का बराबर जोर है कि पुअर लीगल ऐड का काम इस प्रदेश और देश के अन्दर कायदे के साथ, ढंग के साथ किया जाय। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुअर लीगल ऐड के सिलसिले में जो लोग हैं उनकी सहायता करने की कार्यवाही हम करना चाहते हैं और उसके लिए प्रान्तीय स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं। प्रान्तीय स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हर जिले में पुअर लीगल ऐड के काम को संयोजित करना चाहते हैं। पुअर लीगल ऐड के सम्बन्ध में एक निर्णय कर लिया है कि डिस्ट्रिक्ट जज या उनका नामिनी उसके अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही साथ बार काउन्सिल के प्रेसीडेन्ट, नेशनल फोरम आफ लाइयर्स को जिला ब्रांच का अध्यक्ष, इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन होंगे। पुअर लीगल एड कमेटी में, नेशनल फोरम आफ लाइयर्स की जिला ब्रांच के अध्यक्ष इस कमेटी के महामन्त्री होंगे। ऐसी स्थिति में हम जजेज के कोर्ट्स में एक पेटिका रखवाने का इन्तजाम कर रहे हैं जिसमें कि कोई गरीब आदमी अपनी दरख्वात देकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेगा। इसके लिये हमने वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट में 5 लाख रुपए का प्राविधान इस वर्ष के लिए किया है। हम इस 5 लाख रुपए से ही सन्तुष्ट नहीं हैं लेकिन जैसे ही काम व्यवस्थित ढंग से चलने लगेगा तो इस रकम को हम और बढ़ाने की सोच रहे हैं।

पुअर लीगल एड के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐक्ट्स जिन के अन्दर गरीबों को राहत दी गयी है और राहत देने के बाद अभी तक उनको वास्तव में जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पायी। अनटचेबिलिटी आफेन्सेस के अन्तर्गत जिन हरिजनों को सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती। एक एकड़ के किसान को एक तरफ ऋण माफ किया गया तो दूसरी तरफ उनको परेशान करने की कोशिश होती है और इस तरह आज आवश्यकता इस बात की है कि पुअर लीगल के कार्य को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाय। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमारे प्रदेश में थे उनकी तरक्की का कोई आधार नहीं रह गया था। उसके सिलसिले में इस वर्ष इस बात का प्रयास किया गया उनको एडीशनल सिविल एन्ड सेशन जज बनाने का कार्य किया जाय और 15 को तरक्की दी गयी हैं। उनको सिविल क्रिमिनल के अधिकार हैं और सिविल केसेज भी उनको मिलें इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। सिविल और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कैडर जो दोनों हाई कोर्ट के न हों और उनको ऐसी स्थिति में रखा जाय कि

[श्री प्रभुनारायण]

जिसमें सब सम्मान के साथ क्रिमिनल जस्टिस और सिविल जस्टिस का कार्य ठीक ढंग से चल सके।

श्रीमन्, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी बड़ी तहसीलें हैं जहां नोटरी की व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि हर बड़ी तहसील में नोटरी की व्यवस्था की जाय जिससे जनता को इस कार्य के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर न जाना पड़े।

श्रीमन्, इस समय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 में यह प्राविधान है कि कुछ छोटे प्रकार के मामलों में यदि अभियुक्त न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अर्थदन्ड देने को तैयार हो तो उसे न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और वह अपराध स्वीकार करते हुए प्रस्तावित धनराशि अर्थ दन्ड के रूप में डाक आदि से न्यायालय को भज दे। छोटे मामलों की परिधि में जितने प्रकार के वाद आते हैं उसकी परिधि को विस्तृत किए जाने के लिए शासन प्रयत्नशील है जिससे यह सुविधा अधिकाधिक मामलों में मिल सके और जिससे लम्बित मामलों की संख्या में भी कमी की जा सकेगी। इस पर भी हम काम कर रहे हैं अदालतों की ठीक तरीके से कार्यवाही हो सके इसके लिए फैसला किया कि जितने भी डी0 जी0 सी0 और ए0 जी0 सी0 इस समय हैं उसके लिए हाई कोर्ट के वकीलों को या सरकारी वकीलों को जिनके पास लिपिक और स्टेनों नहीं थे, उसका प्राविधान किया गया है। 100 या 150 रु0 उनके पद के अनुसार देने का निश्चय किया गया इसलिए दिया गया कि उनके कार्य में इफीशियन्सी आ सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों को स्टेनो नहीं मिलते हैं तो अब उसकी ओर स्टाइपेन्ड की व्यवस्था की गयी है। इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जुडीशियरी के सामने जो पेंडिग मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने की बात सरकार के सामने है और इसलिये आज शासन हाईकोर्ट के लेवेल पर एक मानेटरी सेल की स्थापना की है जिसमें हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरे कोर्ट के मुकदमों को देखा जा सकेगा। इस तरह से स्पीडी डिस्पोजल में कार्य हो रहा है कि नहीं इसे देखने के लिए उस मानेटरी सेल में हाई कोर्ट के जज और सरकारी लेवेल पर ला डिपार्टमेंट के लोग और हाई कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव जज को रखा गया है। शीघ्र से शीघ्र निपटारा किए जाने के सिलसिले में जो भी चुस्ती लाई जा सके उस हिसाब से काम किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को प्रस्तुत करता हूं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इसको पास करने में कोई दिक्कत हो।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

मान्यवर, इसके पहले कि मैं न्याय प्रशासम से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को मन्त्री जी के सामने रखूं मैं उनके द्वारा इस सदन में घोषित न्याय प्रशासन में चुस्ती लाने के सम्बन्ध में, गरीबों तक न्याय पहुंचाने के सम्बन्ध में और न्याय को सस्ता और प्रभावी तरीके से लागू करने के सम्बन्ध में जो भी उनकी नीतियां हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जितनी चिन्ता उनको और सरकार को न्याय के सम्बन्ध में है उसमें मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए कुछ मौलिक बातों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज हम इतिहास के जिस चौराहे पर खड़े हैं और सभ्यता की जिस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, उसमें न्याय प्रशासन का महत्व जितना कहा जाय उतना ही कम है। जन चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ-साथ न्याय प्रशासन की समस्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत जटिल होती जा रही है और ऐसे सन्दर्भ में हमें कुछ मौलिक चिन्तन की आवश्यकता है। मन्त्री जी ने कुछ प्रभावकारी तरीके अपनाने की घोषणा की है। लेकिन जिस न्याय प्रणाली को हम अपना रहे हैं, जिसके तहत आजादी के 27 वर्षों के बाद भी न्याय का प्रशासन चला रहे हैं क्या वही व्यवस्था लाजमी तौर पर चलानी होगी या उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं ?

मान्यवर, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने ला मिनिस्टर्स की कान्फरेन्स में कहा था कि हमें न्याय व्यवस्था में, जिसको हमने ब्रिटिश पद्धति के आधार पर ग्रहण किया है, यह इस रूप में बिल्कुल बकवास है और इसमें मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। आज देश के बदलते हुए सन्दर्भ में यह आवश्यकता और भी जोर पकड़ रही है। एक वकील होने के नाते मैंने कचहरी में बहुत नजदीक से देखा है कि जो वर्तमान व्यवस्था है वह हमारी परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। हम शुरूआत झूठ से करते हैं। हम जानते है कि एक व्यक्ति कसम खाकर झूठ बोलता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई आदमी सच कहे तो उसके आधार पर न्याय की शुरूआत करे। एक व्यक्ति जुर्म में सही फंसकर जाता है। लेकिन उसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनका मूल्यांकन नहीं किया जाता और यदि वह सच-सच कहे तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जायगा लेकिन किन परिस्थितियों में उसने जुर्म किया, उसकी मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या थीं, इसको मद्देनजर नहीं रखा जाता। अपराधों के अन्दर चाहे वे सिविल केसेज हों या क्रिमिनल केसेज हों उसमें जो व्यक्ति गवाही देता है, यह बहुत से केसेज में कसम खाकर झूठ बोलता है, इससे उसकी आत्मा पर चोट लगती है और आत्मा का हनन होता है। अभी इस सत्र के आरम्भ होने से पहले मैं एक फौजदारी का मुकदमा कर रहा था देहात का। एक बिलकुल ही बेपढ़ा लिखा आदमी था जो हज कर आया था। वह एक कत्ल के मामले में गवाह था और उसको कोर्ट के सामने गवाही देनी थी। जब उसको कसम दिलाई गई तो उसने जो कुछ उसको कहने के लिए सिखाया गया था उसको कहने से इन्कार कर दिया और यह कहा कि मैं हज करने के बाद झूठ नहीं बोल सकता हूं। आज करोड़ों इन्सान इन्हीं परिस्थितियों के अन्दर बाध्य किए जाते हैं कि वे झूठ बोलें। इस प्रकार से वे रोज ही अपनी आत्मा और ईमान का हनन करते हैं और जब उनका चरित्र गिरता है तो यह समस्या और भी जटिल होती जाती है। आज मौलिक सवाल तो यह है कि जो परम्परा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है उसमें मूलभूत परिवर्तन करें अथवा यह कि उसको अनन्त समय तक चलते रहने दें। इसके लिए इसमें मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे कि हमारा नैतिक और चारित्रिक पतन रुके।

हमारा उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहां की आबादी 10 करोड़ है। यहां पर पं0 जवाहर लाल नेहरू, पं0 मोती लाल नेहरू और सर तेज बहादुर सप्रू ऐसे कानूनदां लोग पैदा हुए हैं। साथ ही हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी यहां प्रमुख हाथ है। एक शुरूआत उत्तर प्रदेश के अन्दर यहां के न्याय प्रशासन में होनी चाहिए जो न्याय प्रशासन को एक मौलिक रूप दे सके और इस पुराने न्याय के ढांचे को बदलने की शुरूआत कर सके। आज देश के अन्दर जो परिपक्ष पैदा हुआ है सम्पत्ति और अधिकारों को लेकर। एक बहुत बड़ी मांग और जोर पकड़ती जा रही है हमारे मुल्क में और हमारे संविधान के अन्तर्गत कि सम्पत्ति के अधिकारों को कायम रखा जायगा या समाप्त किया जायगा। यह मांग केवल चन्द लोगों की ही नहीं है बल्कि यह करोड़ों लोगों की मांग है कि सम्पत्ति के अधिकारों को समाप्त करके एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। अभी मन्त्री जी ने कहा कि लाखों की तादाद में मुकदमें इस प्रदेश में पेंडिग हैं। सम्पत्ति से सम्बन्धित जो मुकदमें हैं उतने फौजदारी से सम्बन्धित मुकदमें नहीं है। अगर सम्पत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया जाय तो मुकदमों में कमी होगी यह निश्चित है। इस देश और प्रदेश में सम्पत्ति को आधार मानकर जितने झगड़े होते हैं तो जब सम्पत्ति का अधिकार ही समाप्त

[श्री देव कुमार यादव]

हो जाएगा तो जितने मुकदमे आज हैं उतने नहीं रहेंगे और मुकदमों में कमी आ जाएगी और इस प्रदेश की करोड़ों जनता को इससे राहत मिलेगी।

इसलिए मैं शासन से अपील करूंगा कि इस दिशा में कोई शीघ्र कदम उठाए जाएं। इस हाउस के जरिए कोई ऐसी प्रक्रिया सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने के लिए की जाय जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी। अभी मन्त्री जी ने कहा कि बहुत ज्यादा मुकदमें हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी समस्या है कि यहां की जनता को मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो और उसको न्याय भी मिले। माननीय मन्त्री जी ने तमाम सुधारों की बात कही लेकिन शायद जानबूझ कर उन्होंने कोर्ट फीस के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही। ला-कमीशन ने यह कहा था अपनी रिपोर्ट में कि सरकार अस्पतालों के अन्दर तन तथा मन की चोट के लिये मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था करती है लेकिन जब हमारे अधिकारों पर चोट लगती है तो उनको राहत देने के लिए, मरहम लगाने के लिए जब कोई कोर्ट जाता है और उसके पास कोर्ट फीस नहीं होती है तो अदालतों के किवाड़ नहीं खुलते। वगैर कोर्ट फीस लगाए हम अदालत में अपनी बात नहीं कह सकते। कोर्ट फीस की शरह जो 12 आने थी वह बढ़ कर डेढ़ रुपया हो गयी है। वकालत नामे की फीस, रिट पिटीशन और दावेनामे की फीस में बढ़ोत्तरी हुई है।

इस देश के अन्दर कर्जे से मुक्ति का कानून पास हुआ। जो काश्तकार एक, दो एकड़ का काश्तकार है वह समाज का निर्बल वर्ग समझा जाता है उसके लिए मुफ्त कानूनी राय का प्राविधान किया जायगा। लेकिन सवाल यह है कि यह गरीब कर्जा क्यों लेता है? गांव की जिन्दगी से जिसका परिचय है वह जानता है कि वहां का गरीब आदमी सब से ज्यादा मुकदमा लड़ता है। इस देश तथा प्रदेश के किसी भी हिस्से का अगर सर्वेक्षण कराया जायगा तो ज्ञात होगा कि सभी जगह मुकदमेबाजी होती है और गांव में सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी लड़ने वाले वे लोग हैं जिनके पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, किराए के लिए पैसा नहीं और फटेहाल होते हुए भी दोपहरी में डामर की सड़क पर नंगे पैर बिना किसी खाने व भोजन के कचेहरी मुकदमा लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और कर्ज लेकर, घर बेच कर, गहने गिरवीं रख कर वे मुकदमा लड़ते हैं और तबाह हो जाते हैं। न्याय व्यवस्था बहुत पवित्र तथा महत्वपूर्ण काम है। इस मुल्क में तथा सारी दुनिया में इन्सानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अदालतों को गार्जियन एजिल्स कहा जाता है लेकिन अगर इन तक पहुंचने के लिए पैसे की दीवार खड़ी रहेगी तो कल्याणकारी समाज की जो भावना है वह पूरी नहीं हो सकती। अगर न्याय को मुफ्त नहीं दिलाया जा सकता जो कोर्ट फीस को घटाने का प्राविधान किया जाय। मेरे जिले में डेढ़ रुपए का टिकट उपलब्ध नहीं था लिहाजा तीन रुपए का टिकट लगाना पड़ता था; और शायद सरकार के आदेशानुसार जिलों में कोर्ट फीस के टिकट के साथ-साथ दो रुपए का लाटरी का टिकट भी बेचा जा रहा है और लाटरी का टिकट न लेने पर कोर्ट फीस का टिकट मिलने में दिक्कत होती है जिससे गरीब आदमी को न्याय मिलने में अवरोध उत्पन्न हो गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सस्ते न्याय का प्राविधान किया जाय।

तीसरी बात जिसे माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है और बहुत खुशी है कि आपने काफी अदालतें बढ़ाई हैं। वह न्याय जैसा कि हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अब समय आ गया है जब कि न्याय पाने वालों को अदालतों के पास नहीं जाना पड़ेगा बल्कि अदालतों को न्याय पाने वालों के पास पहुंचना चाहिए। इनका वर्गीकरण होना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर प्रदेशीय सरकार ने न्यायालयों के वर्गीकरण की व्यवस्था की है। इसकी वजह से जनता को काफी राहत मिलेगी। जनता को आने-जाने और किराए भाड़े की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी साथ ही शहर के अन्दर ठहरने आदि की समस्या भी दूर हो जाएगी। इस पद्धति में भी कुछ दिक्कतें हैं जिसका अहसास माननीय मन्त्री

जी ने स्वयं भी किया है—आवास की समस्या। जब से कोर्ट्स तहसीलों में चली गई हैं उनके मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के सामने भी यही दिक्कत पैदा हो गयी। इसलिए जब तक उनके रख-रखाव और स्टाफ के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक वे लोग प्रभावशाली तरीके से अपना काम नहीं निपटा सकते हैं, वे तब तक अपना सहयोग नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर भी बहुत से मुकदमें अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है—जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब तक प्रक्रिया में सुधार नहीं होता, जब तक कार्य संचालन में सुधार नहीं होता तब तक स्पेशल मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। एक-एक कचहरी में कई मुकदमें पेंडिंग पड़े होते हैं। किस तरह से एडजोर्नमेंट होता है। इस बारे में भी कोई व्यवस्था करनी होगी। जैसाकि मैंने पहले भी कहा था न्याय को सस्ता करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जब कोई आदमी कोर्ट से हार जाता है तो फैसला लेने के लिए टिकट लगाना पड़ता है, अपील के लिए टिकट लगाना पड़ता है और मेमोरेन्डम पर टिकट लगाना पड़ता है। हर मामले में हर स्टेज पर टिकट लगाना पड़ता है। इस प्रकार बार-बार टिकट लगाने में परेशानी होती है। मैं जापान का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां अगर ओरीजिनल कोर्ट से कोई आदमी हार जाता है और उस मुकदमें से वह सन्तुष्ट नहीं होता और अपील में जाना चाहता है तो वह कोर्ट सम्पूर्ण फाइल बिना किसी टिकट ऊंचे कोर्ट को भेज देता है जहां पर कि गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि वही व्यवस्था हमारे प्रदेश में भी लागू होनी चाहिये जिससे अपील करने वाले को कोई दिक्कत न हो।

मान्यवर, मैं माननीय न्याय मन्त्री जी का ध्यान प्रदेश के ला-विभाग के गठन के बारे में दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जो मुकदमें हारते हैं उनका पर्यवेक्षण कराया जाय तो मालूम होगा कि हमारे जो सरकारी वकील हैं वे मुकदमें ठीक तरह से तैयार नहीं करते। मैं समझता हूं कि ला-डिपार्टमेंट जो सलाह सरकार को देता है उसके प्रभावशील तरीके से पुनर्गठन की आवश्यकता है। अतः मैं चाहता हूं कि इस विभाग का तीन तरह से वर्गीकरण कर दिया जाय। एक सलाह देने वाला, दूसरा ड्राफ्टिंग करने वाला और तीसरा मुकदमा लड़ने वाला। अगर ऐसा कर दिया जाय तो प्रभावशील तरीके से सरकार की पैरवी हो सकती है। बहुत से अधिनियम, मान्यवर, जो यहां ड्राफ्ट किए जाते हैं उनमें भाषा की टेकनिकल गड़बड़ी होने के कारण कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं। यह इसलिए होता है कि एक ही विभाग द्वारा जैसा कि मैंने कहा तीन काम कराए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वह इस काम में परिवर्तन करेंगे और इसका पुनर्गठन करेंगे जिससे ला विभाग पूर्ण क्षमता से ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर सके और हमारे प्रदेश के न्याय प्रशासन को उपयोगी बना सके।

मान्यवर, अब मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान जुडीशियल आफिसर्स की पदोन्नति के सिलसिले में दिलाना चाहता हूं। जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का चयन कम्पटीशन के द्वारा होता है वे कुछ ही दिनों में सिविल जज और सेशन जज बन जाते ह लेकिन जो जुडिशियल आफिसर्स नियुक्त होते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की ए0 डी0 एम0 (जे0) या सी0 डी0 एम0 (जे0) तक हो सकती है जिससे उन लोगों के अन्दर एक कुंठा पनप रही है। इस पर सरकार विचार करे या तो जुडिशियल आफिसर्स की नियुक्ति ही बन्द कर दे या फिर इनको भी मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स के अनुसार ही तरक्की दी जाय। यही बात ए0 पी0 पीज0 के बारे में कहना चाहता हूं। वकीलों के बीच से इनकी नियुक्ति की जाती है और सारी उम्र भर्ती होने के बाद मुश्किल से पी0 पी0 हो पाते हैं और उसी में फिर रिटायर हो जाते हैं। न तो वह हाई कोर्ट में जज बन पाते हैं और न ही डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बन पाते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है और इस तरह से उनकी भावना कुंठित हो जाती है और करप्शन का निर्माण होता है। इसलिए मैं मन्त्री जी से आग्रह करता

[श्री देव कुमार यादव]

चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी विचार करें और इसके लिए कोई कारगर कदम उठाया जाय और उनकी तरक्की का प्राविधान किया जाय।

मान्यवर, मैं वकीलों की समस्याओं के बारें में भी कुछ मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। मन्त्री जी ने अपने भाषण में उनका जिक्र किया है और पिछले साल वकीलों के सामूहिक कल्याण निधि कानून पास किया है। उसमें प्राविधान है कि उन वकील भाइयों का जिनका 60 वर्ष से पहले निधन हो जाता है उनके परिवार वालों को कुछ सहायता मिल जाती है। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आज वकीलों की हालत अच्छी नहीं है। एक जमाना था जब कि वकील पेशे में थोड़े से लोग जो बड़े घरों के, कुलीन घरों के होते थे, जाते थे। लेकिन आज वह बात नहीं है। उन दिनों ऐसे लोगों के लिए आजीविका का सवाल पैदा नहीं होता था। एडवोकेट होकर समाज में सम्मान मिलता था। आज की परिस्थिति बदल गई है। आप आज ग्रामीण अंचल में चले जाइए, वहां पर बेरोजगारी की भंयकर समस्या पैदा हो गई है। एम0 ए0 और बी0 एड0 लोग बेकार बैठे रहते हैं। चूंकि वकालत करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए लोग ला की डिग्री लेकर कचहरियों में बैठ जाते हैं। नौजवान लड़के जो पढ़ाई के दिनों में दो ढाई सौ रुपया खर्च करते थे, आज उनको 10, 20 रुपया माह में ब्रीफ का भी नहीं मिल पाता है। वह अपने घर के खर्च पर जाते हैं। तो वे एक प्रकार से फ्रस्टेशन और निराशा के शिकार हो रहे हैं। अगर वह शादी-शुदा हो तो उसको अपनी बीबी के सामने कितना अपमान भोगना पड़ता है, यह देखने की बात है। इसलिए कहना चाहता हूं कि वकीलों हेतु केवल कल्याण निधि की व्यवस्था कर देने से ही आप अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री न समझें। क्योंकि नगरों और गांवों में नौजवान लोग आज कचेहरियों में निराशा के अंधकार से जूझ रहे हैं। आप इसम कुछ एसा परिवर्तन करिए कि या तो वकील के पेशे म आने पर रोक लग जाए या जो उनमें आते हैं, उनको काम दिलाने की जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ेगी। कचेहरियों में जब काम मिलता नहीं है तो बहुत से साथी जीवनयापन करने के लिए ऐसा काम करते हैं जिसको हम कभी अच्छा काम नहीं कह सकते हैं, जिनको हम कभी इस पेशे के लिए गौरव का विषय, सामाजिक विषय या आदर्श नहीं मान सकते हैं। आज वे विवशता में कचेहरियों मे न बैठकर थानों में बैठते हैं। ऐसी तमाम जगह जाते हैं, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। जिस पेशे ने मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू सरीखे बड़े-बड़े महापुरुष और देश के सपूत पैदा किए, आज वही पेशा बिलकुल बांझ हो रहा है, बंजर हो रहा है। नौजवानों के सामने कोई भविष्य नहीं है, वह फ्रस्टेट होकर समाज में निराशा, कुंठा और अनाचार का वातावरण पैदा कर रहा है। इसलिए इस भयंकर समस्या की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में जाने कितने वकील बार एसोशिएशन में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 परसेन्ट वकील ऐसे हैं, जो अपनी अर्निग्स से अपनी जीविका चलाते हैं। इसके विपरीत कुछ वकील ऐसे हैं जिनके हाथों में पेशे का काफी भाग सिमट कर केन्द्रित हो गया है। बहुत से ऐसे वकील हैं जिनकी आमदनी एक हजार रुपया रोज है और उसी कचेहरी में इतने ही पढ़े लिखे, उतने ही काबिल हजारों लोग ऐसे हैं, जिनको 10 रुपया रोज भी नहीं मिलता है। इससे उनमें मानसिक कुंठाएं जन्म लेती हैं। जिस प्रकार से डाक्टरी पेश में जिस डाक्टर से किसी का फायदा हो गया, सारे मरीज उसी के पास जाने लगते हैं उसी प्रकार से जिस वकील ने केस जीत लिया, लोग उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मान्यवर, आपको मालूम होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लोग मुकदमा लेकर जाते हैं, इतना कटु अनुभव है कि कचेहरी पहुंचने के पहले स्टेशन से ही मुवक्किलों के साथ वकीलों के दलाल लग जाते हैं और उनको ठग कर अपने वकीलों के पास ले जाते हैं, जबकि दूसरे लोगों को भूखों मरना पड़ता है। हमारे प्रदेश में दलालों के खिलाफ एक कानून पास है, लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कितने लोगों का चालान हुआ या गिरफ्तार किया गया। मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा केस नहीं है। अत: इस समस्या का समाधान होना बहुत ही जरूरी है। इसके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है, 20 सूत्री

कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने भूमि आवंटन का काम, बंधक मजदूर उन्मूलन, आंकड़े इकट्ठा करने का काम, समाज में चेतना उत्पन्न करने का काम, आदि कार्य शुरू किए हैं, इन कामों में आप उन्हें लगा दें। यह जरूरी नहीं है कि आप उनको अदालतों में ही काम दें। गांवों में काम करने और गांवों की समस्याओं का अध्ययन करने में उन्हें खुशी होगी और वे इसमें सफल भी होंगे। उनके लिए कोई ग्रामीण सेवायोजना, कोई ग्रामीण सेवा सर्विस शुरू करिए और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 10 रुपए रोज भी आप उनको दे दें, किसी नौजवान आदमी को, जो ला पास हो, तो वह 10 रुपए रोज पर भी गांव में जाकर सेवा करने के लिए तैयार है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरे प्रदेश की समस्या का सवाल है। इस देश की इस असीम समस्या को दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक सहायता देने का प्राविधान किया जाय।

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने हरिजनों या निर्बल वर्गों की कानूनी सहायता की बात की। यह बहुत अभिनन्दनीय बात है। अगर जिलों के अन्दर, जिलों–जिलों में, हाई कोर्ट के अन्दर भी, यहां हाई कोर्ट के अन्दर भी वकीलों की एक लीगल समिति बना दी जाय, तो उन वर्गों को भी जो आपके निर्बल वर्ग में नहीं आते, छोटे काश्तकार में भी नहीं आते, तो उन लोगों को भी सहायता मिल सकती है, जो खुद अपना वकील नहीं कर सकते, तो उसके साथ-साथ बहुत से वकीलों को काम मिल सकता है। तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि एक कानूनी सलाहकार समिति बनाई जाय। समितियां भी जो जिलों में बनी हैं। कुछ जिलों में शायद न भी बनी हों, लेकिन उन समितियों ने कोई काम नहीं शुरू किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को अविलम्ब शुरू किया जाय। उनको कानूनी सहायता दिलाई जाय।

एक बहुत अहम समस्या मान्यवर है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी अपने भाषण में कुछ इस समस्या की ओर भी संकेत करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का यकीन तो नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर इस बात का उल्लेख न किया हो। हो सकता है उनका मूल से इस समस्या के सम्बन्ध में ध्यान न गया हो। कचेहरियों के अन्दर भ्रष्टाचार है और खासतौर से मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि सब कोई सारा समाज भ्रष्ट है। सारे हमारे जूडिशियल आफीसर्स भ्रष्ट हैं। लेकिन यह कह देना चाहता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है और ऐसे भ्रष्टाचार मान्यवर, कहीं पर भी हों, वह बुरी चीज है। लेकिन खास करके न्याय प्रशासन में, जो हमारे मुल्क की सारी सभ्यता को कायम रखने में इन्सान की जिन्दगी को सुरक्षित रखने और जिस विभाग से और जिस जज के अन्दर यह ताकत हो, जो किसी आदमी की जिन्दगी तक ले ले, वह पावर उनको दिया है। वह जब चाहे किसी की जिन्दगी ले सकता है। उस पीठ पर बैठकर कोई आदमी भ्रष्टाचार करे, तो इससे ज्यादा ओछा काम और नहीं हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट हमारे जिलों के अन्दर और तमाम कचेहरियों के अन्दर मौजूद है जहां पैसे के बल पर न्याय खरीदा जाता है और यह बहुत ही सोचनीय बात है। मान्यवर, एक जमाना था कि प्रशासन शिथिल होने की वजह से जो राजनैतिक समस्यायें थीं, उन पर आप प्रभावशाली कदम नहीं उठा सकते थे, लेकिन आज आपातकालीन स्थिति के दौरान, प्रधान मन्त्री जी के बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के दौरान, ये समस्यायें आसानी से हल की जा सकती हैं। इन कचेहरियों के भ्रष्टाचार को रोका जाए, कचहरी में जब एक फटे हाल केवल तारीख लेने के लिए जाता है तो उसकी क्या दशा होती है यह किसी से छिपी नहीं है। आज 20 सूत्रीय कार्यक्रम का वहां पर कोई असर नहीं हुआ है। जितनी रिश्वत पहले ली जाती थी उतनी ही आज भी ली जाती है। यह बड़ी बिडम्बना की बात है कि उनके ऊपर गांधी का चित्र लगा रहता है और वे लोग घूस लेते हैं। वह कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि किसी से भी 5 रुपए से कम मत लो। तो आज कचेहरियों में इस तरह की बातें की जाती हैं। आज कचेहरियों में तारीखों की खरीद की जाती है। यह बड़ी बिडम्बना है। जब हम कचेहरी में डायस के सामने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि मुवक्किल और पेशकार का हाथ किस प्रकार से मिलता है और पैसा किस तरह से उनकी जेब में जाता है। जज देखता है और मुस्कराता है। मैं कहता हूं कि अगर आज इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो कब किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने सोचा है कि आखिर में दो मांगें हैं, तो समय निश्चित करना पड़ेगा, यह साढ़े बारह बजे तक चले, उसके बाद दूसरी या एक बजे तक कहें।

श्री ऊदल—

इसको 2 बजे तक कर दीजिए और उसके बाद जो 4 मांगें हैं, उनको लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अगर दो बजे तक हो जाए सब। 3 बजे वोट का आखिर है। जो बचे-खुचे हैं वह 3 बजे तक वोट दे दें। जितना बोलना चाहें बोलें, हम एक संकेत कर रहे हैं। अभी हम एक चौथाई पर हैं और तीन चौथाई और है।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं एक दो बातें कहकर समाप्त करता हूं। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अगर इस समय इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो कब उठाया जाएगा? आप सक्षम हैं इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तो आप इसको समाप्त कीजिए। आप इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाइए। मान्यवर, यह जिला कोर्ट्स की बात थी, अब मैं हाई कोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। हाई कोर्ट के जजेज के बारे में, इस माननीय सदन में कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं हाई कोर्ट के अन्दर बड़ी समस्यायें हैं। मैं नहीं कहता कि हाई कोर्ट के जज रिश्वत लेते हैं। आज हाई कोर्ट में जो वकील मुकदमा करने जाते हैं, वहां के तमाम वकील इस चीज को देखा करते हैं कि किस जज की बेंच है ताकि उनका मुकदमा स्वीकार हो जाए।

श्री अध्यक्ष—

आप न्यायालय के आचरण पर न जाएं। अगर कोई विशेष मामला हो तो उठाएं। आप वगैर जज का नाम लिये हुए स्थिति के बारे में कहें।

श्री देव कुमार यादव—

तो मान्यवर, बहुत से वकील यही कोशिश करते हैं कि किसी अमुक जज के यहां उनका मुकदमा लग जाए जिससे वह स्वीकार हो जाएं यह वहां की समस्या है। वहां पर ऐसे तौर तरीके हैं। इस पर भी देखा जाए और ऐसी बातें पैदा न हों। हाईकोर्ट के सम्बन्ध में अगर ऐसी बातें उठने लगेंगी तो उचित न होगा। हमारा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय देश के न्यायालय व्यवस्था में बहुत अहम स्थान रखता है। हम चाहते हैं कि यह न्याय पीठ अपनी उस ऐतिहासिक गरिमा को कायम रखे जिससे जनता में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो।

अब मान्यवर, मैं जस्टिस रे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उस सम्बन्ध में कहने की क्या आवश्यकता है? न्याय प्रशासन के सम्बन्ध मे आप अपनी बात कहिए। किसी भी जज का नाम लेकर कुछ बातें कहना ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम उन्हें संकेत कर देते हैं।

श्री देव कुमार यादव—

श्रीमन्, जजेज की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस बारे में किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। वकीलों के बीच में से जिनकी जजों के पदों पर नियुक्ति होती है, आज क जो वर्तमान दौर है, उसमें इस सदन के जरिए से जो अधिनियम बनते हैं, उनका भी इन्टरप्रिटेशन होता है। जो वकील जिस वातावरण में पलता है, उसी हिसाब से कानून की व्याख्या करता है। अगर कोई कम्पटीशन से आता है तो उसमें

तो आपकी मजबूरी है लेकिन जो वकीलों में से आते हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थिति को, उनके जीवन के इतिहास को, उनके विचारों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे प्रिवी पर्सेज का मामला हो, रिकवरी का मामला हो, पिछले साल की हिन्डालको को बिजली के बकाया कर के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया और सरकार के रुपए की रिकवरी नहीं हो पा रही है। जो वकील ऐसे वर्गों से आते हैं या जो निहित स्वार्थ रखते हैं, तो वे अपने प्रभाव से यथास्थिति को कायम रखने की कोशिश करते हैं और उन्हीं वर्गों के पक्ष में फैसले देते हैं, जिनसे वे आते हैं। आज सामाजिक भावना को लेकर, इस बदलती हुई परिस्थिति में, सम्पत्ति को समाप्त करने की बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय देने की बात आती है। करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा कोई अधिनियम विधान सभा में लाते हैं तो उसे हाईकोर्ट में या तो निरस्त कर दिया जाता है या उसमें गतिरोध पैदा कर दिया जाता है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जजेज की नियुक्ति के समय इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

मेरी समझ में नहीं आया, हाल ही में हमारे प्रदेश में जस्टिस अस्थाना साहब ने एक अभियान चलाया है। उनका कहना है कि "वादकारी का हित सर्वोपरि है।" उन्होंने कुछ दिन पूर्व प्रदेश भर में दौरा किया है जिस प्रकार से हमारे मन्त्रीगण करते हैं और हर कचहरी में यह लिखवाया है कि "लिटिगेन्ट्स इन्टेरेस्ट इज सुप्रीम"। हमारे जिले में भी वे तशरीफ ले गये थे। उन्होंने कचहरी में भी जजेज, जुडिशियल आफिसर्स और बार के सामने भी इस बात की चर्चा की, लेकिन उसके पीछे क्या प्रश्न है, यह समझ में नहीं आया, वह चाहते क्या हैं? क्या हमारे कानून द्वारा या सरकार इस बात को नहीं समझा पायी है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है। माननीय के0 बी0 अस्थाना बहुत बड़े पद पर हैं, एक न्याय पीठ में हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वह प्रदेश के लायन्स क्लब के चेयरमैन हैं और लायन्स क्लब का क्या ऐक्शन है? जब सारे देश में आवाज उठ रही है और इस प्रदेश के अन्दर भी कि लोगों के सम्पत्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाय तो लायन्स क्लब के जलसों में इस भावना को जो उभर रहा है शान्त करने के लिए और स्टेटस को मेन्टेन रहे इसके लिए भले ही स्पष्ट भाषण नहीं दिया, लेकिन उनके भाषण का लुब्बे-लुवाव यही है और इस प्रकार उन्होंने एक अहम भूमिका निभानी शुरू की है ...

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप किसी मुख्य न्यायाधीश के आचरण के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं.....

श्री ऊदल—

पब्लिक में जाकर भाषण करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन अगर ऐसा है तो संविधान के अन्तर्गत कुछ कर देना चाहिए।

श्री ऊदल—

मेरा निवेदन यह है कि कोई गलत बात उनके आचरण के सम्बन्ध में या उनके किसी निर्णय के सम्बन्ध में नहीं कही जा रही है। उन्होंने पब्लिक में एक भाषण दिया और एक नारा लिखवा दिया सभी कचेहरियों में और लायन्स क्लब के बारे में भाषण दिया, उसी का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

वही मैं कह रहा हूं कि इसको बचाया जाना चाहिए। अगर आपको कहना है तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबद्ध जुडीशियरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन किसी जज के नाम से कहते हैं तो कुछ आ जाता है उसमें। बात यह है कि जज की हैसियत से जो काम करते हैं, वह अलग है। व्यक्तिगत हैसियत से कहीं भाषण देते हैं तो उनको भी अपने

[श्री अध्यक्ष]

विचार व्यक्त करने का अधिकार है जैसा कि संविधान में है। जो संविधान में संशोधन अपेक्षित है, उनमें है कि जन-सेवायें हैं और श्रम है और तीसरे सम्पत्ति है—इसके लिये अलग अधिकार के उठाने की बात जो चल रही है तो सब मामला ठीक हो जाता है। तो संविधान की जो बात है और उस प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप अखबार में आया है, मैंने भी जो देखा है उससे लगता है कि आपके इस सब कहने के प्रयोजन के प्रति कोई बहुत संदिग्धता नहीं है।

श्री देव कुमार यादव—

मेरा उनके आचरण पर लांछन लगाने का कोई इरादा नहीं है...

श्री अध्यक्ष—

तो यह कहिए कि न्यायाधीशों के लिए अगर वह कहीं जाते हैं और उनके विचार निकलते हैं तो उसका असर पड़ता है। नाम ले कर जज कहने लगते हैं तो कठिनाई पड़ती है..

श्री देव कुमार यादव—

मैं उनके न्यायिक कामों को लायन्स क्लब के कामों से नहीं जोड़ता।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मैंने समझा आप जो कहना चाहते हैं वह यह है कि जुडीशियरी भी प्रतिबद्ध हो, वह जनता की दृष्टि में रख कर कार्य करे। तो वह दृष्टि तो संविधान के द्वारा उसको दी जा सके, तो अच्छा है।

श्री देव कुमार यादव—

कोई मेरी ऐसी भावना नहीं है। लायन्स क्लब किस हित को परिलक्षित करते हैं यह सब जानते हैं। लायन्स क्लब हमारे देश में क्या रोल अदाकर रहे हैं इस सन्दर्भ में मैं महसूस करता हूं कि वह क्यों हैं यह वह जानें। इस सम्बन्ध में मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

माननीय मन्त्री जी ने जिस मुस्तैदी के साथ न्याय व्यवस्था में सुधार करने का उन्होंने ऐलान किया है, मुझे पूरी आशा है कि उससे हमारे प्रदेश में इन्साफ की गरिमा बढ़ेगी और इन्साफ गरीबों तक पहुंच पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

सदस्य, विधान सभा, श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विद्युत् मन्त्री का पत्र

श्री अध्यक्ष—

इसके पूर्व कि माननीय काशीनाथ जी बोलें, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने मुझे एक पत्र लिखा है:—

"माननीय अध्यक्ष जी,

श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा आदि द्वारा अभिसूचित अमापुर थाने के सिपाहियों, श्री भीषम पाल सिंह व अध्यक्ष थाना इन्चार्ज के विरुद्ध विशेषाधिकर की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर हुए वाद-विवाद के दौरान कल जैसा मैंने माननीय सदन को सूचित किया था, यह आश्वासन दिया था कि शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही कर दी गई है:—

कल जो आश्वासन दिया गया था, उसके अनुसार जो कार्यवाही की गई है उसको मैं पढ़ दूं।

"(1) विशेषाधिकार की सूचना के पूर्व ही दिनांक 29 अप्रैल, 1976 को पुलिस अधीक्षक, एटा ने एक वायरलेस द्वारा सहआयुक्त महानिरीक्षक को यह सूचना दे दी थी कि

उन्होंने सब-इन्सपेक्टर, श्री भीषम पाल सिंह व सम्बन्धित 5 कांस्टेबिलों को पुलिस लाइन स्थानान्तरित करने के आदेश कर दिए हैं और वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच कर रहे हैं।

(2) कल दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को शासन के आदेश से पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक, एटा को वायरलेस द्वारा यह आदेश जारी हो गए हैं कि अमापुर थाने के थानाध्यक्ष तथा सब-इन्सपेक्टर, श्री भीषम पाल सिंह तथा सम्बन्धित 5 कांस्टेबिलों को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया जाय। निलम्बन के आदेश के कार्यान्वियन की पुष्टि टेलीफोन द्वारा हो चुकी है।

(3) शासन के आदेश से दिनांक 3 अप्रैल, 1976 को पुलिस अधीक्षक, श्री राम निवास शर्मा को निलम्बित कर दिया गया है। यह निलम्बन आदेश अब प्रातः काल तामील हो चुका है और वह कार्यमुक्त कर दिए गए हैं।

(4) आयुक्त, आगरा इस मामले में जांच के लिए कल दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को एटा चले गए हैं और जांच जारी है।

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन [क्रमागत]

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी आपके सामने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा न्याय के सम्बन्ध में, उसमें मैं समझता हूं कि कई बातें जिस ढंग के इस सदन में रखना चाहते थे, वह रख नहीं पाए। न्याय की व्यवस्था अंग्रेजी साम्राज्यवाद में जैसी पड़ी थी वही आज तक चली आ रही है। अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था केवल इस समाज के बड़े-बड़े लोगों को जो साधन सम्पन्न थे या जो पूंजीपति थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए ही बनायी थी। आज हमारी माननीया प्रधान मन्त्री का ध्यान इस व्यवस्था की तरफ गया है और वह चाहती हैं कि न्याय प्रणाली में इस तरह से आमूल परिवर्तन किया जाय कि न्यायालयों का कार्य और उसकी कार्य-व्यवस्था कमजोर वर्ग के हित में हो। मुझे अदालतों में बैठने का मौका मिलता है और जनता में काम करने के दौरान मुन्सिफ लोगों के फैसलों को देखने का और उससे सम्बन्ध रखने का अवसर मिलता है।

मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अंग्रेजी राज्य में जो लोग कम्पटीशन से आकर मुंसिफ बनते थे वे कुछ दूसरे ढंग के थे। आज जब से जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग किया है, मैं कह सकता हूं कि इन मुंसिफों के मुकाबले एक कलक्टर के अधीन रहने वाला मैजिस्ट्रेट ज्यादा ईमानदार है। छोटी-छोटी अदालतों में आज यह वकील लोग उन मुंसिफों के दलाल बने हुये हैं और वे लोग भ्रष्ट हो गये हैं। मैं एक उदाहरण भी रखना चाहता हूं। बलिया में कुछ वर्ष पूर्व मिस्टर महमूद बट्ट जो आजकल चीफ सेक्रटरी हैं कलेक्टर थे और उन्होंने एक हरिजन को डेढ़ लट्ठा जमीन एलाट की थी। मगर वहां के एक मुंसिफ, श्री सीतलसिंह ने एक आदमी से कुछ पैसा लेकर वह जमीन उस गरीब हरिजन से निकलवा ली। उसके खिलाफ फैसला दे दिया। मेरे जैसे आदमी ने जब उन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो कायदे कानून से काम करते हैं। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि जो लोग आजकल की बदलती हुई परिस्थितियों में अपने को कायदे कानून की आड़ में, कामा और फुलस्टाप के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

अन्तर्गत, सरकार की घोषित नीतियों के खिलाफ काम करना चाहते हैं, उन्हें एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने का अधि-कार नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रगतिशील वकीलों की एक कमेटी बनायी जाय जो इस बात को देखें कि प्रशासन की नीति के अनुसार ही लोग फैसला करते हैं या नहीं। यहा कहां का फैसला है कि कर्जा तो लिया लड़के ने और जमीन उसके बाप की नीलाम हो रही है। यह भी तो कानन बना है कि एक एकड़ से कम जमीन के मालिक की जमीन अदालत द्वारा कर्जे में डिग्री होकर नीलाम नहीं होंगी। एक तरफ तो आप कमजोर वर्ग के लिये राहत देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यह लोग अदालतों में किस तरह काम करते हैं। आज कल 90 प्रतिशत वकील भ्रष्ट हैं और रिश्वत के शिकार हैं। उनको कुछ आता जाता नहीं है, जो कहीं भी फिट नहीं होते, वे वकालत में चले जाते हैं और मुंसिफों के दलाल बने हुये हैं। न्याय प्रशासन को दुरुस्त करने के लिये आपको इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि "दि इन्टरेस्ट आफ दि लिटीगेन्ट्स इज सुप्रीम", तो दूसरे पक्ष का न्याय कहां गया। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरह का स्लोगन देते हैं उनको एक मिनट भी मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है।

अब एक दूसरी बात है जिसकी तरफ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अब अदालतों में होता क्या है? जब से आपात्कालीन स्थिति की घोषणा हुई है, जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे, बड़े तस्कर थे, वे हाईकोर्ट से स्टे लेकर घूमते फिरते हैं, पुलिस के फंदे से बचे हुए हैं। हाईकोर्ट के जजेज और वकील काफी हाउस में बैठ कर आपस में बहस करते हैं और कहते हैं कि शराब पीजिये पिलाइये और जमानत लीजिये। छोटी अदालतों में भी यही हो रहा है। इस पर कोई न कोई अंकुश लगाने की बात आपको सोचनी होगी। जो पद्धति अंग्रेजी राज्य के जमाने से चली आ रही है अगर वही सिलसिला चलता रहा तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो आप कार्यान्वित करना चाहते हैं उसका कार्यान्वयन नहीं हो सकेगा। आपको चाहिये कि न्याय प्रशासन में तबदीली लावें और इसके लिये जरूरी है कि जिला स्तर पर पब्लिक रेप्रेजेन्टिव्स को कमेटी बनावे और वह कमेटी अगर यह देखे कि मुंसिफ मैस्जिट्रेट ने 10—15 परसेन्ट केसेज में ऐसे फैसले कर दिये हैं जो सही नहीं लगते तो उसे कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिये। वकालत खाने में बैठ कर लोग कहा करते हैं कि जो धोती और कुर्ता पहनने वाले जो दर्जा दो भी पास नहीं हैं वही कांग्रेस को वोट देते हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग उनके खिलाफ हैं। हम ही लोग तो हैं जो धारा 226 के अन्तर्गत तमाम केसेज दिलवाते हैं। मान्यवर, धारा 226 के अन्तर्गत स्टे किन लोगों को मिलते हैं, वही जो पूंजीपति हैं और जो सरकार के करोड़ों रुपए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के खाये पड़े हैं। हाईकोर्ट के जज वकीलों से मिलकर और उनसे काफी रकम लेकर स्टे आर्डर जारी कर देते हैं। वकील लोग कहते हैं कि हम ही लोग तो हैं जो धारा 226 के अन्तर्गत तमाम केसेज निकाल कर स्टेट दिलवाते हैं। मेरा कहना है कि ऐसे जजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

स्वर्ण सिंह कमेटी ने संविधान में परिवर्तन करने के लिये जो प्रक्रिया अपनाने की बात कही है, और जो जेरे तजवीज है, उसके अनुसार जो हमारी पार्लियामेन्ट है वह सुप्रीम है। कुछ लोग यह नारा देते हैं कि लिटिगेन्ट इन्टरेस्ट इज सुप्रीम यह नारा सही नहीं है। अगर माननीय न्याय मंत्री जी जो समाजबादी विचारधारा के हैं, वे सही माने में चाहते हैं कि न्याय हो तो उन्हें यह देखना चाहिये कि न्याय प्रशासन गरीबों के हित में हो और इसके लिये उनको पढ़े-लिखे लोगों की एक कमेटी बना देनी चाहिये जो इस भावना से सोचें कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को कैसे ठीक किया जाय? सदन के और सदन के बाहर के जो बड़े-बड़े वकील हैं, और जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी एक कमेटी बनायी जाय तभी संविधान में आमूल परिवर्तन हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

श्री देवकुमार जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे सभी विभागों में भ्रष्टाचार का आरोप है या और तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगाये जाते हैं, लेकिन मान्यवर, न्याय विभाग और दूसरे विभागों में थोड़ा सा अन्तर है। दूसरे विभागों में चाहे वह पुलिस विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो, उस पर जनता का थोड़ा बहुत नियन्त्रण रहता है। जब पुलिस अधिकारी और जनता के प्रतिनिधि साथ-साथ रहते हैं तो उसका कुछ थोड़ा सा असर उनके ऊपर पड़ता है। लेकिन जो कारनामे अभी कहे गये हैं जजों के बारे में इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है? आपने अभी कहा कि जजों के बारे में यहां कुछ नहीं कहना चाहिये, लेकिन इन गड़बड़ियों के बारे में हाउस के बाहर आम जनता क्या कह सकती है? तो मान्यवर, वह क्या है? यह पूरी की पूरी जो न्याय पालिका है, कार्य पालिका है यह शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिये ही बनायी जाती है। यह पूरी की पूरी न्याय पालिका अंग्रेजी जमाने में बनायी गयी थी। मान्यवर, उस वक्त में और आज की हालत में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। दुनियां बदल गयीं हैं।

पुराने समय में, अंग्रेजों के जमाने में यह न्याय पालिका, जमींदारों, राजे, महाराजों के हितों की रक्षा के लिये और गरीबों को परेशान करने के लिये बनायी गयी थी। मान्यवर, न्याय पालिका का जो स्ट्रक्चर कायम किय गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आजादी के बाद आज वही न्याय पालिका चली आ रही है। कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया है। वही हाई कोर्ट, वही जजेज, वही मैजिस्ट्रेसी चली आ रही है। सिर्फ इतना किया गया है कि 40 की जगह पर 45 जजेज कर दिये गये हैं और एक की जगह पर दो मैजिस्ट्रेट कर दिये गये हैं। लेकिन कोई मौलिक परिवर्तन अंग्रेजी जमाने के बाद, आजादी मिलने के बाद, नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा मौलिक परिवर्तन किया गया है नतीजा यह है कि आज गरीबों को न्याय केवल कहने के लिये मिला है। आज न्याय खरीदा जा सकता है पाया नहीं जा सकता।

इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, लखनऊ में है तो वहां देवरिया, बहराइच, गोंडा का गरीब आदमी कैसे जाकर न्याय ले सकता है? उच्च न्यायालय, सुप्रीमकोर्ट में कौन से लोग जा सकते हैं जो धनी हैं, वही अच्छे-अच्छे वकील कर सकते हैं तमाम पैसा खर्च कर सकते हैं। मंत्री जी यह बात जानते हैं, यहां सब लोग यह बात जानते हैं कि अगर न्याय दिलाना है तो कम से कम जिला स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां पर जो हाई कोर्ट के जज हैं महीने में एक या दो बार जांय और फैसला करें। जब वह लायन्स क्लब का उद्घाटन करने जा सकते हैं पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने जा सकते हैं तो वह महीने में एक दो बार जिलों में जाकर फैसला करने जा सकते हैं। आप यह व्यवस्था कर सकते हैं, आप यह कानून जारी कर सकते हैं कि हर जिले के अन्दर हाई कोर्ट के जज जायं और फैसला करें।

आप देखें लाखों की तादाद में मुकदमें पेन्डिंग हैं। लेकिन कौन सा हल निकाला गया है कि वह मुकदमें जल्दी से तय हो जायेंगे? हाई कोर्ट में आज लाखों मुकदमें पेंडिंग हैं। यह मामूली मुकदमें नहीं हैं बल्कि भूमि वितरण जैसे बड़े मुकदमें हैं जो रिट लगाकर रोक दिये गये हैं। इनके डिस्पोजल के लिये कौन सा कदम उठाया गया है? मान्यवर, बड़े बड़े लोग कानून का सहारा लेकर बच जाते हैं और तमाम समाज का नुकसान होता है। इन लोगों को कानून के सहारे से बाहर निकालने के लिये हाईकोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का सवाल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]

आज न्यायपालिका को एक हौवा बनाकर रखा गया है। जुडीशियरी एबव ओवर आल। मान्यवर, जब भी कोई प्रगति का कदम रखा गया है इस जुडीशियरी ने उस मार्ग में रोड़े अटकाये हैं। जब भी कमजोर वर्ग, निर्बल वर्ग की बात कही गयी है तब-तब जडीशियरी ने रोड़े अटकाये और ब ड़े-बड़े लोगों को ठेस पहुंचने नहीं दी है। न्याय पालिका का जो स्ट्रक्चर है वह सामन्ती, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने के लिये है और उनके हित के फैसले आजतक दिये गये हैं। अगर आप 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करना चाहते हैं तो यह तमाम हरडिल दूर करने पड़ेंगे।

मान्यवर, आज जनवादीकरण करने की जरूरत है आज कमिटेड लोग उसमें बैठाये जायं इस पर बुनियादी तौर से आप सोचिये। अगर हम यहां पर विधान सभा में अच्छे-अच्छे कानून बना सकते हैं तो कौन सी बात है कि हम वहां नहीं जा सकते और कोर्ट में जाकर सही निर्णय नहीं दे सकते? अगर कोई जनता का नुमाइन्दा वहां जाकर खिलाफ काम करता है तो उसको 3 या 5 साल बाद ऊपर से नीचे लाया जा सकता है। लिहाजा यह वक्त सोचने का है। यह कहना कि वकीलों में गड़बड़ी है रिश्वत चल रही है। यह मान्यव , समाज का दोष है इसको आप कानून का रिस्ट्रिक्शन लगाकर नहीं हटा सकते हैं। क्लर्कों, चपरासी और वकीलों की हालत ऐसी होती है कि चाय आदि के लिये चपराशियों को उनके लिये इन्तजाम करना पड़ता है। इसलिये यह तभी बन्द हो सकता है जब बुनियादी परिवर्तन किये जायेंगे वरना वह ऐसा ही करते रहेंगे। यह कहना कि भ्रष्टाचार के जिम्मेदार वकील हैं तो सारे के सारे वकील इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था ही बना दी गयी है कि उसके रहते अदालतों में वकीलों को यह काम करना ही पड़ेगा वरना उनको काम करना मुश्किल हो जायेगा और मुकदमें जीतना मुश्किल हो जायेगा।

श्रीमन्, तहसील में कुछ मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की तैनाती का सवा है। यह अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है अभी कुछ इधर और कुछ उधर है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब आप के बजट में पैसा नहीं है तो भवन बनेंगे कैसे और जब भवन बन जायेंगे तभी लागू किया जायेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय के अन्दर हो सकती हैं। आपने अब कहा और वह 10 साल बाद लागू होगा। हो सकता है कि खूबसूरत मकान न बन पावें। इसलिये मेरा कहना है कि मकान किराये पर लेकर तहसील में यदि मुस्तैदी से काम करेंगे तो पब्लिक को इससे राहत मिलेगी क्योंकि 80 मील तक की दूरी से लोगों को आना पड़ता था उनको राहत मिलेगी। इसलिये इसको भवन के नाम पर न टालें।

श्रीमन्, अनुसूचित जाति और जनजाति को सहायता देने की बात कही गयी। यह सुनने में बात तो अच्छी है, लेकिन असलियत में इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। मंत्री जी पता लगावें कि कहां कितने लोगों की सहायता दी जा चुकी है। मैं कहता हूं कि इस तरह के मामले में कहीं एक्का-दुक्का को सहायता मिली है। यदि न्याय दिलाना चाहते हैं तो यह नहीं कि कोट पहन कर ख हो गये बल्कि पूरे वकीलों को दिलचस्पी लेनी चाहिये। माल का सरकारी वकील जो मुकदमें ले रहा है उसका परिणाम यह हुआ कि-सारी गांव समाज की जमीन 229 में गायब होकर प्रतिवादी के हक में फैसला हो जाता है। इसका कारण यह कि वकीलों को 10 रुपया आप फीस देते हैं और चाहे जितनी पेशी पड़ें। तो इससे क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वह न्या दिलायेंगे? कतई नहीं। आपने फौजदारी में वकीलों का भत्ता बढ़ाया है लेकिन उसका जिक्र नहीं है जो कि होना चाहिये था। अनुसूचित जाति और जन जाति के सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आप उनकी फीस बढ़ा दें और यहां तक कहता हूं कि उनको आप परमानेन्ट कर दें। जैसे पैनल लायर्स आपने बना रखा है। दो तीन का एक पैनल बना दीजिये। वह वकालत नहीं करेंगे। खाली हरिजन, भूमिहीन, कमजोर लोगों के मुकदमों की पैरवी किया करेंगे और उनकी तनख्वाह मुकर्रर कर दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज बड़ी चर्चा है सामाजिक न्याय की। आवश्यकता इस बात की थी कि निर्बल वर्ग को न्याय मिले। न्याय की प्रणाली जो अंग्रेजों के जमाने में बनायी गयी थी वह केवल धनी लोगों के लिये और वेस्टेन्ड इन्टरेस्ट जिनका था उनके लिए बनाई गयी थी और वह बड़ी खर्चीली थी। सामाजिक न्याय और सुलभ न्याय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाये हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला कदम यह कि भूमि आवंटन में हरिजनों को प्राथमिकता दी गयी। उनके लिये कानून बनाया गया लेकिन कानून का मतलब यही नहीं कि भूमि आवंटन कागज पर रहे बल्कि यह पद्धति भी अपनाई जाय जिसके माध्यम से जिनको जमीन मिली है वह उस पर कब्जा पा सके। भूमि आवंटन भूमि समिति के माध्यम से किया गया और वह प्रधान की मोहर लगे बगैर नहीं हो सका। इसमें जो कठिनाइयां पड़ीं वह हम सभी जानते हैं।

दूसरा कानून साहूकारों के विरुद्ध बनाया। गरीब लोगों से ज्यादा ब्याज दर ब्याज साहूकार लोग लिया करते थे और सादे प्रोनोट पर अंगूठा लगवा कर पैसा देते थे। इससे गरीब और कमजोर लोग उभर नहीं पाते थे। साहूकारी कानून के अन्तर्गत उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर प्रोनोट का दावा करना है तो उसका विवरण उनको प्रस्तुत करना होगा। तीसरी कोशिश सरकार ने यह की कि सीलिंग के मुकदमें की स्टे प्रणाली बन्द कर दी जायं। हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने तो सीलिंग से सम्बन्धित सारे स्टे समाप्त कर दिये लेकिन लखनऊ बेन्च जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही पीठ है उसने ऐसा नहीं किया है और उससे कठिनाई आ रही है। अब हम जून तक भूमि आवंटन के कब्जे दिलाने की बात कहते हैं तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लखनऊ बेंच से स्टे खारिज करवाये जायं। मुख्य मंत्री जी ने शूट एट साइट का ऐलान कर दिया। रोड होल्ड अप या ट्रान्सफारमर चोरी करता जो पाया जाय तो उसे शूट एट साइट कर सकते हैं। यह कहना तो आसान है लेकिन आई0 पी0 सी0 जो कि मैकाले के जमाने का है उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक ऐसा करना कानून के जरिये सम्भव नहीं होगा और बहुत सी कठिनाइयां पड़ेंगी। मैं मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर ऐसा हुक्मनामा दिया है तो आवश्यकता है कि कानून, आई0 पी0 सी0 में परिवर्तन किया जाय। यह भी आदेश हुआ है कि अगर 323 के हरिजन के मुकदमें हैं तो सरकारी मुकदमें करके चलाये जायं जिससे प्रभावशाली व्यक्ति कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को न सता सके। इसी प्रकार बंधुआ मजदूरी प्रथा तथा मजदूरों को कम से कम कितनी मजदूरी दी जाय, इसके लिये भी कानून बनाया गया है। सबसे बड़ा आपका यह कार्य है कि मीसा का प्रयोग करके जो गरीब काश्तकार थे, उनके गन्नों का मूल्य जो बड़े-बड़े मिलों के मालिक नहीं देना चाहते थे उनको बकाया मूल्य दिलवा कर आपने राहत दिलवा दी। आपने यह निर्णय करवा दिया कि जिन मिल मालिकों के पास काश्तकारों का मूल्य बकाया है उनको देना होगा। इस प्रकार से जो असामाजिक और गुन्डा एलीमेन्ट थे उनको आपने जेल भिजवा दिया जिससे कि ये असामाजिक तत्व गरीबों को न सता सकें। केन्द्र ने भी मीसा का प्रयोग करके जो कीमतें बढ़ रही थीं या जो नम्बर दो का काम था उसको इनकम टैक्स के छापों में वसूल किया और बहुत से लोगों को बन्द करवाया गया। इससे यह हुआ कि कीमतें या तो स्थिर हो गईं या उनका डाउन वर्ड ट्रेन्ड हो गया और गरीबों का इससे राहत मिली।

आज एक बड़ी व्यवस्था की यह बात हुई कि जो यह प्रश्न था कि पार्लियामेन्ट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। बहुत जल्दी ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट आने वाली है जिसके अन्दर बहुत जल्दी ही निश्चित हो जायेगा ऐक्ट के माध्यम से पार्लियामेन्ट सुप्रीम होगी, बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट के। पार्लियामेंन्ट कानून बनाती है लेकिन रोज ही न्यायालय से स्टे हो जाता है जिससे गरीब आदमी को राहत नहीं मिल पाती थी। पार्लियामेन्ट के जो

[श्री श्रीशचन्द्र]

चुने हुये लोग हैं, जो कानून बनाते हैं उनको सुप्रीम होना चाहिये। दूसरी ओर एक अंग्रेजी कहावत है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। अगर न्याय देर से मिलता है तो इसके अर्थ है कि उसको न्याय नहीं मिला। फौजदारी के मुकदमों में दो-दो, तीन-तीन साल लग जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, वातावरण बदल जाता है, आदमी बदल जाता है तो उसक न्याय कैसे मिल सकता है? जो आंकड़े 1974 के अनिर्णीत वादों के उपलब्ध हैं वे हैं 95725। लेकिन 1975 के अन्त में आंकड़े 1,08,917 हो गये हैं। आवश्यकता है कि इनकी संख्या घटे और उनको न्याय तुरन्त उपलब्ध हो सके। अक्सर लोग रिट पिटीशन फाइल करके स्टे ले लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। इससे भी न्याय नहीं मिल सकता है। इतनी-इतनी दूर से आदमी जाता है इस आशा में कि उसको न्याय न्यायालय से मिलेगा लेकिन वह हताश और निराश होकर लौटता है। जिले की अदालतों में 5,43,475 फौजदारी के मुकदमें 1975 के अन्त तक अनिर्णीत हैं। ऐसे भी बहुत से वाद होंगे जो दीवानी अदालतों में भी अनिर्णीत होंगे। इतनी बड़ी संख्या में वाद पड़े हैं, जिनको निपटाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। न्याय की आशा में जब गरीब काश्तकार या मजदूर दौड़-दौड़ कर न्यायालय आता है, उसका खर्चा भी होता है, समय भी लगता है लेकिन तारीखें बढ़ जाती है। ऐसे कदम मंत्री जी को उठाने चाहिये जिससे कि फैसला एक दो साल में अवश्य हो जाय। एक मुद्दत तक फैसला नहीं होता है। यह गलत है। इस समय 2 साल से ऊपर इस्तगासे पेंडिंग हैं। चौधरी चरण सिंह जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने आनरेरी मैजिस्ट्रेट का कैडर समाप्त कर दिया था कि वे न रखे जाय। बात तो अच्छी थी, लेकिन जब से वह आनरेरी मैजिस्ट्रेट की पोस्ट समाप्त हुई है, तो इस्तगासे के मामले तो ऐसे हो गये हैं जैसे कि न्याय पंचायतों के मुकदमें।

आवश्यकता इस बात की है कि कुछ आनरेरी मजिस्ट्रेट का कैडर बनाया जाय और उसके अन्तर्गत कुछ की नियुक्ति की जावे। मैं तो कहता हूं कि जो लोग अभी योग्य हैं, रिटायर्ड हैं उनकी नियुक्ति सरकार को करनी चाहिये। इससे जो इस्तगासे हैं वे खत्म हो सकेंगे। लोगों को न्याय भी सुलभ हो सकेगा। जहां तक दीवानी के वादों का सम्बन्ध है उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वे हाई कोर्ट के अन्तर्गत आते हैं। उनमें मुंसिफ तथा जजेज का जब मन होता है, आते हैं। 11-12 बजे आते हैं और 5 बजे बन्द कर देते हैं। 8-10 वाद फैसले करने होते हैं। अगर जाना है तो अदम पैरवी में वाद खारिज कर दिया जाता है। इस तरह से संख्या बढ़ गयी। रेस्टोरेशन करने पर फिर वाद की संख्या बढ़ जाती है। सरकारी नियंत्रण न होने से अनिर्णीत वादों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि जिले स्तर पर जितने न्यायालय हैं उनके लिये ऐसी योजना बनाई जाय ताकि शासन का नियंत्रण हो ताकि वह ठीक समय पर आयें और कार्य करें। साथ ही अदम पैरवी में खारिज करने वाली कार्यवाही तथा फिर रेस्टोरेशन करने वाली कार्यवाही बन्द हो।

प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कहा जाता है कि रेलवे में भ्रष्टाचार बन्द हो गया है। लेकिन दूसरी ओर यह नहीं कहा जा सकता कि कचेहरियों का भ्रष्टाचार भी बन्द हो गया है। वह भ्रष्टाचार अपने स्थान पर बरकरार है। इसमें बहुत सी बातें विचारणीय हैं जैसे जो नियुक्तियां गवर्नमेन्ट पैनेल में होती हैं, सिविल में होती हैं, रेवेन्यू तथा क्रिमिनल के सरकारी वकीलों की नियुक्तियां होती हैं उनमें फैवरिटिज्म तथा नीपोटिज्म होता है। जब कमिश्नर की नियुक्ति होती है अथवा ओथ कमिश्नर्स की नियुक्ति होती है तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिनके माध्यम वकीलों पर फेवरेटिज्म लाद देने की बात है, उनको कमवाने की बात है। इसके लिये कोई मापदंड होना चाहिये जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिये जिला हरदोई में एक साहब हैं जो पिछले 20, 25 साल से ओथ कमिश्नर बने हुए हैं। कहना यह चाहिये कि जो नया वकील है, जो कमा नहीं पाता है और जिसकी

जीविका का सवाल है उसको साल दो साल ओथ कमिश्नरी का मौका दिया जाय ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह की नीति अपनानी चाहिये ताकि ये भ्रष्टाचार, फेवरेटिज्म तथा नीपोटिज्म कचहरियों में बन्द हो जायं ।

आपने कानून बना दिया अगर स्टाम्प नहीं है, तो सरकारी खजाने में पैसा जमा कर दिया जाय । अब डेढ़ रुपये का स्टाम्प दो रुपये में बिकता है इसके लिये कोई आदमी कचेरी में जायगा, बैंक में रुपया जमा करने तो दिन भर लग जायगा, जबकि दिन भर की मजदूरी 10 रुपये होगी । इसलिये मजबूर होकर 2 रुपये में वह स्टाम्प खरीदता है । वाटर मार्क पेपर की भी यही स्थिति है । आखिर क्या कठिनाई पैदा हो गयी है स्टाम्प नहीं मिल पाता जब कि सरकारी प्रेस है और स्टाम्प नहीं छप पाता है । इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । इसी तरह से पिटीशन राइटर फार्म्स आफिस से लेकर ज्यादा दाम पर बेचता है । अदालतों के लिये विजिलेन्स सेल बनाया जाय जो इन सब बातों को देखें और वह अपनी आख्या प्रस्तुत करे, ताकि यह भ्रष्टाचार बन्द हो ।

अब मैं मेडिको लीगल केसेज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । चूंकि मेडिकल भी माननीय मंत्री जी के ही पास है और ला भी उन्हीं के पास है, इसलिये कहना चाहता हूं कि मेडिको लीगल कैसेज में बन्दूक से मारा हुआ आदमी जो होता है, उसे भाले के निशान से मारा हुआ बताया जाता है और कहीं भाले से मारे हुये आदमी को बन्दूक से मारा हुआ बताया जाता है । इस प्रकार इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है । इससे लोगों को न्याय नहीं मिलता । इस प्रकार की कार्यवाही अनैतिक है और नीतियों के विरुद्ध है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे ठोस कदम उठायें, जिससे मेडिको लीगल केसेज में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो सके ।

एक बड़ी भारी प्रथा चल गयी है कि न्याय करने वाले अधिकारी लोग बड़े-बड़े जजेज लोग उद्घाटन करने लगे हैं और भाषण करने लग गये हैं । क्लबों में जाकर भाषण देते हैं । अपने को ये लोग यह भी कहते हैं कि हम न्याय करते हैं और यह भी कहते कि उनको दूसरे क्षेत्र में भी सभी अधिकार प्राप्त हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है । अपनी वाहवाही करते हैं । वहां पर शराब और दूसरे प्रकार की खाने की सामग्री भी चलती हैं । इस प्रकार के जो लायन्स क्लब्स आदि में जो इन लोगों के द्वारा उद्घाटन का तरीका है इसको बन्द कर दिया जाना चाहिये । एक तरफ तो कहा जाता है कि न्याय पालिका न्याय करती है और दूसरी तरफ वही होता है, जो पैसे वाला चाहता है । इस तरह से उद्घाटन करना और पब्लिक लाइफ में जाकर क्रिटिसाइज करना मैं उचित नहीं समझता । अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के आदेश प्रसारित किये जायं कि न्यापालिका के लोग उद्घाटन नहीं करेंगे, बड़े-बड़े भोज नहीं लेंगे ।

जुडिशियरी का इन्सपेक्शन कभी-कभी साल में होता है । हाईकोर्ट के जजेज जाते हैं और इन्सपेक्शन करते हैं । वे पब्लिक मैन से भी मिलें । जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी वे बात सुनें । जो लिटिगेन्ट है उसको क्या तकलीफ है, न्यायालयों और न्यायापालिका में क्या भ्रष्टाचार है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, वे अपना काम ठीक तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं इसको देखें । आज वकील और मुंसिफों का एक सर्किल बन गया है तो उनका प्रभाव वकीलों पर भी पड़ता है जिससे उनकी यह हिम्मत नहीं पड़ती है कि वे यह कहें कि फलां न्यायालय के अधिकारी की रिपुटेशन खराब है । इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव जब इन्सपेक्शन में जाय तो जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें और न्याय पालिका में जो लोग हैं, उनके कार्य को देखें कि उनका काम कैसा चल रहा है ।

[श्री श्रीशचन्द्र]

आपने बजट में 5 लाख रुपये का प्राविधान हरिजनों और आदिवासियों के लिये किया है कि उनको सरकार के माध्यम से निःशुल्क न्याय मिल जायगा। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि रेवेन्यू में जो वकील आपने बनाये हैं, उनसे जैसा न्याय आप चाहते हैं, वह नहीं हो पाता। आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिये आप एक पैनल बना दें और उसमें ऐसे प्रगतिशील वकील रखे जायं जो सरकार की नीतियों में आस्था रखते हों जो कि सहकारिता, समाज सेवा की भावना से काम करें और तब उन्हें मेहनताना मिले। तभी उन्हें सस्ता न्याय मिल सकता है। मुंसिफ तहसीलों में जायं इसमें मैं कोई कठिनाई नहीं समझता। क्या आवश्यकता है कि हाईकोर्ट के बड़े-बड़े भवन बनाये जायं। आज बड़े-बड़े न्यायालयों की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है छोटे-छोटे आदमियों को छोटी-छोटी राहत देने की। इसलिये इन भवनों को बनाने से कोई फायदा नहीं। तहसील हेडक्वार्टर पर भवन बनें। जहां पर न्यायपालिका का आदमी बैठेगा वहां से लोगों को न्याय मिलेगा केवल भवन बनाने से न्याय नहीं मिलेगा। किसी जमाने में तहसीलों में मुंनसिफ होते थे वह तोड़ दिये गये उनके भवन खाली पड़े हैं। उनका उपयोग किया जाय। सरकार का आदेश हुआ कि डी0 वाई0 एस0 पी0 तहसील में जायेंगे, इसी तरह से एस0 डी0 एम0 तहसीलों में जायं, लेकिन वह नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो सुबह जाते हैं तो शाम को वापस आ जाते हैं। इस प्रकार वहां पर व्यवस्था नहीं चल पा रही है। यह इसलिये किया गया कि जिससे साधारण आदमी को न्याय तथा राहत कम खर्च पर मिल सके लेकिन वह नहीं हो पाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को वास्तविक रूप देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो आप कार्यक्रम बनायें उसे बगैर सोचे समझे न बनायें। आदेश होने पर उनका पूरा पालन हो। जितने भी मुंसिफ मैजिस्ट्रेट हैं, उनको तहसीलों में भेज दिया जाय।

मैं बधाई दूंगा मंत्री जी को कि उन्होंने कहा है कि न्यायालयों में हिन्दी का प्रचार होगा और न्यायालयों की भाषा हिन्दी मानी जायेगी। यह एक बड़ा प्रभावशाली कदम है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का हमारा बहुत पुराना प्रयास तथा लक्ष्य है, लेकिन यह आज तक आसान नहीं हो पाया है। आज जो उन्होंने प्रयास किया है उसके लिये वाकई में मैं उनको बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ जो अनुदान माननीय न्याय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसके बारे में मेरी बहुत कम जानकारी है। जहां तक न्याय का सवाल है आज जो बजट पेश किया जा रहा है शायद इस उम्मीद से किया जा रहा है कि न्यायपालिका उसी तरीके से चलाई जाय जैसे अभी तक चलती आई है। मैं कहना चाहता हूं कि आपात् स्थिति के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तथा जिला अदालतें उस तरीके से फिर कभी नहीं चलेंगी इसका एहसास हमारे मंत्री जी को होना चाहिये। आज आपात् स्थिति जिस सूरत में आई है उसमें जनता के हितों को देखना होगा। आपात् स्थिति इसलिये आई कि देश के 80 फीसदी लोगों को अधिकार नहीं मिला हुआ था। न्याय का सवाल तब पैदा होता है जब लोगों को अधिकार हों। आज हम न्यायपालिका को उस न्याय की दिशा में ले जायं जिसमें 80 फीसदी जनता को भी न्याय मिल सके जिनको हम नागरिक मानते हैं, लेकिन जिनको कोई अधिकार नहीं है।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप ऊपर से नीचे तक जब तक न्यायपालिका के ढांचे के बारे में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक बजट पास करके समस्या का हल होने वाला नहीं है। आज न्यायपालिका उसी तरह से चल रही है जो कि अंग्रेजों ने हमारे लिये तय की थी। अंग्रेजों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का मुख्य उद्देश्य कोर्ट्स द्वारा रेवेन्यू वसूल करना था ताकि जमींदारों के अधिकार कायम रहें। आपने जमींदारी एबोलीशन किया, लेकिन आज तक न्यायपालिका के ढांचे को नहीं बदला। आप सीलिंग का कानून लाये ताकि सीलिंग लागू कर सकें और जमीन का बंटवारा कर सकें। उसके लिये आपको इस ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा। कल परसों मैंने अखबारों में पढ़ा था कि आप उत्तर प्रदेश में 20 हजार अधिकारियों को नियुक्त करेंगे ताकि जमीन का बंटवारा जून तक हो सके। लोगों को यकीन हुआ कि 20 हजार आदमी जमीन बांट देंगे। लेकिन मैं न्याय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सोचें कि कितने बड़े-बड़े एरियर्स पड़े हैं जिसके लिये आपको 20 हजार आदमियों की जरूरत हुई। आपने सीलिंग के कानून को लागू करने के लिये, गरीबों को जमीन दिलवाने के लिये, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिये मशीनरी तैयार की थी कि वह अपने अधिकारों को मांग सकें और आप न्याय के लिये कोर्ट फीस और लीगल एड की बात करते हैं, लेकिन जिनके लिये कानून बनाए जाते हैं, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, इसका कोई प्रबन्ध नहीं करते हैं। उनको मालूम हो कि किस के लिये कानून हों, कब तक वे लागू होंगे और उसके अन्तर्गत जनता को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि जनता तक उन अधिकारों को पहुंचाना चाहते हैं तो मुंसिफ कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सभी न्यायालय न केवल कानून द्वारा दिए गये अधिकारों की रक्षा करने के लिए हों, बल्कि वहां तक जाने का रास्ता क्या हो, यह भी देखना होगा।

सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इतने उलझे हुए हैं कि उसे समझने की कोशिश की जाए तो एक अच्छे पढ़े-लिखे आदमी के लिये भी बड़ी मुश्किल होगी। मेरे जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिये भी यह कहना ठीक नहीं होगा कि सिविल प्रोसीजर कोड पूरी तरह से समझता हूं, क्रिमिनिल प्रोसीजर कोड शायद थोड़ा ज्यादा जानता हूं। लेकिन जिस आदमी को मुकदमा जीतना या हारना है, उसको क्यों न सीधा सादा प्रोसीजर बना कर हम दें कि वे अपनी बात उसी तरह से कह सकें, जैसे वह आपस में बैठकर कहते हैं। अभी जस्टिस कृष्णन् अय्यर यहां आए थे उन्होंने लीगल-एड के बारे में एक बड़ी अच्छी और मजबूत रिपोर्ट पेश की है। उस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि क्या न्याय मंत्री इस सदन में यह आश्वासन देंगे कि उस पर वह विचार करेंगे, उनकी सरकार विचार करेगी और उनके सम्बन्ध में जनता के लिये जो अच्छे कदम उठाये जा सकते हैं, वे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मोबाइल कोर्ट होने चाहिये। क्योंकि गरीब लोग जो अदालतों में जाते हैं तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि बस में बैठ कर जिला मुख्यालय तक पहुंच सकें। हिन्डालको के मजदूरों पर जब दफा 107 व 117 का केस होता है, बिड़ला जी उन्हें मुकदमों में फंसा देते हैं तो उन्हें हिन्डालको से मिर्जापुर सैकड़ों मील बस पर जाना पड़ता है, इसके लिये उन्हें बीस रुपये चाहिये। जब 40 आदमी फंसा दिये जाते हैं तो 800 रुपया उन्हें चाहिये। उनकी यूनियन को इतना रुपया खर्च करने के लिए चाहिये। डी0 एम0 जो बिड़ला जी के यहां दावत खाते हैं, उनका हर्जा भी माफ नहीं करते हैं। 107 व 117 का मुकदमा हिन्डालको में होगा, लेकिन सुनवाई मिर्जापुर में होगी। आपने अपने अधिकारों को केन्द्रित कर रखा है, इसे अंग्रेजों ने तो इसलिए किया था कि उसका जनता पर आतंक पैदा हो जाय, जिससे उसका शासन निर्विघ्न चलता रहे, लेकिन आपको तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो जनता में जाना चाहते हैं। आपकी प्रधान मंत्री जी तो पदयात्रा करने रायबरेली जाती हैं और आपको भी आदेश हुए हैं पदयात्रा द्वारा जनता के बीच जाने और उनकी शिकायतों, तकलीफों को सुनने के लिये। तो क्या आपके मैजिस्ट्रेट जनता में नहीं जाएंगे।

किताबें तो इतनी महंगी हो गई हैं कि कानूनी किताबें तो वह लोग भी नहीं पढ़ सकेंगे जो बड़ी-बड़ी फीसें लेते हैं। आपने किसी बड़े या छोटे नगर में बड़े-बड़े कानूनी पुस्तकालय बनाकर नहीं दिए हैं। जिस वक्त आपने हमें डी0 आई0 आर0 तथा धारा 36 तथा 43

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

में गिरफ्तार किया, जिन थानेदारों ने मुझे गिरफ्तार किया, तो मैंने उनसे पूछा कि वह धारा क्या है जिसमें हमें गिरफ्तार किया गया है, तो उसने कहा कि वह किताब मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूं। जब रिपोर्ट लिखी, मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ तो उससे भी मैंने यह बात कही तो उसने भी यही कहा कि मेरे पास किताबें नहीं है, तो मुझे 40 दिन का रिमाण्ड दे दिया गया। मैंने कहा मुझे कानूनी बहस करने के लिये कानूनी किताबों की जरूरत होगी तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है आप सिविल जज के न्यायालय में अपना केस ले जाने के लिये दरख्वास्त दीजिए, तो हम आपका मुकदमा वहां ट्रांस्फर कर देंगे। तो जब सुप्रीम-कोर्ट के जज के साथ यह होगा, तो जब वहां गांव के आदमी जाएंगे, तो उनके साथ क्या होगा, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। गांव का आदमी कहेगा कि सीलिंग कानून बताइये तो आप क्या उसे बताएंगे? हमारा तजुर्बा यह है कि कानून इतनी तेजी से बदल रहा है कि उनकी किताबें मिलना भी मुश्किल है। उनका ज्ञान प्राप्त करना और उसको जनता तक पहुंचाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो आप किसके लिए यह न्यायपालिका बना रहे हैं? बहुत आसान था उस वक्त न्यायपालिका का चलाना जब तक कुछ साहूकार, कुछ जमींदार, कुछ कर्जे के मुकदमें, रेहन के मुकदमें, , कुछ कास्तकारों की बेदखली किया करते थे, लेकिन आज तो उनको बेदखली से बचाने का सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आज आपके न्याय की व्यवस्था का सहारा लेकर इलाहाबाद में जो मुकदमा चलेगा, वह हरिद्वार की जमीन का भी ब्योरा दे सकेगा? हाईकोर्ट में चूंकि स्टे आर्डर मिल जाता है, इसलिये हाई कोर्ट के अधिकारियों को खत्म कर दिया जाय। बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या कभी यह वकील, सरकार यह कोशिश करती है कि यह मामला जो सरकार की नीतियों से ताल्लुक रखता है उसमें फौरन रिट दायर करके मामले को फौरन तय करवा दें। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमें फौजदारी, दीवानी के यू० पी० स्टेट के जाते हैं। छोटी-छोटी स्टेट्स के भी एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की तैयारी के लिये रिकार्ड नहीं है।

आपको याद होगा कि गाजियाबाद में जमीन एक्वायर हुई। लैन्ड डेवेलपमेन्ट का उस पर मुकदमा चालू हुआ, कई रोज तक बहस चलती रही, लेकिन सरकार की तरफ से अफेडेविट नहीं था, उसमें सरकार ने यह भी नहीं बताया कि प्लेंट क्या है। इसके लिये एक्यूजीशन रद्द कर दिय गया। तो मैं चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी सरकार के हित की रक्षा नहीं कर सकते तो जहां अदालत में जनता के पास पैसा नहीं, जनता के पास वह ज्ञान नहीं, जिससे वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, तो आप कैसे इस बात के लिये सुविधा प्राप्त करायेंगे कि वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके? सुप्रीम कोर्ट में बिहार की स्टेट आपकी स्टेट के बराबर है। वह अपने मुकदमों के लिये कैसे 6-6, 8-8 वकीलों को मुकर्रर करता है और कैसे वह फौजदारी व दीवानी के मुकदमों को तैयार कराता है। मुकदमों की अगर बुनियाद अच्छी नहीं रखी, दीवानी के लिये अलग, फौजदारी के लिये अलग, टैक्स के लिये अलग, बहस के लिये अलग, तो वह मुकदमा कमजोर ही रहेगा।

रिट के लिये भी हाई कोर्ट में अगर काम बढ़ गया है, तो काम को तकसीम क्यों नहीं किया जाता है? ऐडवोकेट जनरल मिनिस्टर्स की, आपके यह ला डिपार्टमेंन्ट की खुशामद करते हैं। क्या वेस्टेड इन्टरेस्ट डेवलप हो सकते है? अगर वेस्टेड इन्टरेस्ट डेवेलप हो गये हैं तो उनको तोड़ना होगा। आप अगर चाहते हैं कि गरीब जनता के हित में न्याय कराया जाये तो काबलियत की ज्यादा गुन्जाइश नहीं होनी चाहिये। आपने हर सूरत से देखा है, काबिल वकील पालकीवाला आये। अगर आप चाहते हैं कि जमीन का बंटवारा हो तो जमीन का बंटवारा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप जनता को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहते हैं तो आपको वकीलों की तादाद बढ़ानी होगी। रोज यह कहा जाता है कि वकीलों की तादाद बहुत ज्यादा हो गयी है। 10 करोड़ जनता में केवल 29 हजार वकील हैं। इससे आपको अन्दाज मिल जायेगा कि उनकी कितने

प्रतिशत संख्या है। आप रोज इस चीज का अन्दाज लगाते हैं कि कितने हजार पर एक डाक्टर है तो उससे पता चलता है कि हमारा मुल्क और हमारा प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है। कितने वकील हैं और जनता कितनी है ? हम जनता की सेवा कैसे कर स हैं, इस पर हमें दूसरे तरीके सोचना होगा।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि जब बजट के दौरान एक प्रस्ताव आया था कि संविधान का संशोधन होने जा रहा है। संविधान के संशोधन पर राजनैतिक पार्टियां बड़ी गम्भीरता के साथ विचार कर रही हैं और इस चीज को बड़ी गम्भीरता से ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी के पैनेल ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं उस पर हर जगह पर विचार हो रहा है। बंगाल के लेजिस्लेचर ने एक प्रस्ताव पास किया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी खुद ला ग्रेजुएट हैं और उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता की ओर से इस संशोधन पर अपनी राय नहीं देते हैं तो कल जब ढांचा बदल जायेगा तो हम रेक्टीफाई करने के लिये रह जायेंगे। तो मान्यवर, मैं कहता हूं कि इस बात को बड़ी गम्भीरता के साथ लेना चाहिये। जब यह प्रस्ताव आता है कि न्यायपालिका के अधिकारों को छीन लिया जाये और धारा 226 में संशोधन कर दिया जाये केवल फन्डामेन्टल राइट्स के लिये रखा जाये और अदर परपजेज के लिये न रखा जाये तो आप जान सकते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

अगर अच्छा असर पड़ेगा तो कहने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो आपने जो इमरजेन्सी लागू किया वह कब खतम होगी ? इमरजेन्सी लाकर हमने साबित किया है कि जनता के असंतोष को कुछ लोग गुमराह करें। इससे टाटा बिड़ला के अधिकारों को बढ़ाने कोशिश है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

बिलकुल नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप कहते हैं बिलकुल नहीं। मैं कहता हूं कि वह बहुत खुश हैं कि उनके अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है। आप समाजवाद की बात करना भूल गये हैं। आप यह करने जा रहे हैं कि जो धारा 226 में अन्दर परपजेज हैं उसको आप डिलीट करने जा रहे हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

इस धारा के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालयों ने स्टे-आर्डर दिए हैं, इनमें 70 सैकड़ा लोग वह है जो पूंजीपति हैं और उनके ऊपर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का बहुत सा रुपया बकाया है। इसके लिए 226 का इस्तेमाल किया गया। आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आप यह भी बतायें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

वेस्टेड इन्टरेस्ट ने स्टे आर्डर लिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या मोनोपोलिस्ट्स को बड़े-बड़े कम्पेन्शेसन नहीं दिए हैं ? आप कहते हैं कि नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। 70 करोड़ रुपया देंगे चीनी मिलों को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्टे आर्डर की बजह से आप नाराज हैं।

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कितने जजेज हैं जो वेस्टेड इन्टरेस्ट के खिलाफ हैं, कितनों ने आपके खिलाफ स्टे आर्डर नहीं दिया क्योंकि आप जनता का हित करना चाहते हैं। आप उनको जजेज के पदों पर नियुक्त करते वक्त देखे कि वे कितना इन्कम टैक्स देते हैं। दो काम जरूरी होते हैं, एक तो आप यह देखते हैं कि वे इन्कम टैक्स कितना देते हैं और दूसरे उनके बारे में पुलिस रिपोर्ट क्या है। जब आप ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, जिन्होंने बड़े-बड़े पूंजीपतियों की वकालत में जिन्दगी गुजारी है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है जब सरकार उनकी जमीन बिना मुआविजा दिए लेती है। हम कहते हैं कि कानून को ऐसा बदलिये कि बिना कम्पेन्सेशन दिए हुए नेशनलाइजेशन हो। तो हमारा सुझाव है कि जब उनकी नियुक्ति का समय हो तो समाजवाद की बात को ध्यान में रखा जाय। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और पूंजीपतियों की गोद में बैठेंगे तो स्टे आर्डर के जरिए आपके कानून को तोड़ा जायगा। आप स्टे आर्डर के खिलाफ उसकी पैरवी के लिये सतर्क रहिए लेकिन यह नहीं है कि आप न्यायपालिका को ही तोड़ दीजिए।

जब सरकार मोनोपोलीज को बढ़ावा देगी, उन्हें टैक्स में कन्सेशन्स देगी, उन्हें कर्जा देगी, और उस कर्जे को वसूल नहीं किया जायगा, तो कीमतों के बढ़ने में सहायक होगी। अगर एक्जीक्यूटिव के अधिकार काशीनाथ जी को दे दिए जाते तो कारों के दाम न बढ़ते। जब एक्जीक्यूटिव के कांस्टीट्यूशनल डिस्टर्शन को बर्दाश्त किया तो पुलिस कान्सटेबिल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमें लेनी चाहिये। जब हम जुडिशियरी के बीच से हटेंगे तो सरकार की नीतियों की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई हैबियस कोर्पस नहीं हो सकती है। राइट टु ला आफ लिबर्टी इज सस्पेन्डेड। अटार्नी जनरल ने कहा कि अगर पुलिस कान्स्टेबिल बिना कानून के किसी को शूट करता है तो आप को अधिकार नहीं है कि आप कान्स्टेबिल से जवाब तलब करें। देयर इज नो हाफ डे हाउस। या तो मेरी बात को मान लीजिए और अगर जिम्मेदारी लीजिए तो कोई गलत काम नहीं होगा, कानून के मुताबिक सारा काम होगा। सुप्रीम कोर्ट के चार जजेज ने मान लिया, लेकिन एक ने नहीं माना कि अगर कान्स्टेबिल बिना कानून के शूट कर देता है तो आर्डर होगा और अगर उसको बन्द करता है तो रान्गफुल कन्फाइनमेन्ट होगा लेकिन अदालत कोई जवाब नहीं पूछेगी। तो पांचवे जज ने आपकी बात को नहीं माना है। उन्होंने कहा कि इसका असर यह ही नहीं हुआ कि 7 करोड़ जनता के सारे अधिकार छीन लिए गये हैं बल्कि यह भी हुआ कि तमाम लेजिस्लेचर अब एक्जीक्यूटिव के सबार्डिनेट हो गये हैं। आज पावर नहीं है कि किसी कोर्ट में आप उस कांन्सटेबिल से जवाबदेही कर सकें। तो यह हमारे आत्मसम्मान को चोट नहीं लगती है क्या? हम कानून बनाये, माननीय भूपेश गुप्त जी संसद में रहें और माननीय गोखले जी कानून बनायें और कहें कि हम कानून में पावर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं और उस कानून को अलग रखकर हमारी एक्जीक्यूटिव काम करे, तो क्या उचित है? आज हम एक क्रुशल स्टेज में हैं जब कि एक्जीक्यूटिव का एक सिपाही, एक चपरासी सुप्रीम है, इंदिरा जी सुप्रीम नहीं हैं। इंदिरा गांधी का आदेश नहीं माना जाता तो इंदिरा गांधी के पास कोई अधिकार नहीं है कि अदालत से फैसला करवा दें कि माना जाना चाहिए और हाल में हो गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी अगर तामिलनाडु में जायेंगी और वहां अगर डी0 एम0 के0 का चीफ मिनिस्टर रहा होता और उनको पकड़ कर बन्द कर देता तो उनको छुड़ाने के लिये कानून नहीं जाता। फिर तो फौज भेजनी पड़ती।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

आप कोई दूसरा नाम ले सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि बार-बार इंदिरा गांधी कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं नाम का पुजारी नहीं हूं। मैं प्रधान मंत्री के लिये कह रहा हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

डेकोरम का सवाल है। आप हमारा नाम लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप तो जान देने के लिये तैयार हैं उनके लिए। नाम मुझे भी बहुत प्यारा है। लेकिन कुछ और मर्यादाएं हैं, वैधानिक मर्यादाएं हैं और उनके बारे में सोचिये। आज यह हालत है कि अगर आप किसी चीफ मिनिस्टर को पकड़ कर बन्द कर दें, आपका कांस्टेबिल उसको शूट कर दे या आज यहां हजरतगंज का थानेदार मेरे डी0—1 दारुलशफा पर यह लिख कर लगा दे कि मैं शाम के 9 बजे आकर तुमको शूट कर दूंगा तो मैं नहीं कह सकता कि आप शूट नहीं करेंगे या आप कानून दिखाइये कि क्यों शूट करना चाहते हैं?

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मैं समझ पाया हूं वह तो केवल मीसा की जो प्रक्रिया है, उसके मुताल्लिक किया गया है। 302 आई0 पी0 सी0 में कुछ नहीं हुआ है। 302 में अगर कोई कार्यवाही करता है तो जरूर अरेस्ट होगा। कोर्ट में भी जायगा मामला।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

काश वही होता लेकिन आर्टिकिल 21 सस्पेण्ड हुआ है और उसका मतलब यह है कि राइट टु लाइफ एंड प्रापर्टी को आप सस्पेन्ड करते हैं और उसमें सस्पेन्शन के लिये कोई कानून जरूरी नहीं है। 302 तो दूर की बात है मीसा के कानून के मुताबिक चाहे फांसी लगा दीजिये लेकिन अगर वह कानून नहीं माना गया तब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जबाब दिया है कि "ऐक्शन में बी इल्लिगल, ऐक्शन में बी मैलाफाइडी, ऐक्शन में बी एक्सट्रेनियस कन्सीडरेशन, लेकिन कोई लोकस स्टेंडाई नहीं है अदालत में जाने की"। आज मीसा की जरूरत नहीं है। मैं व्याख्या करके कह रहा हूं कि अगर हजरतगंज का थानेदार मेरे डी0-1 दारुलशफा पर लिख कर लगा दे कि "आई विल शूट यू ऐट टेन ओ क्लाक इन दि नाइट" और मैं अदालत के पास जाता हूं, कोई कानून नहीं लिखा हुआ है, 302 का, मीसा का कोई सवाल नहीं है और मुझ को आप यह हुकुम दे दीजिये कि जब वह बन्दूक लेकर आये या पिस्तौल लेकर आये तो मैं उसको रोक सकूं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको कहना पड़े कि "यू हैव नो लोकस स्टडाई और इसका नतीजा क्या होगा?

मुझको मोपास की एक कहानी याद आती है और वह बड़ी ट्रैजिक कहानी है। उसमें समाज पर बहुत बड़ा व्यंग्य है। लेकिन उसमें सच को लेकर व्यंग्य किया गया है। एक बाप था उसका बहुत खुशहाल परिवार था। वह अपने बच्चों के साथ खुशी से रहता था। उसने कोई गलती की और उसकी बीबी को शक हुआ। उसने उससे बदला लेने के बारे में सोचा। एक दिन वह अपने पति को ले कर गिरजा में गयी और उसने वहां पादरी के सामने कहा कि मेरा एक बच्चा लैजिटिमेट नहीं है। पति ने यह बात सुनी, घर लौटा। उसके 6 बच्चे थे और उन 6 बच्चों में वह जिसको सब से ज्यादा प्यार करता था उसको उठा कर फेंक दिया। अगर आप अदालत के दरवाजे बन्द न करते तो हो सकता था 10—20 कैदी छूट जाते, 80—90 फी सदी लोग फिर भी बन्द रहते। मैंने सब से ज्यादा मुकदमे मीसा और डी0 आई0 आर0 के किये हैं। इस जमाने में तो नहीं, पहले किये हैं। तो 90 फीसदी मुकदमे खारिज हो जाते थे लेकिन 2—4 छूट जाते थे। तो 90 फीसदी लोग जो हारते थे वे भी समझते थे कि उनको सही बन्द किया गया है। आज जब अदालत के दरवाजे बन्द हो गये हैं और कोई यह कहने वाला नहीं है कि किसको सही बन्द किया और किसको गलत बन्द किया तो आज सवाल यह नहीं है कि मजरिम यह कहे कि हमको

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

सही बन्द किया या गलत बन्द किया बल्कि जो सख्त से सख्त मुजरिम होगा वह भी यह कहेगा कि हमको बेगुनाह बन्द किया गया है। अदालतें बनती क्यों हैं ? कौन जानता है कि अदालत ने सही फैसला किया है या गलत। लेकिन अदालतें इसलिये बनती हैं कि असेम्बली ने गलत किया या सही, पार्लियामेन्ट ने गलत किया या सही, एग्जीक्यूटिव के छोटे से छोटे अफसर ने सही किया या नहीं? कुछ लोग जो निष्पक्ष हैं दोनों फरीकैन को सुनने के बाद सही या गलत का जब फैसला देते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर वह फैसला हो ही नहीं तो क्या होगा ? दि किंग हैज नो राइट टु डू जस्टिस–, इट इज किंग्स जजेज हू जस्टिस। मैं सोच रहा हूं कि इससे जो असंतोष बढ़ेगा उसके बाद आप इमरजेन्सी को कायम नहीं रख सकेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गर्ग साहब का दिमाग ब्रिटिश पैटर्न आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर काम कर रहा है। लेकिन आज की बदलती हुई हालत में ब्रिटिश पैटर्न आफ जस्टिस नहीं चल सकता, इस देश में। इसको आप सोच कर बात कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

यह तो विवादास्पद स्थिति है। आपकी मर्जी से उनका दिमाग तो बदलेगा नहीं। यह तो अपना-अपना सोचने का तरीका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)––

ये मजबूर हैं बेचारे। सारी रात रामायण पढ़ी, सीता किस का नाम था ....

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने यह कहा था कि समाजवाद की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जब यह कहा था कि दिल्ली के तख्त पर सात पुश्तें राज करती हैं उस दिन आप समाजवाद को भूल गये थे। आप जनता के अधिकारों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि न्याय पालिकाओं की क्या जगह है ?

श्री काशीनाथ मिश्र––

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लब्बोलवाब यही है कि फन्डामेन्टल राइट्स हैव बीन सस्पेण्डेड ड्यूरिंग इमरजेन्सी। यह सारी बातें जो आप कह रहे हैं वह तो बहस के दौरान वकीलों ने कही थीं। आज किसी कान्स्टेबिल को यह हक नहीं है कि हमारे यहां आ कर कह दे कि 10 बजे हम तुमको शूट कर देंगे और सी0आर0 पी0 सी0 या आई0 पी0 सी0 में कोई रेमेडी नहीं है। हमारे हाउस ने तो कल ही ऐक्शन लिया है। यह सारी बातें तो आप बरगलाने के लिये कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

मैं माननीय काशीनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आर्टिकिल 21 जो सस्पेंड हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको ध्यान से देखें। जब वह सस्पेंड हो गया तो किसी कानून की जरूरत ही नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राइट आफ लाइफ एन्ड लिबर्टी के बाद आपका कौन सा अधिकार रह जाता है ? आप आर्टिकिल 31 को भी सस्पेंड कर दीजिये, फिर किसी लेजिस्लेचर की भी जरूरत नहीं रहेगी, एग्जीक्यूटिव जो चाहेगी, वह करेगी। किसी कान्सटेबिल ने आज स्थिति है कि अगर किसी को शूट कर दिया है तो अदालत मुजरिम उसको नहीं ठहरायेगी, आप उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। आप अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी जज से आप कहेंगे कि इसको जेलखाने भेजने के लिये कानून तो इजाजत नहीं देता, मगर इसकी राजनीतिक जरूरत है ? क्या आप कहेंगे इसको हम राजनैतिक जरूरत की वजह से जेलखाने भेज रहे हैं ? मैं कहता हूं आप जरा इस पर ठंडे दिल से विचार कीजिये। मेरे कमरे में पांचों फैसले सप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं और

मैं उन सभी को पढ़ कर बोल रहा हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है उसी को मैं कह रहा हूं। उनका कहना है कि आज 60 करोड़ जनता में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह यह कह सके कि उसकी आजादी खतरे में है। या जान खतरे में है। अगर हम चाहते हैं कि एक कान्सटेबिल किसी की जिन्दगी के साथ खेल सके तो वह खेल सकता है। अगर यही है तो फिर यह असेम्बली यहां क्यूं बैठी है। उसकी क्या जरूरत है? जस्टिस खन्ना ने कहा है कि इसका नतीजा यह होगा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम हो जायेगी। आप पार्लियामेंट में क़ानून बनाते हैं कि 4 बजे के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, मीसा के अन्दर यदि कोई गिरफ्तार किया जाता है तो 15 दिन के अन्दर उसका कन्फर्मेशन होना चाहिये। मगर रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात को गिरफतारी होती है। फिर मीसा की दफा 29 में और इस 302 में क्या फर्क है? अगर 323 में गिरफ्तार कर लिया तो आप कहेंगे कि यह कानून का उल्लंघन हुआ। आप आजादी की रक्षा के लिये इसको इन्फोर्स करना चाहते हैं और यह अधिकार छीन लिया गया है। माननीय मंत्री जी इस वक्त जो भी करेंगे, फैसला भी देंगे, तब तो ठीक बात है लेकिन अगर वह यह नहीं करते, तो फिर कांस्टेबिल ने किसको सही पकड़ा, किसको गलत पकड़ा और अगर पकड़ा तो किस कानून के अन्तर्गत पकड़ा, इसको पूछने वाला कोई नही है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय गर्ग जी बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं। वे वकील है और कानून के ज्ञाता हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि इस देश में हम लोगों ने ही ऐसी स्थिति पैदा की है। कोई भी मुल्क हो, भारतवर्ष या विश्व का कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क जो प्रजातंत्र का पुजारी होगा, वह कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो। प्रश्न यह है कि यह बात जो की जा रही है, क्या आज की स्थिति में कहने लायक है? इमर्जेन्सी लाने के लिये हम लोग खुश नहीं हैं जो ट्रेजरी बेंच है वह भी इससे प्रसन्न नहीं है लेकिन इसके पीछे जो बात है उस पर आप गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो स्पष्टीकरण के नाम पर विवाद करने लगे।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि एक दिन आपने ही सदन में कहा था कि इन्दिरा जी ने इमर्जेन्सी लाकर देश को बचाया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि वे अपने उस बचन पर दृढ़ रहें। इमर्जेन्सी लगा कर सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिये जब आप आलोचना करें जो जरा सही ढंग से, अच्छे शब्दों में करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वे किन शब्दों में आलोचना करें वह तो उनके ऊपर निर्भर करता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं और मैं भी इस विचार का हूं कि इमर्जेन्सी सही तरीके से लागू की गयी है लेकिन मेरा कहना यह है कि संविधान के अनुसार इमर्जेन्सी लागू करने पर मौलिक अधिकारों के सस्पेण्ड करने की बात डी0 आई0 आर0के तहत लागू नहीं हो सकती। इमर्जेन्सी लागू करने की बात को तो हम सही समझते हैं लेकिन मौलिक अधिकारों को सस्पेण्ड कर अदालतों को इस तह से पैरालाइज कर दिया जाय कि किसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया, किसने कानून की खिलाफवर्जी की, किसी को कोई अधिकार नहीं होगा कि वह अदालतों में जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके अनुसार तो कितना भी कोई खिलाफ कानून कोई काम करे, कितना भी मैलाफाइड ऐक्शन हो वह अदालतों में जाकर इस सवाल को नहीं उठा सकेगा। यह व्यक्तिगत आजादी का सवाल नहीं है, आजादी

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

में मजहब की आजादी भी शमिल है संस्थाओं की आजादी भी शामिल है, माइनारिटीज की आजादीं भी शामिल है। उसकी व्यवस्था इस धारा में कर दी गयी है लेकिन जहां तक लिबर्टी की बात है, शासन और नागरिक के दरमियान क्या रिश्ता रहे, यह स्पष्ट होना चाहिए। दोनों के बीच संतुलन का बना रहना बहुत आवश्यक है। अगर इमर्जेन्सी में दिमागी संतुलन बिगड़ जाय तो यह इमर्जेन्सी नहीं चल सकती। अगर अधिकारी अपना संतुलन ठीक नहीं रखते तो समस्या का सही समाधान नहीं हो पाता और उनकी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहती। मैं ऐसा मानता हूं कि न्यायापालिका निष्पक्षता के साथ सत्ता के लिए लेजिटिमेट काम करे। बताया गया है कि गवर्नमेन्ट ने इसको ठीक तरीके से लागू किया।

मैं तो बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी ऐसी न बढ़ायें कि उसको पूरी न कर सकें। कहीं तो मन्त्री जी कहेंगे कि पुलिस बड़ा काम करती है। अभी कल ही एक एम0 एल0 ए0 को पीटने की बात यहां पर उठायी गयी। मैं कह रहा हूं कि बदकिस्मती से वह कांग्रेस के एम0 एल0 ए0 थे हम लोग तो रोज ही पिटते हैं। एक सही कदम यहां लिया गया। आपने कहा कि बजट पास नहीं होने देंगे अगर पुलिस ऐसा करेगी। लेकिन जिस दिन बजट पास हो जायगा और एम0 एल0 ए0 पिट जायगा तो क्या करेंगे? आप की एक्जीक्यूटिव को अधिकार होने चाहिए स्मगलरों को पकड़ कर जेल खाने में भेजने के। एक्जीक्यूटिव को अधिकार होने चाहिए कि वह हर एक देश के दुश्मन को, जिससे देश की आजादी को खतरा हो उसको जेलखाने में बन्द कर सकें। लेकिन आपके पास कोई खबर आएगी जिले के छोटे अधिकारी से और उसके बारे में जांच परख करने का और फैसला करने का अधिकार ऐसे लोगों को दिया जाय जिसके ऊपर आपका विश्वास न हो तो क्या होगा? न्यायपालिका के अधिकारों को आप ले लेंगे क्या आप सक्षम हैं कि आप फैसला निष्पक्ष कर देंगे और क्या आप यह कहेंगे कि उस कांस्टेबिल को बर्खास्त कर रहे हैं क्यों कि हमारे एम0 एल0 ए0 ने कहा है कि वह गलत काम करता है। अभी कल ही मन्त्री महोदय के सामने सवाल था इस बात का कि कैसे एस0 पी0 को नाराज करें? शासन कहां चलेगा, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इतने गम्भीर सवाल पर विचार करना है, जनता के हितों को रहने दीजिए, जनता का विश्वास रहने दीजिए। आपने सही काम किया कि इमर्जेन्सी डिक्लेयर कर दी लेकिन आप उस इमर्जेन्सी को कायम नहीं रख सकते हैं। अगर आपके अधिकार ज्यादा हैं। अगर सारे अधिकार ले लेंगे तो फिर जनता की आस्था मिट जाएगी और इमर्जेन्सी की ताकत बेकार जायगी। अगर पेटीशन फाइल नहीं हो सकती है तो कितने दिन इमर्जेन्सी चल सकती है?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, आज इस न्याय के अनुदान पर बहस के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने जो दलीलें दी हैं, उनको सुन करके और उनके तर्क को सुन करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मान्यवर, गर्ग साहब जो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लाइयर हैं। उन्होंने इस सदन में अपने इन्टरप्रिटेशन से, जो सुप्रीम कोर्ट ने मीसा के सिलसिले में फैसला दिया, एनलाइटेन करने की कोशिश की और एनलाइटमेंट के साथ उन्होंने उस पिक्चर को रखने का प्रयास किया कि लाइफ और लिबर्टी का जो क्वेश्चन है वह खतरे में है और रक्षा का कोई आधार इस देश में नहीं बचा है। मान्यवर, मैं बड़े अदब से, श्री गर्ग साहब की राय से पूर्णत: असहमत हूं। उनकी इस राय से कि आज इमर्जेन्सी के डिक्लेरेशन के बाद मीसा में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उससे मनमानी करने की छूट है, उनकी इस राय से मैं सहमत नहीं हूं। मैं माननीय गर्ग साहब के सामने और इस सदन के सामने सेक्शन 353 रखना चाहता हूं। जिस सेक्शन 353 के मुताबिक इमर्जेन्सी का प्रोक्लेमेशन होता है उसमें यह बात कही गयी While a proclamation of emergency is in operation,..... 352; 353 दोनों की बात मैं कहना चाहता हूं। मैं खास तौर से सेक्शन 353 को पढ़ना चाहता हूं।

While a proclamation of emergency is in operation, then—(a) Not with standing anything in Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any state as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised.

इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 21 जो लाइफ एन्ड प्रापर्टी के सिलसिले में है तथा जिसकी चर्चा हमारें माननीय गर्ग साहब ने की। इस सम्बन्ध में जो इमर्जेन्सी का ला इमर्जेन्सी प्रोक्लेमेशन हुआ उसमें 353 में डाइरेक्शन्स देने का अधिकार है और जो डाइरेक्शन्स किये, सेन्ट्रल ने जो डाइरेक्शन किए उसके मुताबिक कार्यवाही की बात है। ऐसा नहीं कि ला आफ दि कन्ट्री सी0 आर0 पी0 सी0 और सी0 पी0 सी0 सभी सस्पेन्ड हो गए—इसका मतलब यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

यह तो इक्जीक्यूटिव को अख्तियार है। उसमें सभी छोटे-बड़े शामिल हैं। यदि एक्जीक्यूटिव गलत काम करे तो पार्लियामेंट को कोई अख्तियार है कि नहीं ?

श्री प्रभु नारायण—

माननीय गर्ग साहब ने ब्यूरोक्रेसी की परिभाषा दी। तो ब्यूरोक्रेसी उनके दिमाग में बैठी है। उनको कम से कम यह फर्क नहीं करना चाहिए। एक्जीक्यूटिव का मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट भी है, यह कैबिनेट भी है और चाहे वह यू0 पी0 की हो या सेन्ट्रल की हो एक्जीक्यूटिव केवल सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि वह लोग भी हैं जो जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं जो सदन को चाहते हैं। इस बात का फर्क वह नहीं करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैंने यह कहा कि एक्जीक्यूटिव ही क्या सब कुछ करेगी ?

श्री प्रभुनारायण—

गर्ग साहब अपना इन्टरप्रिटेशन खींच कर लगाना चाहते हैं तर्क से नहीं बात करना चाहते हैं। उन्होंने तो एक्जीक्यूटिव का मतलब पुलिस कान्स्टेबिल समझा है यह गलत है। एक्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेन्ट इन पावर है और सेन्ट्रल का जो डाइरेक्शन है और प्राविन्शयल गवर्नमेन्ट को डाइरेक्शन है उससे एक्जीक्यूटिव में बात होती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के अन्दर भी जब इमर्जेन्सी नहीं थी तो यह बात नहीं लाई जा सकती थी कि जो गिरफ्तारी हुई है वह गलत हो या सही हो, कौन काजेज हैं यह सवाल नहीं उठाया जा सकता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं जानना चाहता हूं कि रिट इस परपज का दाखिल हो सकता था कि नहीं ? दिक्कतें थीं या नहीं ?

श्री प्रभु नारायण—

श्रीमन्, गर्ग साहब को बताना चाहता हूं कि मैं भी इसका भुक्तभोगी एक वर्ष रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट जब इमर्जेन्सी लागू नहीं थी, मीसा लागू नहीं था जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा कि जो गिरफ्तारी हुई है वह आधार सही है या गलत है। केवल यह उनको देखने का अधिकार था कि बोनाफाइडी और मैलाफाइडी। ऐसी स्थिति में जो मीसा के सिलसिले में गिरफ्तारी है और मीसा का जो इस्तेमाल है। इमर्जेन्सी आने के बाद माननीय गर्ग साहब कहते हैं कि पोलिटिकल कारणों से भी इमर्जेन्सी लाने का काम हुआ। पोलिटिकल कारणों से मीसा लगाने की बात हो सकती है, जेल भेजने की बात हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज को देखते हुए जो इस समय ऐक्शन की बात है एब्रीथिंग इस पोलिटिक्स में हर इकनोमिक ऐक्शन पालिटिकल ऐक्शन से जुड़ा हुआ है, हर पालिटिकलऐक्शन इकनोमिक ऐक्शन से जुड़ा हुआ है, पोलिटिकल ऐक्शन इस मायने में जरूर है कि कुछ लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते थे, डेमोक्रेसी की जो मर्यादायें हैं उनको तोड़ना चाहते थे और ऐसी हालत में इमर्जेन्सी लाने की बात हुई और उसके वह

[श्री प्रभु नारायण]

समर्थक रहे हैं। लेकिन आज ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ज्यादा नाराजगी है। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह जो उदाहरण दिया कि यदि आज उनके कमरे में कोई सब इन्सपेक्टर चस्पा करायेगा कि हम आपको शूट डाउन कर देंगे और कोई ऐक्शन नहीं होगा तो मैं कहना चाहूंगा कि आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० के रहते हुए उसे एक मिनट बाहर रहने का अधिकार नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप मुझे बचा लेंगे, लेकिन अदालत में नहीं जा सकता।

श्री प्रभु नारायण—

जो 353 में डाइरेक्शन है केवल उतना ही लिमिटेड ऐक्शन एक्जीक्यूटिव लेने का हकदार है, उसके बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० को इरेडीकेट कर दिया गया है। जो बहस गर्ग साहब ने उठाई है तो उन्होंने इतना बड़ा वातावरण खड़ा कर दिया कि ऐसा लगता है कि लाइफ एण्ड लिबर्टी इस देश में नहीं है। मुझे तो यह सुनकर ताज्जुब हुआ। अगर ऐसे लोगों को चिन्ता होती जो स्मगलर्स हैं, ऐसे लोगों को चिन्ता होती जो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहने देना चाहते और जो ग्रान्ड एलाएन्स के कायल हैं तो मुझे आश्चर्य न होता लेकिन गर्ग साहब से यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। देश में एक ऐसा समुदाय है जिसे चिन्ता है 226 के बारे में। अगर कोई ट्रान्सफर हो तो उसमें हाई कोर्ट से स्टे मिल जाय, सीलिंग का मामला हो तो स्टे मिल जाय। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें 226 में जाकर स्टे लेने की बात न हो। ऐसी हालत में मैं गर्ग साहब के साथ रहूंगा कि जो भी फन्डामेन्टल राइट्स निश्चित हो जायं उसमें 226 का इस्तेमाल हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग —

आप लाइफ एण्ड प्रापर्टी को हटाना चाहते हैं।

श्री प्रभुनारायण—

शायद गर्ग साहब ने मेरी बात सुनी नहीं। मैं इस राय का हूं कि सोशलिज्म इस देश में आना चाहिए। इस राय का हूं कि कांस्टीट्यूशन में फन्डामेन्टल राइट्स में राइट आफ प्रापर्टी का अधिकार है दैट मस्ट गो फ्राम दि कांस्टीट्यूशन। ऐसी स्थिति में उसके हट जाने के बाद जो और फन्डामेन्टल राइट्स हैं उनमें 226 का इस्तेमाल करें तो उनमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ट्रान्सफर में स्टे, सीलिंग में स्टे तो यह चलने वाली बात नहीं। शराब की दूकान की नीलामी की बात हो जाय तो उसमें स्टे। ऐसी स्थिति में वह भी इस राय के हैं और मैं भी हूं कि संविधान में इस देश की आकांक्षाओं को देखते हुए, समाज में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए तब्दीली जरूरी है।

आज केवल न्यायपालिका के नाम पर ही यह कहा जाय कि यह सब कुछ हो रहा है तो यह ठीक नहीं है। यह ठीक है कि इस क्लास सोसाइटी के अन्दर हमारी न्ययापालिकायें कभी-कभी ऐसे काम कर देती हैं जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के पक्ष में जाता है और ऑप्रेस्ड के खिलाफ जाता है। जब तक इस क्लास सोसाइटी का परिवर्तन नहीं होता है यह स्थिति रहेंगी लेकिन इस मामले में हमको गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। जजेज के नुक्तेनजर किस प्रकार के हैं वे समाज की धारा की तरफ हैं या नहीं, इसको हमें देखना होगा। लेकिन अगर इसके साथ ही साथ हम यह सोचें, इस बात पर गौर करें तो इस बारे में मैं यह कह सकता हूं कि प्रयास कर सकते हैं, उस दिशा की तरफ चल सकते हैं और उसके लिए प्रयास हो रहा है। इन्दिरा जी के नेतृत्व में जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसका प्रयास इस दिशा में बराबर हो रहा है। हमारे मन में इस बात का दुःख है कि आप भी कभी-कभी दबी जबान में इसमें फंस जाते हैं, इस मामले में आपको सुधार करना चाहिए।

इस मौके पर हिन्डालको की भी चर्चा की गई। मुझको भी अपने साथियों के साथ, 400–400 लोगों के साथ इस लड़ाई में रहने का मौका मिला है। हिन्डालको

स्टाफ ऐसोसिएशन का मामला था कि वे वर्कमैन हैं या नहीं ? जो आर्बीट्रेशन के केसेज पेंडिंग हैं। पुअर लीगल एड के मामले में उनकी जो सूबे की ब्रांच है उसके एक्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री एस0 सी0 खरे हैं। उन्होंने घोषणा की कि वे 5 मुकदमों में मुफ्त पैरवी करेंगे। पहला मुकदमा जो उन्होंने किया वह वहां के मजदूरों के स्टाफ एसोसिएशन का मुकदमा था। इस केस में निर्णय मजदूरों के पक्ष में हुआ कि जो स्टाफ के लोग हैं वे वर्कमैन हैं। जो मालिकों का रुख था उस रुख के खिलाफ हाई कोर्ट का भी फैसला हुआ। पुअर लीगल एड का मामला जो उसका कार्य सरकार के ऊपर है लेकिन गर्ग साहब और नेगी जी हैं या फिर उधर बैठे हुए या इधर बैठे हुए लोग है और जो कि गरीबों की मदद करना चाहते हैं उनको इस बात को अवश्य लेना चाहिए कि वे गरीबों के कुछ मुकदमें मुफ्त करेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी बार के वकीलों से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस बात का निर्णय करें कि वे कुछ मुकदमें मुफ्त अवश्य करेंगे। जीविकोपार्जन के लिए वे और मुकदमों को तो करें लेकिन गरीबों की मदद के लिए कुछ मुकदमों को निःशुल्क करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की नई परम्परा अवश्य स्थापित होनी चाहिये। हमको लोगों को अपने राइट्स के बारे में कान्सेन्स करने की भी जरूरत है। इसके लिए हमारी पोलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार हैं वे चाहे कोई भी पोलिटिकल पार्टीज हों और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम हमको और आपको करना है। माननीय ऊदल जी ने बैठे-बैठे कह दिया कि पेशकारी के धन्धे में मैं भी कभी कोर्ट में शामिल था। मैं उनको बतला दूं कि मैं कभी शामिल नहीं था। मौका आया होगा तो मैं कोर्ट से चला गया हूंगा, इतना धर्म निर्वाह हमेशा किया। फिर मेरी बड़ी चेकर्ड लाइफ रही वकालत के दौरान। सन् 1942 में वकालत का विद्यार्थी था तो तीन साल के लिए जेल गया और लगातार जेल में रहने से जो वकालत मैंने की तो वह गरीबों की मदद के लिए की।

श्री ऊदल—

मैंने यूं ही कह दिया था। माननीय मन्त्री अगर पर्सनली बहुत अधिक फील कर रहे हैं, तो मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेता हूं।

श्री प्रभु नारायण—

मैंने वकालत की जिन्दगी में कभी टेनेन्ट इन चीफ का मुकदमा नहीं लिया, किसी बड़े आदमी का मुकदमा नहीं लिया और हमेशा गरीब आदमी का ही मुकदमा लिया। 1952 का जमाना ऊदल जी याद करें जब शिकमीदारों को अधिवासी बनाने और शिकमीदारों को सीरदारी राइट्स दिलाने के लिए हमने संघर्ष किया था। उस समय ऊदल साहब के क्षेत्र में भी संघर्ष छिड़ा हुआ था, चन्दौली का क्षेत्र भी इन संघर्षों से छिड़ा हुआ था और उनको मालूम है कि उनमें हमने क्या रोल प्ले किया था। उस समय लोग कांशस थे इसलिए उनको राइट्स मिले वर्ना वह राइट्स नहीं मिलते। जहां तक राइट्स के प्रति कांशस कराने का प्रश्न है सरकार को इसमें काम करना है लेकिन पोलिटिकल पार्टीज को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जहां तक लीगल एड की बात है उसमें 5 लाख रुपए का जो प्राविधान रखा गया है उससे हमको सन्तुष्टि नहीं है। इस कार्य को समुचित तरीके से हर जिले में विस्तार के साथ चलाना है। मेरे दोस्त जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को रखा था उन्होंने कहा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स बड़ा सफोकेशन फील कर रहे हैं। उनके सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स थे उनमें से पहले एक चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनता था लेकिन अब हम 20 एडीशनल चीफ मैजिस्ट्रेट्स और बनाने जा रहे हैं। अब हम आगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की भरती नहीं करेंगे। 140 का कुल यह कैडर है। इसे अब हम एक डाइंग कैडर की तरह रखना चाहते हैं। इनमें से हम 15 को एडीशनल सेशन जज बनाने की बात भी सोच रहे हैं।

हम यह भी विचार कर रहे हैं कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को क्रिमिनल मुकदमों के साथ-साथ सिविल मुकदमें करने का अधिकार भी दे दें जिससे उनका स्टेटस बढ़े। इसके

[श्री प्रभु नारायण]

साथ उन्हें एडीशनल कमिश्नर बनने का अधिकार है और बोर्ड आफ रेवेन्यू में भी उनका आदमी एक मेम्बर हो कर आता है। अब 140 के इस कैडर के लिए जितने एवेन्यूज खोल दिए गए हैं, उसके बाद उनको कोई सफोकेशन नहीं होना चाहिए। इस एवेन्यू के खोलने के बाद उनको सफोकेशन नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर और कुछ विशेष न कह कर मैं माननीय अग्रवाल जी और माननीय काशीनाथ जी ने जो कुछ कहा है उनकी बातों का क्या उत्तर दूं। माननीय अग्रवाल जी शायद उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे जब मैं यह अनुदान रख रहा था। उस समय मैंने उनकी बातों का पहले जवाब दे दिया था। साथ ही काशीनाथ जी ने जो कुछ कहा, उसका क्या उत्तर दूं, वे स्वयं एक परिवर्तन वाले आदमी हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरठ में बेंच बनाने जा रहे हैं, या नहीं ?

श्री प्रभु नारायण—

यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अब उठ रहा है। आप पिछली बार स्वीकार कर चुके थे।

श्री प्रभु नारायण—

जहां तक मेरठ में बेंच बनाने की बात है उसमें लीगल डिफीकल्टी है। उसके बारे में स्थिति विस्तार से बताने की बात होगी। इस समय केवल यही कह सकता हूं कि उसमें छानबीन की बात है। लेकिन इस समय अभी कोई बेन्च मेरठ में बनाने की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैंने जो अनुदान रखा है, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन उसे स्वीकार करेगा और कटौती का प्रस्ताव वापस लिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री देवकुमार यादव जी क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

*श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि माननीय सदस्यों ने मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए। जो चर्चा सदन में इस सम्बंध में हुई उसका स्तर काफी हद तक उठाया गया। माननीय मन्त्री जी ने माननीय गर्ग जी के भाषण के सम्बन्ध में ऐसा महसूस किया कि वे कुछ क्षोभवश बात कह रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वे प्रदेश की जनता को इन्साफ मिलने के सम्बन्ध में अपनी भावनायें प्रदर्शित कर रहे थे। हम लोगों ने जो भी कहा न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में प्रदेश की जनता और जुडीशियरी की गरिमा को बनाए रखने के लिए ही कहा था। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियल आफीसर और जजेज की तनख्वाह एवं सुविधायें भी बढ़नी चाहिए। मैं अन्त में एक छोटा-सा किस्सा न्याय को जिन्दा रखने के सम्बन्ध में अगवेदन करना चाहता हूं। मध्ययुगीन समय में एक स्टेट थी। उसमें एक परम्परा थी कि निर कोई मरेगा तो घंटा बजता था। एक वक्त एक व्यक्ति का किसी जमीन पर कब्जा था उस पर एक बड़े सबल व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। इसके लिए वह हर जगह गया अपील की और यहां तक कि वह राजा के पास भी गया लेकिन वहां भी उसे सही न्याय नहीं मिला। वह घंटा बजाने लगा। परम्परा यह थी कि जब राजा मरता था तो घंटों घंटा बजता रहता था। उसी प्रकार उस दिन भी घंटा बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा। सब लोग आ गए कि आखिर घंटा इतना क्यों बज रहा है कौन मर गया ? उससे पूछा गया तो उसने बताया कि स्टेट का राजा जिन्दा है लेकिन इस स्टेट का इन्साफ मर गया है। इसलिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में इन्साफ मौजूद है लेकिन उसको कायम रखना मुश्किल हो जाता है। हमें आशा है कि इस मुल्क में इन्साफ जिन्दा रहेगा और उसकी गरिमा बढ़ेगी तभी जनतन्त्र कायम रह सकता है। माननीय मन्त्री जी ने हमारे कटौती के प्रस्ताव की बहुत सी बातें मान ली हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी सन्दर्भ में, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्वर्ण सिंह पैनल कमेटी की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं उनसे हमें भी अवगत कराया जाय और हमारी ये भावनायें माननीय मुख्य मन्त्री जी तक भी पहुंचा दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(श्री देव कुमार यादव का कटौती का प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,13,11,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 69—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,64,54,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,85,53,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,64,44,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,04,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री प्रभु नारायण]

मान्यवर, इन अनुदानों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरा दूसरा अवसर है कि जब कि मैं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजनों के बजट इस सदन के विचारार्थ एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। चिकित्सा मन्त्री होने के नाते मेरा यही प्रयत्न है कि लोगों का जीवन अधिक लम्बा, अधिक सुखी और स्वस्थ हो और यही मेरा निरन्तर प्रयास भी रहा है कि जनसाधारण को विशेषकर गरीब जनता को अधिक से अधिक, चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो और अस्पतालों में अच्छी तरह के उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध हों। तभी मुझे पूर्ण सन्तोष प्राप्त होगा जब जनता इस बात को महसूस करेगी कि सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है और अस्पतालों में डाक्टर व अन्य कर्मचारी भी उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मन्त्री होने के नाते मेरी यह अभिलाषा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से हैजा, प्लेग, चेचक पर काबू पाने की बात हुई है उसी तरह के लिप्रोसी के सिलसिले में तथा अंधेपन की बीमारी दूर करने के सिलसिले में हम इस प्रदेश में लड़ाई जीत सकें। हमारा इस बात का प्रयास और कोशिश है। इस सदन के माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि जो प्रिवेन्टिव मेजर्स बीमारियों की रोकथाम के लिए इस प्रदेश में मेडिकल विभाग की तरफ से प्रयोग किए गए उसी के कारण जो एवरेज आयु पहले लोगों की 29 वर्ष थी वह 54 हो गई है और उसको धीरे-धीरे बढ़ने की सम्भावना बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा कार्य करें जिससे लोगों की आयु में वृद्धि हो। आप, हम ऐसा उत्तर प्रदेश देखना चाहते हैं, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् हो। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में जो काम करने का मौका मुझे मिला और जो उस सम्बन्ध में मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, उसमें हमारा इस बात का प्रयास है कि हम अपने प्रदेश की, जनता की जो बीमारियां रही हैं, उसका मुकाबला करके उनको खत्म करें। साथ ही जो बीमारियों से उत्पन्न बीमारियां हैं, उनका अच्छा से अच्छा निदान किया जाए। इसलिए इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा काफी अधिक धनराशि रखी गई है। आप देखें सन् 1947 में यह बजट केवल 2 करोड़ 47 लाख रुपए का था, जो 1975-76 में बढ़कर 59 करोड़ रुपए का हुआ और इस 1976-77 के वर्ष में बजट में 72 करोड़ 3 लाख रुपए का हो गया है।

पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हम अपने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बजट पर अधिक धन खर्च करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष हम एक व्यक्ति पर, चिकित्सा पर, केवल 5 रुपया 8 पैसा खर्च करते थे, लेकिन इस बजट में 7 रुपया 20 पैसा एक व्यक्ति पर हम खर्च करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास इस बात का है कि हम इस प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक चिकित्सा की ओर ध्यान दें। इस सम्बन्ध में मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि 1973-74 में कुल 2 करोड़ रुपया खर्च होता था, 1973-74 में वह 3 करोड़ 77 लाख हुआ, 1975-76 में 4 करोड़ 21 लाख खर्च हुआ। जिस वक्त हमने इस विभाग का चार्ज लिया और 1976-77 में यह बढ़कर 7 करोड़ कर दिया गया है यानी 7 करोड़ रुपया दवाओं पर हम खर्च करने जा रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारा दवा पर खर्च है, वह करीब 3 करोड रुपया अधिक इस वर्ष होगा। इस सम्बन्ध में हमारा इतना अवश्य कहना है कि दिक्कतें हैं, दवाओं के मामले में परेशानियां हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी भरसक जो व्यवस्था हम करा सकते हैं, करने का पूरा प्रयास किया है। और हम आगे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सबूत यह है कि हमने काफी दवाओं के मामले में बढ़ोत्तरी की है। इस वर्ष हम कुछ नई योजनाओं को चलाने जा रहे हैं।

कुष्ठ रोग, जिसकी गम्भीरता के बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं और जिसके कारण समाज में काफी परेशानी और दिक्कत रही है और रोग के प्रति अश्रद्धा की भावना लोगों में बन जाती थी, उस रोग से समाज को मुक्त कराने की लड़ाई हमने शुरू कर दी है।

हमने सोचा है कि उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की जाय। केन्द्रीय सरकार भी इस दिशा में सचेष्ट है और वह स्माल-पाक्स की तरह इसे जड़ से खत्म करने की लड़ाई लड़ने जा रही है और इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश भी उनके साथ पूरी ताकत से शामिल होना चाहता है। इसलिए हमने—मन्त्रि परिषद् ने इस बात का फैसला किया है कि हम सभी मुख्य तीर्थस्थानों—काशी, अयोध्या, प्रयाग, कानपुर और हरिद्वार इन पांच स्थानों पर कुष्ठ रोग के रोगियों के लिए 20 शैय्याओं वाले वार्ड्स की स्थापना करें, जो कि पहले वालों के अतिरिक्त होंगे। उन अस्पतालों के अलावा हम हर अस्पताल में, जो गंगा के तीर्थ स्थान है और जो गंगा के किनारे बसे तीर्थ स्थान हैं, उन स्थानों पर भी अधिक संख्या में इस प्रकार के रोगी इक्ट्ठा होते हैं। इसलिए हमने इस बात का निश्चय किया कि काशी, अयोध्या, प्रयाग, कानपुर, हरिद्वार आदि स्थानों में 20-20 बेड का कुष्ठ रोग का हास्पिटल खोलने का कार्य किया जाय। यह अस्पताल अलग भी हो सकता है। यह जो जनरल हास्पिटल है उसमें अलग वार्ड बना कर हो सकता है। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट, गोरखपुर, कानपुर आदि मेडिकल कालेज में कुष्ठ रोग के सिलसिले में है, हम इसको कुछ और विस्तार करना चाहते हैं।

इस वर्ष लखनऊ मेडिकल कालेज के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट को विशेष अनुदान देकर उसको सुसज्जित करने का कार्य किया जा रहा है। 7-8 लाख रुपए से ऊपर प्लास्टिक सर्जरी विभाग, लखनऊ मेडिकल कालेज को दिया गया है जिसके सम्बन्ध में हम आगे जो है अच्छी कार्यवाही कर सके और जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित रहे हैं उनको प्लास्टिक सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से उनको अच्छा बना सकें। इसी तरह से नेत्र रोग के मामले भी लड़ाई लड़ने का प्रश्न है। भारत वर्ष मे 1/3 नेत्र के रोगी हैं। सारी दुनियां में 1/3 रोगी इस प्रदेश में हैं और 18 लाख लोग अन्धेपन की बीमारी से आज पीड़ित हैं। इस बीमारी का मुकाबिला करने के लिए हमने इस बात का निर्णय लिया है और हम केन्द्र से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं देहात में 875, वहां नेत्र रोग के उपचार की व्यवस्था की जाय। हमारा प्रयास यह भी है कि प्रत्येक जिला अस्पताल में 20 नेत्र शैय्याओं तथा एक नेत्र सहायक की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय। इस समय बड़े अस्पतालों में तो नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था है लेकिन जहां पर जिला अस्पतालों में नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है वहां पर 20 शैयाओं का एक वार्ड नेत्र चिकित्सा के सिलसिले में खोला जाय। दो मेडिकल कालेजों में आज विशिष्ट रूप से नेत्र चिकित्सा के सिलसिले में कार्य किया जा रहा है।

इस सिलसिले में यह भी बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ तथा सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को क्षेत्रीय इन्स्टीट्यूट में बदलना चाहता हूं और उनको और सुसज्जित कराने का कार्य करना चाहता हूं। हम यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक डिवीजन पर एक सचल नेत्र यूनिट कायम किया जाय और नेत्र रोग के सिलसिले में आज जो कार्य जरूरी है उसे करने का कार्य किया जाय। नेत्र बैंकों की स्थापना के सिलसिले में भी कार्य करने को है। इस सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस समय सिस्टम है, उस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम जो 3 टायर सिस्टम को लागू करना चाहते हैं, जिसके सिलसिले में प्रधान मन्त्री जी ने भी अपनी स्पीच में दिल्ली में सलाह दिया था। ऐसी हालत में हम चाहते हैं कि सचल 13 टीम कायम की जायं। हमारे मेडिकल कालेज के कुशल डाक्टर और इसी के साथ-साथ जो गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज हैं, उनके 13 सचल दल इस वक्त कायम करने की बात है, जिसमें कि मेडिकल कालेज के लोग प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर जाकर मरीजों को देखेंगे। जो केसेज वहां से रिफर होकर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल को जायेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से रिफर होकर मेडिकल कालेज को जायेंगे, उनका देखना अनिवार्य होगा। इसके लिए हमने बजट में व्यवस्था की है। इस के साथ-साथ गणेश शंकर स्मारक मेडिकल कालेज में मेडिकल कोर्स प्रारम्भ करने का निश्चय किया है।

[श्री प्रभु नारायण]

मान्यवर, हमने ओपेन हार्ट सर्जरी का कार्य भी आरम्भ करने का निश्चय किया है। इस बारे में कानपुर में जे0 के0 इन्डोलोजी इन्स्टीट्यूट में 9.50 लाख रुपए से इस कार्य को प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पर 10 करोड़ की आबादी है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज का प्रश्न था, वह नहीं था, उसको करने का निश्चय किया गया है। इसके लिए सन् 1936 से विचार चल रहा है। यह विचार अभी तक पूरा नहीं हो पाया लेकिन 1975-76 के वर्ष में 50 लाख रुपया हमने इस कार्य के लिए दिया है। शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि इसके जो डाइरेक्टर हो वह इस कार्य को आगे बढ़ा सकें, इसीलिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर हैं जो पहले मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रिन्सिपल थे, उनको इसका डाइरेक्टर बनाने का निश्चय किया है, वह अपनी एडीशनल ड्यूटी के साथ इस कार्य को करेंगे जिससे कि उसका काम तेजी से आगे बढ़े और जो कार्य पिछड़ा रहा है उसको पूरा किया जा सके। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमारा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह उत्तर प्रदेश को इस सम्बन्ध में सहायता दे और हम भी अपनी क्षमता से इस कार्य को करेंगे। अब मैं परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आज इस बात पर हमें ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। यहां पर 61 में 7 करोड़ 27 लाख की आबादी थी और 71 में 8 करोड़ 83 लाख हो गया और इस समय 10 करोड़ के लगभग है। अगर आबादी का प्रश्न विफल होता है तो यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसकी सफलता इसी पर निर्भर है। इस वर्ष जो 1975-76 में इस सम्बन्ध में कार्य हुआ है उसमें हमने 73 प्रतिशत टारगेट पूरा किया है। लेकिन इससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इन्सेन्टिव और डिसइन्सेन्टिव की स्कीम लागू की जा रही है। बहुत सख्ती के साथ इसको करना है। हम इसके लिए कम्पलशन के के लिए भी सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सख्ती के साथ किया जाए और उसको लागू किया जाए इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है, इसकी जिम्मेदारी बहुत है। हमारा पोलिटिकल कमिटमेन्ट है, सरकार का कमिटमेन्ट है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि जनसंख्या वृद्धि को इस देश और प्रदेश में रोका जाय, और हर हालत में रोका जाय, चाहे वातावरण क्रिएट करके रोका जाय, जरूरत पड़े तो इन्सेन्टिव और डिसइन्सेन्टिव तरीके से रोका जाय और यदि उससे भी काम न चल सके तो कम्पलशन का रास्ता अख्तियार करके रोका जाय। इस सम्बन्ध में हमें बहुत कुछ काम करना है। हम अपने 40 प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स पर आपरेशन थियेटर्स कायम करने जा रहे हैं। साथ-साथ जितने हमारे जिला हेडक्वार्टर्स हैं उनमें भी आपरेशन थिएटर्स कायम करने का काम करने जा रहे हैं।

चैरिटी के माध्यम से इस प्रदेश में बहुत कुछ काम आगे बढ़ाने का हुआ है। इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि कई स्थानों पर चैरिटेबिल ट्रस्ट्स के माध्यम से बहुत अस्पताल बने हैं लेकिन एक विशेष उपलब्धि यह हुई है कि हरिद्वार में एक ट्रस्ट ने 10 लाख रुपये देकर एक राजकीय अस्पताल बनवाया है। इसके अलावा चैरिटी के माध्यम से अधिक से अधिक कार्य हम इस प्रदेश में करना चाहते हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा की जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं है, इसमें सभी को साझीदार बनना पड़ेगा। साझेदारी के रूप में जन सहायता का कार्य कर सकते हैं।

वर्ल्ड बैंक के तहत लखनऊ में 4 परिवार नियोजन केन्द्र और 4 प्रसूति घर वर्ष 1975-76 में स्थापित किए गए थे लेकिन वर्ष 1976-77 में लखनऊ नगर में 4 प्रसूति घर और नगर परिवार योजना केन्द्र खोले जायेंगे। हम 30 बैड्स के महिला अस्पताल भी प्रदेश में

स्थापित करने जा रहे हैं। एक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र और 24 प्रसूति गृह रायबरेली और सहारनपुर जिलों में भी खोलने की बात है।

जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की चिकित्सा का प्रश्न है इन दोनों पर सरकार का ध्यान है। यूनानी पद्धति के सम्बन्ध में तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि कोई बड़ा इन्स्टीट्यूशन सरकारी क्षेत्र में हो और अगर लखनऊ के यूनानी कालिज को उसके प्रबन्धक लोग सरकार को देने को तैयार हों तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेकर उस यूनानी कालेज को चलाने के लिए तैयार है।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के लिए 1 करोड़ रुपए की अथोराइज्ड कैपिटल से हम एक आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि निगम बनाने जा रहे हैं और इस वर्ष उसका काम आरम्भ हो जायगा।

इसके साथ-साथ आज मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको बढ़ाने के लिए बहुत कार्य हुआ है। हमारे मेडिकल कालेज, लखनऊ, झांसी और कानपुर तथा अन्य मेडिकल कालेजों में बहुत कार्य हुआ है। मैं विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन सदन को मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार का ध्यान इस मेडिकल शिक्षा की ओर पूरी तरह से है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा को उच्चस्तर का बनाने का कार्य है उसकी ओर भी सरकार का ध्यान है। चाहे वह आयुर्वेदिक पद्धति हो, या एलोपैथिक पद्धति हो।

आज हमारे पास साधनों की बड़ी कमी है, फिर भी जो कुछ भी वित्तीय साधन हैं, उसके भीतर जो कुछ भी करना सम्भव होगा उसे करने का हम प्रयास करेंगे। अब मैं समझता हूं कि यदि सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो बहुत कुछ करने में हमें सफलता मिलेगी। इस अवसर पर इतना कहना जरूरी है कि कई अस्पतालों में जहां स्पैशलाइजेशन नहीं है, हड्डी रोग के मामले में, बच्चों के रोग के मामले में तो इनके लिए भी स्पेशलिस्ट—दांत रोग के लिए भी—नियुक्त किए जाने वाले हैं। इन चन्द शब्दों के साथ जो बजट है वह आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब की ओर से इस बजट को स्वीकृति मिलेगी।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

अगर इजाजत हो तो चारों पर कटौती पेश कर दूं, इकट्ठे।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि पेश करना चाहें, तो करें।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनुदान संख्या 69—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—इन चारों अनुदानों के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि इन अनुदानों की समस्त धनराशि की मांग को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(बिजली चली जाने पर)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मन्त्री जी चले गए और अपना भार ईश्वरी सिंह को दे गए इसलिए बिजली चली गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के उन कार्यों का अभिनन्दन करना चाहता हूं जिनके जरिए उन्होंने इस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्रसार करने का प्रयास किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे 10 करोड़ आबादी वाले सूबे में, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल ज्यादा पर-केपिटा दवाओं में खर्च करेंगे तो उन्होंने साढ़े सात रुपया रखा है जो इतना नाकाफी है जिससे प्रदेश की ग्रामीण जनता का ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है। 7 रुपए कुछ पैसों में तो अच्छे दो इंजेक्शन भी नहीं आते और जिस तरह से हमारे प्रदेश में गरीबी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं अगर उसके हिसाब से प्राविधान नहीं किया गया तो जनता को स्वस्थ और जिन्दगी को बढ़ाने, सुखी बनाने का जो लक्ष्य उनका है, जैसे कि श्लोक पढ़ा, "सर्वे भवन्तु सुखिन :" तो वह भावना पूरी नहीं हो सकती। प्रदेश में खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का जो अभाव है उसके लिए दो तीन तथ्य बहुत जिम्मेदार हैं। पहला है डाक्टरों की कमी। अभी हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कानपुर में स्पीच में कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में 2000 की आबादी पर एक डाक्टर उपलब्ध कराया जाय। लेकिन 10 करोड़ आबादी के इस प्रदेश के अन्दर केवल 14 हजार डाक्टर हैं। तो यह हमारा सपना या कल्पना, यह भावना राज्यपाल महोदय की कभी पूरी होगी—हम अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज प्रवृत्ति यह है कि जो डाक्टर उपलब्ध होते हैं वह गांव में जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि डाक्टरों को देहाती क्षेत्रों में ऐसी सुविधायें उपलब्ध करायी जायं और उनके दृष्टिकोण को बदला जाय ताकि वह गांव में जाकर भी सेवायें कर सकें और गांव की जनता जोकि प्रदेश की 85 प्रतिशत गांव में रहती है उसका भी कल्याण हो सके और लाभान्वित हो सके। लेकिन जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया, डाक्टरी सुविधायें इतनी कम उपलब्ध हैं और जो है उसका केन्द्रीय-करण बड़े कस्बों, शहरों और कुछ सेन्टर्स में है तो उसका फायदा बहुत ज्यादा जनता को नहीं होता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई ऐसी योजना, ऐसा कार्य-क्रम बनायें जिससे गांव तक, उस गरीब आदमी तक—क्योंकि गरीबी ही बीमारियों को पैदा करती है—उस तक दवा पहुंच सके।

मान्यवर, कुछ दिन पहले अस्पतालों की पर्चियां मुफ्त बनती थीं। लेकिन यह बड़ी बिडम्बना है कि जब आदमी अस्पताल जाता है तो उससे 50 पैसे पर्ची बनवाने के लिए लिए जाते हैं। मेरे शहर में अस्पताल कुछ दूर है। 2-3 रुपए रिक्शे के लगते हैं। जब मरीज अस्पताल पहुंच कर 50 पैसे की पर्ची बनवाता है तो या तो दवा उपलब्ध नहीं होती, डाक्टर लोग केवल राय दे देते हैं या फिर 20 पैसे की दवा मिलती है। तो 20 पैसे की दवा लेने के लिए आदमी 3-4 रुपए खर्च कर अस्पताल पहुंचे और वहां लाइन लगा कर खड़ा रहे। इसलिए ही जो डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वे ज्यादा फलते फूलते हैं बनिस्बत अस्पताल वालों के।

मैं मंहगे इलाज के सिलसिले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, डाक्टर कर्ण सिंह ने बम्बई में 11 या 12 जनवरी को कहा था कि एक मामूली से आपरेशन में, थोड़ा सा अगर काम्पलीकेटेड है तो 10 हजार रुपए खर्च होते हैं। यह एक बहुत अहम बात है कि जहां दूसरी चीजों के दाम घटे हैं वहां आपको मालूम होगा कि पहले दवाओं के दाम जो 7.5 परसेन्ट बढ़े थे वह इधर 12 प्वाइंट कुछ बढ़े हैं। इसका कारण यह है कि आज भी इस आपातकालीन स्थिति में प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के दौरान में दवा बनाने वाली कम्पनियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। लोक सभा में यह सवाल उठा था। हाथी कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि दवा बनाने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। लेकिन माननीय रसायन मन्त्री ने यह दलील दे कर कि इनके राष्ट्रीयकरण

में 140 करोड़ रुपया चाहिए और सरकारी माध्यम से शायद प्रभावशाली ढंग से दवाओं का उत्पादन भी हो, उसको अस्वीकार कर दिया था। मैं इस प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक दवाओं के उत्पादन पर आपका कन्ट्रोल नहीं है तब तक न आप उनकी कीमतों को निर्धारित कर सकते हैं और न जो आपका लक्ष्य है गरीब जनता तक चिकित्सा सेवाओं के प्रसार करने का वह पूरा नहीं होगा। आप कितने ही हकीम बनायें, कितने ही डाक्टर बढ़ा दें, कितने ही सेन्टर्स खोल दें लेकिन जब तक आपके पास दवा का इन्तजाम नहीं होगा तब तक सारे डाक्टर और अस्पताल बेकार हो जायेंगे।

कानपुर में तमाम फैक्टरीज हैं जहां आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवायें बनती हैं लेकिन जब तक उन पर सरकार का नियन्त्रण नहीं होता तब तक आप दवाओं के दाम निर्धारित नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आज समय की मांग है कि आप उनका राष्ट्रीयकरण करके उनके उत्पादन को अपने हाथ में लें। आज मामूली-मामूली चीजों के दाम तय हो रहे हैं। साबुन अगर आदमी को न मिले तो आदमी जिन्दा रह सकता है। अगर कास्मेटिक्स की कोई और चीज न मिले तो आदमी जिन्दा रह सकता है। उनके दाम आज सरकार की नीतियों के जरिये निर्धारित हो रहे हैं और गड़बड़ करने वालों को मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्द किया जा रहा है। लेकिन वहीं एक टिटनस के मरीज को अगर समय से दवा नहीं मिलती है तो वह जिन्दा नहीं रह सकता है। कितना बड़ा मखौल है कि जिस चीज से इन्सान की जिन्दगी बचायी जा सकती है उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। कानपुर में पिछले साल ग्लूकोज कांड हुआ। इसके अलावा मंहगी दवाओं में किस तरह से मिलावट हो रही है इसका एक केस बम्बई में पकड़ा गया। एक कम्पनी किसी कीमती दवा का इमीटेशन बनाती थी जो जिन्दगी के लिए हानिकारक ही नहीं जिन्दगी लेने वाली थी। तो अगर आप चाहते हैं कि दवाओं में इस तरह की मिलावट न होने पाए और लोगों की सेवा हो, तो आपको प्रभावकारी कदम उठाने पड़ेंगे।

मान्यवर, देखने को जगह जगह बड़े-बड़े अक्षरों में मिलता है, मच्छर रहेंगे पर मलेरिया का नाश हो गया। मगर ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां अतर्रा तो ऐसी जगह है जहां इतने मच्छर हैं कि आप रात को सो ही नहीं सकते। अभी एक महिला प्रिन्सिपल को एक रात वहां ठहरना पड़ गया। सबेरे वे जब उठीं तो उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे उनके शरीर में चेचक निकल आयी हो। मैंने उनसे पूछा यह क्या हुआ? उन्होंने कहा कि रात को अतर्रा में रहना पड़ गया, उसका यह फल है। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर इतने मच्छर क्यों हैं? फिर ऐसी बात नहीं है कि मलेरिया का समूल उन्मूलन हो गया है। आज भी मलेरिया और हैजे का प्रकोप है। जब लाखों और करोड़ों रुपया आप इस देश की गरीब जनता का खर्च कर रहे हैं, उससे टैक्स ले रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। लखनऊ शहर में ही कई लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। अन्य क्षेत्रों में तो मलेरिया से मौतें तक हुई हैं। बरसात आने वाली है, उसमें यह और बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग आज गर्व कर रहा है, मगर आप जांच करा के देखिए। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन से आपको सहायता भी मिलती है, आप इसकी अवश्य जांच कराइये।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए वे बेहतरीन व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। सारी दुनियां के कुष्ठ रोगियों की 1/3 संख्या हिन्दुस्तान में है। तीर्थ स्थानों में जाकर जहां उन स्थानों को देख कर तबियत खुश होती है वहां इन लोगों को देख कर बड़ा दुख होता है। सैकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोग के पीड़ित नरमुंडे कराहते हुए तीर्थस्थलों पर मिलते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह आवश्यक है कि आप किसी आश्रम टाइप की व्यवस्था करें। अगर आप वाकई

[श्री देवकुमार यादव]

में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को नयी जिन्दगी देना चाहते हैं और कुष्ठ रोग का निवारण करना चाहते हैं तो वे आपके अस्पतालों में आएं या न आवें, इस विभाग को जहां भी कुष्ठ रोग से पीड़ित इन्सान दिखलाई पड़े उन्हें अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए और उनको राहत पहुंचा कर जिन्दगी को नयी शुरूआत देनी चाहिए।

हमारे बुन्देलखंड में जहां इतना पिछड़ापन है अन्धेपन का वर्ग बहुत ज्यादा है। एक तरफ जहां विभाग की तरफ से यह दावा किया गया है कि बड़े चेचक इस देश और प्रदेश में अब नहीं है। उससे भी अन्धेपन को दूर करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग चेचक होने की वजह से भी आंख के मरीज हो जाते हैं। लेकिन अब चेचक का उन्मूलन हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने के साथ-साथ उसे फैलने से भी रोका जाना चाहिए, और इसमें सरकारी खर्चे का प्रश्न नहीं आना चाहिये। क्योंकि यह इन्फैक्शस डिजीज है, इसलिए इसका निराकरण बहुत जरूरी है।

जैसा कि मैंने शुरू में ही उल्लेख किया था, हमारे सामने मेडिकल सेवाओं की भी काफी समस्यायें हैं, लेकिन मैं एक चीज की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह मैनेजमेंट की समस्या है। यह बात सही है कि आपकी आर्थिक कठिनाई है, जिसकी वजह से आप इन सेवाओं का विस्तार देहातों में उतना नहीं कर सकते। लेकिन जितनी सेवायें इस प्रदेश में उपलब्ध है और उसके लिए जितने साधन उपलब्ध हैं उन साधनों का कितना इस्तेमाल होता है, इसका भी पर्यवेक्षण होना चाहिए। हमारे अस्पतालों में यहां तक कि मेडिकल कालेजों में और जो लोकल अस्पताल हैं उनमें किन सेवाओं का कितना इस्तेमाल होता है, इसके लिए भी एक सुपरवाइजरी कमेटी होनी चाहिए।

मान्यवर, जिलों में तो इतनी भयावह स्थिति है, इतना मिस मैनेजमेंट है उसका एक उल्लेख कर दूं। जैसा कि पिछले बजट के वक्त अपनी स्पीच में मैंने कहा था—मैं किसी सम्मानित डाक्टर या किसी सम्मानित अधिकारी के विरुद्ध नहीं हूं और न किसी के ऊपर कोई गलत आक्षेप लगाना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, जो हकीकत है उससे आंख नहीं मूंदी जा सकती। माननीय मन्त्री जी ने जहां अपनी सारी उपलब्धियों की चर्चा की, वहां उनको चाहिए था कि अपनी खामियों की भी कुछ चर्चा करते। इस विभाग के अन्दर जितना व्याप्त भ्रष्टाचार है उनकी आत्मालोचना करते, उनका चिन्तन करते और उनमें सुधार के लिए कुछ सुझाव देते लेकिन शायद उनके दिमाग में यह बात नहीं आयी या उन्होंने जानबूझ कर ही इसका जिक्र न किया हो। उनको चाहिए कि उन समस्याओं का समाधान करते। जिले के अस्पतालों की बड़ी भयंकर स्थिति है। मैं अपने जिले की एक दर्दनाक स्थिति बतला दूं। एक डाक्टर ने तो रिश्वतखोरी और घूसखोरी की इतनी हद कर दी कि वे अपनी ड्यूटी के समय भी अपने बंगले में सोते थे। शादी का मौसम था। एक दिन रात में बारात में एक्सप्लोसिव के घायल एक आदमी को बारात वाले ले किराया करके अस्पताल में पहुंचे तो वे इमरजेन्सी ड्यूटी पर नहीं थे। पूछने पर मालूम हुआ कि वे अपने बंगले पर सो रहे हैं। जब बारात वाले उनके दरवाजे पर उनको लिवा आने के लिए पहुंचे तो पहले तो वे निकले नहीं और जब निकले तो कहा कि ढाई-तीन सौ रुपए लेंगे तब अस्पताल चलेंगे। मरीज मर रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तब यह हालत है। तो उन्होंने कहा कि श्रीमान जी हम बाराती हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है। चन्दा करके हम लोग बस से मरीज को लाए हैं कृपा करके आप चलिए। लेकिन वह माने नहीं। तब बारातियों ने जो उनके पास बीड़ी सिगरेट के पैसे थे, इकट्ठा किये और 50 रुपया दिये तब डाक्टर अस्पताल गए। जब इस बात का बाहर पता चला तो पूरी जनता में आक्रोश था।

इसी तरह की दूसरी घटना है। हमीरपुर जिले के एक आदमी को, जिसको बैल ने मारा था, उसका हाथ टूट गया था, वह अस्पताल गया इस उम्मीद से कि सरकारी अस्पताल में हमारी मुफ्त दवा हो जाएगी। तो डाक्टर ने 250—300 रुपए की मांग की। ढाई बजे तक चर्चा चलती रही फिर उसके बाद डाक्टर ने कहा कि अस्पताल का समय अब समाप्त हो गया है।

वह लोग मेरे पास आए और फिर उस डाक्टर का घेराव भी किया गया। वहां की जनता ने उनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक परचा भी छपाया था और स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन भी किया था। जांच के लिए डिप्टी डाइरेक्टर भी गए थे लेकिन मान्यवर, आज तक सिवा इसके कि उसका ट्रान्सफर कर दिया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। एक और बात के सिलसिले में एक पत्र स्वास्थ्य मन्त्री जी के यहां से मेरे पास गया था। मैंने एक केस का उल्लेख किया था। एक आदमी जो हाई कोर्ट का मुल्जिम था, उसने काफी रुपया खर्च करके एक डाक्टर से फर्जी प्रमाण-पत्र उसने बनवा लिया था। तो मान्यवर, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक व्यक्ति का सवाल नहीं है करप्शन और भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे भी डाक्टर हैं जो आपरेशन टेबिल पर घाव को खोलकर रिश्वत की मांग करते हैं और कहते हैं कि इतना रुपया दो नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जितनी सुविधायें उपलब्ध हैं, जितने साधन हैं, डाक्टर या नर्सें हैं वह अच्छा कार्य करें इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि आप प्रदेश स्तर पर एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाएं, हमारे मुख्य मन्त्री जी या स्वास्थ्य मन्त्री जी को उसका अध्यक्ष बनाया जाय जो इन तमाम बातों का निराकरण करें। जितना प्राविधान किया जाता है सरकार की तरफ से, उसकी एक-एक गोली का फायदा हमारे प्रदेश की बदकिस्मत जनता को मिले, यह मेरा निवेदन है।

एक बात की तरफ मैं और इशारा करना चाहता हूं, जितनी दवायें उपलब्ध करायी जाती हैं उसमें बहुत सी दवायें बाजारों में बेच दी जाती हैं। इसके बेचने का तरीका क्या है? एक डाक्टर प्रेसक्राइब करता है कि पेंसीलीन का इंजेक्शन लगाया जाय। मरीज कम्पाउन्डर के पास जाता है इंजेक्शन लगवाने के लिए। मेरा यह प्रेक्टिकल अनुभव है। मान लिया और भी 3 मरीजों के पेंसीलीन का इंजेक्शन लगना है तो कम्पाउन्डर इंजेक्शन की शीशी में घोल बनाता है और चारों मरीजों को थोड़ा-थोड़ा लगा देता है और 3 शीशियां बचा लेता है। मरीज भी नहीं कह सकता है कि उसके इंजेक्शन नहीं लगा और कम्पाउन्डर 3 शीशियां बचा लेता है जो बाजार में बेच दी जाती है। इसी तरह से तमाम दवाइयां बाजार में बिकती हैं। आप इसकी जांच कराइए तो पता चलेगा। अभी पिछले साल ग्लूकोज कांड हुआ। जो एक बात कही गयी थी कि अस्पतालों के पास जो मेडिकल स्टोर होते हैं वह दवा कभी नहीं खरीदते बल्कि सरकारी अस्पतालों की चोरी की हुयी दवाओं को बेचते हैं। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार को ध्यान देना चाहिए और जांच कराना चाहिए। एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनुदान दिए जाते हैं खर्च करने के लिए उनको डाक्टर और वहां के अधिकारी ठीक खर्च नहीं करते हैं और घपला करते हैं। लोग कमीशन लेते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गाज-पट्टी सप्लाई करने के लिए एक आर्डर एक कम्पनी को दिया गया, कानपुर की फर्म को दिया गया। गाज पट्टी का स्टेन्डर्ड साइज 18 इंच लम्बी और 6 इंच चौड़ी रखा गया था लेकिन वह 15 इंच लम्बी और 4 इंच चौड़ी खरीदी गयी। वह 1,75,000 रुपए का सौदा था। कौन जानता है कि कम साइज में पट्टी आयी है। इस तरह सांठ-गांठ करके बजट का दुरुपयोग करते हैं और कमीशन खाते हैं। इसलिए इसमें जांच करायी जानी चाहिए। मैंने एक गाज-पट्टी सील कराया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ और शायद फाइल गायब कर दी गयी। इसलिए ऐसे देशद्रोही लोगों को गोली तो मारी नहीं जा सकती लेकिन उनको जेल भेजा जा सकता है और नौकरी से बरख्वास्त आप कर सकते हैं।

[श्री देव कुमार यादव]

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकारी साधनों का बहुत दुरुपयोग होता है। आपकी कृपा से और भारत सरकार की कृपा से काफी गाड़ियां विभाग को उपलब्ध हैं। ब्लाक स्तर पर, डाइरेक्टर्स आफिस में भी गाड़ियों की संख्या काफी है। लेकिन पेट्रोल कितना महंगा हो गया है उसमें गाड़ियों का दुरुपयोग किया जाता है। आजकल गाड़ियां शादी में जाती हैं। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि राज्य स्तर के बड़े-बड़े उत्तरदायी अधिकारी अपना व्यक्तिगत सौदा करने के लिए या किसी की शादी है तो साड़ी खरीदने के लिए बनारस तक जाते हैं तो सरकारी गाड़ी से जाते हैं और दौरा दिखाया जाता है। उसमें पेट्रोल जितना खर्च होता है वह सरकार के जिम्मे आता है। इसलिए इस पर कन्ट्रोल आपको करना चाहिए। नहीं तो सारा बजट इसी पर खर्च हो जाएगा। इसलिए निवेदन है कि आप 10 करोड़ जनता पर कृपा करें।

श्रीमन्, अन्त में मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं। फेमिली प्लानिंग विभाग जब से मुझे होश है और जब मैं पढ़ता था तो सुनता था कि 2-3 बच्चे बस। लेकिन धीरे-धीरे इसकी उपयोगिता दुनिया के सामने आ गयी। दुनिया की आबादी 4 अरब पहुंच गयी है और हमारी आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। इस सन्दर्भ में हमारा अन्तर्राष्ट्रीय फर्ज है कि धरती पर जनसंख्या की वृद्धि को रोकें। मान्यवर, जितनी सुनियोजित तरीके से परिवार नियोजन को सफल बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसकी भयंकर नाकामयाबी हुई तो इसकी वजह क्या है? फेमिली प्लानिंग के फायदों को हमने जनता तक नहीं पहुंचाया। हमने उन तक यह बात नहीं पहुंचाई कि जनसंख्या में वृद्धि से गरीबी बढ़ती है और देश पर बोझा बढ़ता है। अगर यह बात लोगों तक पहुंचा दी जाय तो इसका अच्छा परिणाम होगा। हमने देखा है कि जब जब राष्ट्र के सामने चुनौती आयी जैसे पाकिस्तान का या चीन का युद्ध या बंगला देश का मामला तो लोगों ने पैसा देने के साथ-साथ अपना खून भी दिया। यही नहीं देश भक्ति पूर्ण कार्य के लिए भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फन्दे पर चढ़ गए। अगर लोगों के सामने यह बात रखी जाय कि यह देश भक्ति का इम्तिहान है तो जो लोग फांसी के फन्दे पर चढ़ सकते हैं वह एक नस न कटवायें यह मैं नहीं समझ सकता। लेकिन मुख्य बात जनता को समझाने की है। केरल जैसे प्रदेश में जहां शिक्षा ज्यादा है परिवार नियोजन में सफलता मिली है। माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि हम नसबन्दी को अनिवार्य कर देंगे। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि अगर मनोवैज्ञानिग ढंग से इस कार्य को किया जाय तो ज्यादा उचित होगा। मन्त्री जी ने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा। मैं गीता का श्लोक सुनाना चाहता हूं :—

"यद्यदाचरति श्रेष्ठः
तद्तदेव इतरे जनाः।"

अर्थात् जैसा श्रेष्ठ आदमी करते हैं तो वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। एक प्रश्न यहां उठा था कि फैमिली प्लानिंग अच्छी है। यह बात गरीब और अशिक्षित लोगों को ही सिखायी जाती है। अगर काशीनाथ मिश्र लोगों के बीच जाकर कहें कि मैंने फैमिली प्लानिंग करवा ली तो मैं नहीं समझता कि ऐसे बड़े नेता के पीछे दूसरे लोग न चलें। इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि लोगों में कुछ अन्धविश्वास है। परिवार नियोजन के बारे में गलतफहमी है जैसे यह कि नसबन्दी से आदमी का उत्साह खत्म हो जाता है या दूसरी बीमारी हो जाती है। मान्यवर, कचहरी में मैं था तो एक बुड्ढा हरिजन 60-65 वर्ष का आया। उसने कहा कि 8 साल पहले एक बी0 डी0 ओ0 ले गए थे नसबन्दी कराने के लिए। उन्होंने कहा था कि दस बीघा जमीन मिलेगी, कम्बल और अनाज मिलेगा। उसने बतलाया कि मुझे कुछ मिला नहीं सिवाय इसके कि कुछ पैसा मिला था। लेकिन उसके बाद मेरी आंख चली गई और मिला कुछ नहीं। इसी प्रकार मुझे माफ करेंगे कहने के लिए कि लोग यह महसूस करते हैं कि अगर फैमिली प्लानिंग करा ली और बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा?

माननीय सदस्यों और लोगों को अपनी बीबियों पर भरोसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरोसा रखना सीखें। एक प्रैक्टीकल किस्सा है। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। वह पढ़े लिखे हैं और सम्पन्न परिवार के हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। उनके जीजा ने और उन्होंने एक प्राइवेट डाक्टर से नसबन्दी करवायी। संयोग से इन वकील साहब की बीबी के पेट में बच्चा आ गया। वे कहने लगे कुछ गड़बड़ मामला है। यहां तक नौबत आ गई की बीबी ने यह निश्चय किया कि आत्महत्या कर लेंगे। बुड्ढी सास ने कहा कि कहीं आत्महत्या न कर लें। उन्होंने एक पड़ोसी को बुलाकर बहुत समझवाया। उसके घर में एक नौकर के अलावा और कोई नहीं था। उस नौकर को भी निकाल दिया गया। उनकी जो नन्द थी जिसके पति ने भी नसबन्दी करवाई थी, उसका भी गर्भ हो गया था। अब यह स्थिति हुई, दोनों ने तय किया कि हम साथ-साथ मरेंगे। उसके बाद वे दोनों फिर डाक्टर के पास गए तो उसने कहा कि उसने गलत नस को काट दिया था। सही रूप में नसबन्दी नहीं हुई है। तब जाकर उन स्त्रियों की जान बची। एक सरदार जी के यहां भी यही समस्या हो गई। उनकी पत्नी गर्भवती हो गईं। जब डाक्टर के यहां वे गए तो उस डाक्टर ने कहा कि मैंने आपकी नसबन्दी की थी आपके सारे घर की तो नहीं की थी। कहने का मतलब यह है कि इस तरह की घटनायें भी इसमें बाधक हैं।

लूप लगाने के सम्बन्ध में भी लोगों का कहना है कि इससे कैन्सर रोग हो जाता है। इन चीजों का प्रभाव बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इन बातों का समाधान होना चाहिए। अभी मैंने पत्र में पढ़ा कि लोक सभा में भी यह प्रश्न उठा था। जो कन्ट्रेसिप्टिव ड्रग्ज देते हैं उसका बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में किसी आदिमजाति के व्यक्ति ने जड़ी बूटियों की औषधि निकाली है जिसमें गर्भ नहीं ठहरता है। इस प्रकार की जड़ी बूटियों का भी हमारे यहां इन्तजाम किया जाना चाहिए तभी हम अधिक सफल हो सकते हैं।

इस प्रदेश में जो मेडिसिन बोर्ड है, इन्डियन मेडिसिन बोर्ड के भंग कर देने के बाद चार आयुर्वेदिक पद्धति के जो स्कूल हैं, मेरठ, आजमगढ़ और जौनपुर में उनके छात्रों का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है और यह एक बड़ी समस्या बन गयी है। इनके मैनेजमेंटस ने कानपुर यूनिवर्सिटी से अपने सम्बद्ध करने की कोई दरख्वास्त नहीं की है कि उनको उससे सम्बद्ध कर दिया जाय। आज यह जो छात्र पढ़ते हैं उनकी एक समस्या बन गयी है। वे इम्तहान में नहीं बैठ पायेंगे। नियम 51 के अन्तर्गत भी शायद कोई इस प्रकार का प्रस्ताव आया था। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहूंगा कि जनहित में से इस समस्या का कोई समाधान निकालें जिससे सैकड़ों नवजवानों का समय न बर्बाद हो और इन छात्रों का जीवन न खराब हो।

जहां तक कि आपने मेडिकल सुविधाओं के विस्तार की बात कही वहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि झांसी मेडिकल कालेज जो कि बुन्देलखंड जैसे पिछड़े इलाके में हैं, वहां छात्रों की संख्या पहले 100 थी और जैसी कि मुझे सूचना मिली है अब वह घट कर 50 की जा रही है। गोरखपुर में भी ऐसा कोई मेडिकल कालेज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि शासन का बुन्देलखंड के बारे में क्या दृष्टिकोण है? अगर ऐसा कोई फैसला हो गया है तो यह ध्यान रखना होगा कि बुन्देलखंड की जनसंख्या 45 लाख है और वहां केवल एक मेडिकल कालेज है जिसमें 100 सीट्स रखी गयी हैं। मेडिकल कालेज में दाखिला लेने के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है? लेकिन आप सीट्स बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं। यह बुन्देलखंड के साथ बहुत ज्यादती है। जनहित में मैं आग्रह करूंगा कि इस फैसले को सरकार वापस लेने की कृपा करे और अगर सरकार बढ़ाए नहीं तो 100 सीट्स को तो कायम रखे ताकि वहां के नौजवान प्रदेश की जनता की सेवा कर सकें। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटीज कायम की जायं ताकि वहां दवाइयों

[श्री देव कुमार यादव]

पर रिसर्च हो सके और सरकार की जो मंशा है सबको सुखी तथा निरोग देखने की वह पूरी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रखता हूं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए मेडिकल ऐन्ड हेल्थ में जितना बजट रखा गया है और उसके जो नतायज निकले हैं उनसे यह बात साबित होती है कि कुछ सुधार आया है और आगे अधिक सुधार की आशा की जाती है और उनके मन्त्री रहते हुए और भी चेन्जेज आयेंगे। आज जब हमने अपना लक्ष्य समाजवादी बना लिया है, हमारी एप्रोच भी मेडिकल तथा हेल्थ सर्विसेज के सम्बन्ध में उसी आधार पर होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है। इसमें आज भी बहुत सी कमजोरियां दिखाई पड़ती हैं। इस बात से काम नहीं चलेगा कि दवाइयों पर कितना खर्च होना है अथवा कितना रुपया बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए जो खर्चा आएगा वह कभी पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं उनको तोड़ कर नई परम्पराओं को कायम करते की जरूरत है, बगैर इसके कोई काम बनने वाला नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने जो कदम उठाए हैं उनसे पता चलता है कि किस तेजी से हम इस ओर बढ़ रहे हैं। नए अस्पताल खोले जा रहे हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि आज भी हार्ट अटैक होने पर रात के 12 अथवा 2 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पैथेडीन (Pathadin) आसानी से नहीं मिल सकती। यह गोली तुरन्त मरीज को चाहिए? मेरी जानकारी में एक अखबार वाले पर दिल का दौरा पड़ा, हम दो तीन आदमी दौड़े, पूरे नगर में हर दूकान पर पूछते फिरे। लेकिन उनका कहना था कि हमारे पास लाइसेन्स नहीं, लाइसेन्स फलां के पास है। उससे पता चला कि लाइसेन्स किसके पास है। मालूम हुआ कि ताल कटोरा रोड पर एक गर्ग फार्मेसी है उसके पास लाइसेन्स है। मैं नहीं समझता कि इसका क्या आधार है? इस तरह की जो दवायें हैं जो इन्सान के लिए बहुत जरूरी हैं उनका इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और इस तरह से लाइसेन्स इश्यू होना चाहिए ताकि एक साधारण व्यक्ति को भी वह आसानी से मिल जाये। वह व्यक्ति तो कुछ प्रभावशाली था इसलिए उसे वह दवा मिल गई अन्यथा कोई आम व्यक्ति होता तो वह दम तोड़ कर मर जाता। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान देगी जितना बजट सरकार दवाओं पर खर्च कर रही है उसके साथ ही साथ सरकार की ओर से ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कुछ दवायें अपने आप बनवायें। इससे एडल्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगा और सस्ते दामों पर भी वे दवायें साधारण जनता को मिल सकेंगी।

आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले कानपुर में ग्लूकोज कांड हुआ था। उसका कारण एडल्ट्रेशन ही था। सरकार यदि खुद ऐसी दवायें बनाने लगेगी तो ऐसा नहीं हो सकेगा सही माने में सरकार जनता की सेवा कर सकेगी और उसकी हेल्थ को बचा सकेगी। एक बात मैं आपके माध्यम से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी पूरी कोशिश इस बात की होनी चाहिए—हम यह नहीं कहते कि इतनी दवायें आप लोगों को देते हैं लेकिन बीमारी जो फैलती है वह किन कारणों से फैलती है? मेरे ख्याल में उस समय बसन्तलाल जी मेडिकल सेक्रेटरी थे। उस समय प्रश्न उठा था कि लखनऊ के अन्दर जितने नाले हैं उनके खुले रहने पर उनमें गन्दगी होने की वजह से कालरा फैल गया था। काफी लोग मर भी गए थे। इन नालों में कोई ऐसी चीज पैदा हो गयी जिसने तमाम बीमारी फैला दी। इसलिए बीमारी का जो मूल कारण हो, उसे समाप्त करना चाहिए।

लखनऊ के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीट्यूट खोलने पर मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ी चीज होगी। यह चीज काफी दिनों से चल रही थी। पहले वहां पर आर० पी० सिंह प्रिंसिपल थे, वे पहले राजी नहीं थे या क्या बात थी लेकिन अब

उन्होंने उसका डाइरेक्टर होना भी स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार से पहले भी इसका आफर आया था। अब यह लखनऊ में एक बहुत बड़ी बड़ीहोगी। इससे पूरे प्रदेश का भला होगा।

इसी अवसर पर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसी से सम्बंधित एक गांधी अस्पताल यहां पर है। यह यूनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन में आता है। जो यह इन्स्टीट्यूट खुलने जा रहा है, इसे सरकार को अपने में ले लेना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पिछली बार भी सरकार के सामने यह बात आयी थी जो आगे नही ब; सकी। इसका कारण है कि हर डाक्टर मरीज की सेवा के बजाय वह यह जानता है कि वह यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आता है लिहाजा वह काम करे या न करे, मरीज को देखे या न देखे उसके ऊपर ओई बन्दिश नहीं हो सकती।

मान्यवर, यही पर दो घटनायें क्वीन मेरी में हुई है। एक औरत के साथ इस प्रकार क्रिमिनल ट्रीट किया गया कि यदि कोई बड़ा आदमी होता तो मुकदमा दायर हो जाता और जैसे एक कत्ल होता है उसी तरीके का व्यवहार किया गया। औरत के ब्लीडिंग हो रही है बच्चा नहीं निकल रहा है। डाक्टर ने डिस्चार्ज सार्टिफिकेट दे दिया। जब वह कम्लेंट करने गयी तो कहा कि वह डिस्चार्ज सार्टिफिकेट हमें दे दो। इस तरह की नेग्लीजेन्सी वहां पर डाक्टर्स कर रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे डाक्टरों को सख्त हिदायत देनी चाहिए। यह किस्सा गांधी अस्पताल का है। सर्जरी में भी यह हाल है और अन्य विभागों में भी यही हो रहा है। मरीजों के साथ मनमाने तरीके व्यवहार किया जाता है। जिसके रिसोर्सेज हैं, जो बड़े लोग हैं उनका इलाज हो जाता है लेकिन आम जनता के साथ ऐसा नहीं किया जाता। यहां के सरकारी अस्पताल में भी इसका असर है। लखनऊ के सरकारी अस्पताल डफरिन में भी एक डाक्टर की पत्नी का डिलीवरी केस था उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। उस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत नग्लीजेन्सी हुई है। उससे पहले उस लेडी ने किसी प्राइवेट डाक्टर को भी दिखाया था। मामला वहीं से गड़बड़ हुआ। इसलिए हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशन में डाक्टरों का मरीजों के प्रति रवैया इन्सानियत का होना चाहिए क्योंकि काफी फायदा इस बात से हो जाता है कि डाक्टर किस तरह से मरीज से पेश आता है।

इन बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मन्त्री जी ने एक कालेज के सम्बन्ध में कहा यूनानी कालेज के बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि यूनानी तरीका अब आउट आफ डेट हो गया हैं। इस में अब तक कम लड़के जाते हैं। इस सम्बन्ध में श्री सी0 बी0 गुप्त जी के टाइम में भी एक्सपेरीमेन्ट हो चुका है और एक सरकारी तिब्बिया कालेज की स्थापना हुयी थी। उसका दिवाला निकल गया है। फिर भी सरकार एक और एक्स-पेरीमेन्ट करना चाहे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा उस वक्त सरकार इसी नतीजे पर पहुंची थी कि वह सारा खर्च बरबाद हो गया। बजाय उस कालेज को तिब्बिया कालेज को अपने हाथ में लेने से उसे जितनी सहायता वह देना चाहते हैं वह दे दें और उसका जिस प्रकार काम चल रहा है उसी तरह चलता रहें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनको ग्रांट में कुछ सहायता ज्यादा कर दे। मेरी जानकारी है कि सन् 1946 में जो तिब्बिया कालेज को सहायता दी जाती थी, वही दी जा रही है। उसमें वृद्धि नहीं हुई।

श्री प्रभु नारायण—

मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि 50 परसेन्ट उनको एड दी जाती है। अगर वह खर्च न करें तो उसमें सरकार का क्या दोष है?

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मुझे तो यही ख्याल है कि ज्यादा एड नहीं दी जाती।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप आपस में बात न करें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मेरा सुझाव है कि तिब्बिया कालेज को सरकार अपने हाथ में न ले उससे सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो सहायता वह देती आई है वह दे दे। मेरी जानकारी है कि कोई डिप्टी डाइरेक्टर इन्डियन बोर्ड आफ मेडिसिन के हैं वह परसनली इस बात के लिए इन्टरेस्टेड हैं इस कालेज को लेने में। आज साइन्स का जमाना है बहुत कम लोग यूनानी तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सरकार इस पर विचार करे। सरकार यह भी बताए कि 31 मार्च, 1975 को तिब्बिया कालेज, लखनऊ को कितनी ग्रान्ट दी गयी।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दवाइयां जो हैं वह छोटे-छोटे कालेज में ज्यादा दी जायं। इसके अलावा आप जो प्रदेश में मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं उसके बारे में मेरा विचार है कि बजाय इसके कि नए कालेज आप खोलें जो पुराने कालेज हैं उनका स्टैन्डर्ड जो है बढ़ाया जाय। मेडिकल कालेज कोई फैक्ट्री नहीं है कि उसमे ज्यादा आदमियों को भर्ती किया जाय। बल्कि उनके स्टैन्डर्ड को बढ़ाने की बात है। आप चार पांच वर्ष तक नए कालेज न खोलें और जिस तरह से लखनऊ मेडिकल कालेज का स्टैन्डर्ड अच्छा है उस तरह से जो आपने नए कालेज, झांसी और गोरखपुर में खोले हैं उनको अच्छे स्टैन्डर्ड का बनायें यह कोई एक दो दिन में नहीं आ सकता है, इसमें समय लगेगा। इसलिए नए कालेज जो खोले हैं उनका स्टैन्डर्ड बढ़ायें। या उनसे कुछ कम रहें, तब तक जल्दी जल्दी मेडिकल कालेज खोलने का सिलसिला कोई उचित तरीका नहीं है, न इससे जनता या प्रदेश का कोई भला होने वाला है। इन शब्दों के साथ जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने रखा है, उसका समर्थन करना चाहता हूं।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जो बजट यहां पर पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वास्थ्य आज एक समस्या है हमारे पूरे प्रदेश के लिए। हम एक गरीब प्रदेश के लोग हैं और गरीबी का सम्बन्ध बीमारी से जुड़ा हुआ है। पहले हम गरीबी दूर करें, या बीमारी दूर करें? मैं समझता हूं कि दोनों का साथ-साथ निराकरण हो सकता है। हमारे एक केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने एक बार कहा था कि हमने तीन पैसा पर कैपिटा खर्च किया था डी0 डी0 टी0 के छिड़काव पर हवाई जहाज द्वारा, किन्तु उससे जो लोग मलेरिया से पीड़ित होते थे, उनके न होने से हमें उसमें 69.03 पैसे का लाभ हुआ। यानी खेतिहर मजदूर फसलों आदि के समय मलेरिया से इतना पीड़ित हो जाते थे कि कोई खेत में पानी नहीं दे पाता, कोई जुताई-गुड़ाई नहीं कर पाता था। यह मानना पड़ेगा कि हम स्वास्थ्य में आगे बढ़े हैं, लेकिन यह भी बहुत सच बात है कि जैसे-जैसे आबादी बढ़ी है स्वास्थ्य की हमारी समस्या भी बढ़ी है। हमने इस बात को बार-बार दोहराया है कि सरकार का दृष्टिकोण अच्छा होता है, लेकिन वह दवायें अपनी जगह से गन्तव्य स्थान तक पहुंचने तक लीकेज हो जाती हैं। अपने यहां शिक्षा विभाग की स्वास्थ्य सम्बन्धी एक उप समिति में मैंने इस चीज को कहा था कि आपके यहां से जो दवायें एक हजार रुपए की चलती है, वह यहां तक पहुंचते पहुंचते दो सौ रुपए की रह जाती हैं, तो 8 सौ रुपए की दवा कहां चली जाती है? तो मैं आपके माध्यम से मान्यवर, स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने पर कैपिटा जो 7 रुपए की दवाओं का प्राविजन किया है, उसके लिए यह प्रयास भी करें कि वह पूरा का पूरा उस बेचारे गरीब तक जाए, वह बाजार में न बिक जाए। वह डाक्टर और कम्पाउन्डर्स के थैलों में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए न चला जाए। इसलिए क्या रास्ता हो सकता है यह आप देखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि आयुर्वेदिक पद्धति का हमारे प्रदेश और देश में बड़ा भारी स्कोप है। पहले यहां एलोपैथिक थी ही नहीं। आयुर्वेद की इस देश में इतनी महत्ता थी कि धनवन्तरि ने इसकी मदद से काल को भी अपने वश में कर लिया था। लेकिन आज आयुर्वेद की दशा बडी खराब है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि एक आयुर्वेद अस्पताल के लिए 15 सौ रुपए का साल भर में प्राविजन है। एक आयुर्वेद कालेज में 15 सौ रुपया एक डाक्टर को मिलता है और 10 रुपए का वहां एक पार्ट-टाइम सर्वेन्ट होता है। उस पार्ट-टाईम सर्वेन्ट को महीने में 10 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए में क्या बनेगा, यह आप देखें? मेरे कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद की इतनी दुर्दशा है। उनके पास भवन भी नहीं है, डाक्टर है तो कमम्पाउन्डर नहीं है, कम्पाउन्डर है तो डाक्टर नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में आयुर्वेद की बडी अच्छी-अच्छी जड़ी बूटियां हैं, उनकी रिसर्च की जाए, वे बड़ी कीमती दवायें हैं। एक हमारे रिश्तेदार डाक्टर परमानन्द जी थे, उनको फोड़ा हो गया, उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनको एलोपैथी से कोई फायदा नहीं हुआ तो उनको हमारे गांव के एक वृद्ध सज्जन ने हरियाल नाम की एक दवा लगाने को बताई, जिससे उनका भयंकर नासूर अच्छा हो गया। तो उस पर अब तक कोई रिसर्च क्यों नहीं की गई? हमने पश्चिम की हर चीज का अनुकरण किया है लेकिन हमारे देश में भी अच्छी-अच्छी दवाएं और जड़ी-बूटियां हैं, उनको हम कैसे अपने जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यह विचार करने की बात है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वह आयुर्वेदिक में रिसर्च करे, खोज करे। हिमालय मे भूली हुई इन जड़ी-बूटियों का पता लगाया जाय और नई-नई जड़ी-बूटियां तैयार की जायं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का पानी से गहरा संबंध है। पानी पहले तो मिलता नहीं है। एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है, जो कुछ पानी हमको मिलता भी रहा है, उसने वह भी ले लिया। तो पानी अगर नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? तो पानी शुद्ध मिलना चाहिये पर अशुद्ध जल भी दें, पर दें तो। पानी की व्यवस्था जब तक नागरिकों को नहीं मिलेगी, तब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। गवर्नमेंन्ट ने कहा था कि थर्ड फाइव ईयर प्लान तक सबको पानी हम दे देंगे, परन्तु अभी तक पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी पीने के लिये सबसे पहले महय्या किया जाय। पहाड़ों पर खालियां होती हैं और इन खुले खालों से लोग पानी पीते हैं। पौड़ी में सैमीनार हुआ था तो वहां एक सिविल सर्जन थे उन्होंने कहा था कि हमनें 100 नालों का पानी इक्सपेरिमेंन्ट के लिये भेजा है। 100 में से 80 का पानी अशुद्ध निकला। उनमें टट्टी निकली। तो राज्य सरकार इन जल के स्रोतों को साफ करने के लिये पंचायतों को सक्षम बना सकती है। आज प्रधानों को झोला ढोने के लिये बना दिया गया है, लेकिन प्रधान अपने गांव की सफाई में कोई योगदान नहीं कर सकता। पंचायतों को इस बात के लिये शक्तिशाली बनाया जाय कि वह पानी के उन स्रोतों को शुद्ध कर सकें। जो लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं, वह उन नालों में गंदगी न फैला सकें।

परिवार नियोजन के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। परिवार नियोजन का मैं सबसे बड़ा हिमायती हूं कि परिवार नियोजन होना चाहिये। मालथस ने कहा था कि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अगर वह बढ़ती रहेगी, तो कुछ दिनों में देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जायगी। तो मैं यह चाहता था कि परिवार नियोजन को सफल होना चाहिये। मैं समझता हूं कि हर बुद्धिमान नागरिक की यह इच्छा होगी कि भाई परिवार नियोजन से अगर हम अपने देश की आबादी को कन्ट्रोल कर लेते हैं, तो इसको तो सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। इससे गरीबी भाग सकती है। जिस देश में बढ़ती हुई

[श्री गोविंद प्रसाद गैरोला]

जनसंख्या 5 सेकेण्ड में 4 बच्चों की हो जाती है, उस देश की जनसंख्या के बारे में क्या हालत होगी और उसको एक सुन्दर रूप देना बड़ा मुश्किल है। हम जब काम कोई करते हैं, तो देर हो, लेकिन दुरुस्त हो। मान्यवर, हमारा सरकार से निवेदन है, सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि हर कर्मचारी को एक केस देना है महीने में, तब तनख्वाह उसको मिलेगी। मान्यवर, यह तो किया जा सकता है कि जो कर्मचारी एक महीने में एक केस देगा, उसकी तनख्वाह डेढ़ गुनी कर दी जायगी। यह तो समझ में आयेगा। मान्यवर, कर्मचारी के बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजना, पढ़ाना आदि उसकी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, वह अपने बच्चों की पढ़ाई को देखेगा, रेजल्ट को देखेगा कि वह परिवार नियोजन को देखेगा मान्यवर, परसों मैंने सनवाल जी से निवेदन किया था कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे को शराब पिला कर, उसकी नसबन्दी कराई गयी। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अपने कोटे को पूरा करने के लिये कहा कि नीचे उतरो और उसकी नसबन्दी कर दी। मान्यवर, भले ही आपका कोटा पूरा हो जाय लेकिन इससे जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। इस तरह के कर्मचारियों की गिनती भले ही अधिकारियों के निगाह में अच्छी हो लेकिन जनता की निगाह में वे गिर जायेंगे जिसका असर बुरा होगा। इससे हम मारे जायेंगे, हमारी सरकार मार खायेगी। हम उस बच्चे को और उस ड्राइवर को क्या जवाब दे सकते हैं?

इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि इस तरह के आदेश जायें कि यह प्रोग्राम जनकल्याण के लिये है और इससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये। इस विभाग में हरिजनों के लिये ऐसे आदेश निकले हैं कि इतना परसेन्टेज प्रमोशन का होगा। उदाहरण के लिये अगर कोई हरिजन चपरासी है और वह इन्टरमीडिएट पास है तो बिना इन्टरव्यू लिए हुए उसका प्रमोशन कर दिया जायेगा। हमारे जिले के अस्पताल में इसी तरह की एक जगह खाली है लेकिन उस हरिजन को उस पद पर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका रिऐक्शन यह होता है कि हम लोग जो उन हरिजनों के साथ मिल कर काम करते हैं जिनका हमसे गहरा सम्बन्ध है उनको जवाब नहीं दे पाते हैं। यदि सरकार ने इन कमियों को दूर नहीं किया तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते हैं। पहाड़ों पर मकान नहीं है। जलौली में 10 साल से टिन उड़ गयी है लेकिन अभी तक उसको डाला नहीं गया है और टीन की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करने की कृपा करें।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

इसके लिये मैं कई साल से लिख रहा हूं। माननीय मंत्री जी जब वहां पर गये थे तो उनसे कहा गया था। तो उन्होंने कहा था कि यह भवन सचमुच खतरे वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन समस्याओं की ओर सरकार ध्यान दें।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि पहाड़ों पर गर्भवती स्त्रियों के आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये बहुत सी स्त्रियां अस्पताल पहुंचते-पहुंचते ही मर जाती हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ब्लाक की जो गाड़ी होती है वह इस तरह की स्त्रियों को और जो आग से जल जाये या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हों उनको लाने का काम करे। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जायेगी तो उनको बहुत सुविधा होगी। यह बजट बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के बजट के बारे में तो मैं यहां तक कहता हूं कि जितने भी बजट अभी तक पेश हुए हैं, उन सबमें यह सबसे अच्छा बजट है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और प्रशंसा के इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं कि सचमुच गत एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जिले-जिले में अस्पताल चलते हैं, उनमें पहले से बड़ा परिवर्तन हुआ है और साथ-साथ डाक्टरों की एप्रोच में भी। आज गरीब लोग जो अस्पतालों में इलाज के लिये जाते हैं, उनके साथ डाक्टरों को कैसा व्यवहार करना चाहिये उनके दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन हुआ है और इसके लिये सचमुच में हमारे जो समाजवादी मंत्री हैं, वे बधाई के पात्र हैं।

आज कटौती का प्रस्ताव मूव करते हुए हमारे माननीय सदस्यों ने हमारे कई डाक्टरों और अन्य लोगों पर खरीद व फरोख्त के बारे में आरोप लगाये हैं। यह बात सही हो सकती है अपनी जगह पर लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो दारूल शफा में, जिसके लिये हमारे साथी जिम्मेदार, हैं। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि "एम0 एल0 एज0 आर नाट एक्सपेक्टेड टु नो दि नेम्स आफ मेडिसिन्स बट जस्ट लाइक डाक्टर्स दे राइट प्रेस्क्रिप्शन एण्ड गेट मैडिसिन्स फ्राम दि डिस्पेन्सरी स्टोर्स"। मझे जब मालूम हुआ तो मैंने कहा कि अगर आपको किसी सरकारी डाक्टर पर विश्वास न हो तो आप किसी प्राइवेट डाक्टर को कन्सल्ट कर सकते हैं और उनसे प्रेस्क्रिप्शन लिखवाकर डाक्टर को दे दीजिये। मैं कई माननीय सदस्यों को जानता हूं जो दवाइयां लेकर बेचते हैं। इस समय विरोध पक्षके माननीय सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं अन्यथा मैं नाम भी बता देता। वे एक समिति के सभापति भी हैं। एक-एक माननीय सदस्य ने हजारों रुपये की दवाई ली हैं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मेरी प्रार्थना है कि आप उस विधायक का नाम भी बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल इनका आरोप है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

जब हम दूसरों की शिकायतें इस सदन में करते हैं तो हमें अपने भी आंचल को देखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि किसी भी माननीय सदस्य को स्वतः अपने पैड पर लिखकर एक पैसे की दवा भी दारुलशफा से न मिले। पिछली बार मैंने इस सम्बन्ध में इसी सदन में एक प्रश्न किया था कि किन-किन माननीय सदस्यों ने कितने-कितने की दवा ली लेकिन कई माननीय सदस्य और कई अधिकारियों ने इसे आने ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आपने अपने प्रश्न को वापस कैसे ले लिया जब आप जानते थे कि आपका प्रश्न उचित था ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

कई अधिकारियों और माननीय सदस्यों ने इसे विभाग में मिलकर पीछे करा दिया। तरकश से जब तीर छूट जाता है तो मैं वापस लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप हमारे विभाग पर ही आरोप लगाते हैं। यदि किसी ने इस प्रकार से कोई गलत काम किया था तो हमारे पीठासीन अधिकारी या माननीय अध्यक्ष की नोटिस में आपको लाना चाहिए था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशी नाथ मिश्र---

श्रीमन्, मैं यह अपनी गलती महसूस करता हूं। मुझे यह मामला माननीय अध्यक्ष की नोटिस में लाना चाहिए था।

श्री भगवती प्रसाद---

माननीय काशी नाथ जी ने अभी कहा कि इस सदन के माननीय सदस्य दवाइयों को लेकर बेचते हैं हजारों-हजारों रुपये की। मान्यवर, यह सभी माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह प्रश्न ऐसा है जिससे हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। मेरी प्रार्थना है कि या तो वे उस सदस्य का नाम बता दें अन्यथा इन शब्दों को वापस लेने की कृपा करें?

श्री काशी नाथ मिश्र---

तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम अपने सीमित साधन के साथ सब लोगों को जो हमारा वीकर सेक्शन है .....

(श्री भगौती प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

कौन सी बात आप कह रहे हैं? कोई जरूरत हो तो बोलिये।

श्री काशी नाथ मिश्र---

हमारी कोई मंशा नहीं थी। दूसरों से बेचवाते होंगे .....

श्री उपाध्यक्ष---

अगर सही हो तो उसका सुधार होना चाहिये। यह उनकी मंशा है। यह उनकी अपनी जानकारी है। उनकी मंशा पवित्र है, न्यायसंगत है कि अगर खामियां हैं तो सुधार होना चाहिये।

श्री काशी नाथ मिश्र---

सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। आप देखेंगे कि चेचक उन्मूलन के सिलसिले में सबसे अधिक काम उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। पिछले एक साल में कोई घटना नहीं हुई और वर्ल्ड बैंक आर्गेनाइजेशन ने प्रदेश के मेडिकल डायरेक्टोरेट को इनाम भी दिया है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है चेचक उन्मूलन में कि जिसके डायरेक्टोरेट को इनाम मिला है। शायद मंत्री जी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे पूर्वी जिलों में बिहार से आयुर्वेद पढ़े हुए लड़के डिग्री लेकर आते हैं तो उनको यहां नौकरी नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश के निवासी आयुर्वेद में कहीं भर्ती करेंगे नहीं और अगर बाहर से पढ़ कर आता है तो नौकरी में नहीं रखेंगे तो इस तरह से जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं यह उनका हनन है, ऐसा मंत्री जी नहीं करेंगे।

फैमिली प्लानिंग की बहुत चर्चा हुई। इसको कीजिये, दो राय नहीं है। नसबन्दी के अलावा भी कोई इफेक्टिव मेजर हो तो उसे लगाकर इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिये। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का मत है कि 2000 ई0 के बाद सारी दुनियां की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो सब लोगों को अपने मकानों में केवल खड़े रहने भर की जगह रह जायगी, सोने को स्थान नहीं होगा। तो इसका रोकना लाजमी है। ऐसी भयंकर स्थिति में हमारे उत्तर प्रदेश में हरिजनों और मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर हरिजनों के संबंध में इसलिये कहना चाहता हूं कि बच्चा 6-7 वर्ष का हो जायगा तो पढ़ने जायगा तो वजीफा हम देंगे और बड़ा होगा तो माता प्रसाद कहेंगे कि 18 परसेंट रिजर्वेशन नौकरी में होना चाहिये और पढ़ाई का, भोजन का, मकान, शिक्षा सारी लायबिलिटी-जो कायदे कानून हमने बनाए हैं सारी लायबिलिटीज उत्तर प्रदेश सरकार ने ले रखी हैं-और लेना चाहिये, मैं इसका हामी हूं। लेकिन सिर्फ यह कहना चाहता हूं, नम्रता के साथ कि सभी बात मैं मानूं तो एक बात तो हमारी मानी जाय। मैं जब

बच्चा था तो मेरे गांव में केवल 3 फैमिलीज हरिजनों की थीं। आज 33 फैमिलीज हैं और मैंने खुद उनको बसाया है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

सब के लिय कहिये। औरों की कितनी बढ़ी ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैं तो सबके लिये कह रहा हूं लेकिन मुसलमान और हरिजनों में जो रेट आफ इनक्रीमेन्ट है उत्तर प्रदेश का वह आप मालूम कर लें एक्सपर्ट्स से कि इस कदर तेजी से बढ़ रहा है और कौन नहीं करा रहा है। हिन्दू–मुसलमान में फर्क बड़ी चर्चा का विषय है। जब मैं अपने क्षेत्र में भाषण करता हूं तो हमसे लोग कहते हैं कि हमारे यहां मुसलमानों को नहीं करते। तो जो हिन्दू-मुसलमान के बीच की खाई हम पाटने की कोशिश करते हैं वह मुसलमानों के नसबन्दी न कराने की वजह से बढ़ती जाती है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मुसलमान फैमिली प्लानिंग कराते हैं या नहीं यह जानकारी मैं चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बातचीत न करें। हो सकता है, उनकी बात सही न हो।

श्री काशी नाथ मिश्र—

शकील साहब मेरे अजीज दोस्त हैं। मैं कोई साम्प्रदायिक बात नहीं करता। मैं जाति और सम्प्रदाय का विरोधी हूं। हमारे और उनके बीच कोई भेद नहीं है लेकिन जनसाधारण में जो भावना फैल रही है उसका जिक्र मैंने किया।

साथ ही साथ वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन से जो 6 जिले लिये गये रीजनल इम्बैलेन्सेज को मिटाने के लिये, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ इलाका है और यह क्षेत्रीय विषमता तभी दूर होगी जब आप पिछड़े हुये इलाके में लोगों को सुख सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे। जो 6 जिले वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन द्वारा लिये गये हैं उनमें एक भी पूर्वी जिला नहीं है। अगर आप सारी सुख सुविधा शहरों के लिये रखेंगे और जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं उनके लिये वैसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो 20-सूत्री कार्यक्रम है उसके विपरीत आपका कदम होगा। जब तक रामायण राय जी और प्रभु नारायण जी हैं मेरा विश्वास है कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की जो हमारे प्लानिंग कमीशन की मंशा है उसको पूरा करने के लिये पूर्वी जिलों में अधिक से अधिक अस्पताल और सुख सुविधा का प्रबन्ध किया जायगा।

*स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, स्वास्थ्य और चिकित्सा के अनुदान के संबंध में माननीय देव कुमार जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मेरा उनसे आग्रह होगा कि अपने ही भाषण में उन्होंने कहा है कि इस विभाग के ऊपर जितना पैसा खर्च होना चाहिये उतना सीमित आर्थिक साधनों के कारण हम नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो कम से कम इस विभाग के अनुदान पर उनकी कृपादृष्टि हो और वह इसको अपनी कटौती से मुक्त कर दें तो गरीब जनता और रोगियों का बड़ा कल्याण होगा।

उन्होंने जिन प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनके सम्बन्ध में मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सम्भवतः माननीय सदस्य को तथ्यों के सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में जितने डाक्टरों की आवश्यकता है उतने डाक्टर नहीं हैं। यह कथन उनका आज से कुछ वर्ष पहले सही था। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। बड़ी मुश्किल से, हमारे मंत्री जी के प्रयास से गत वर्ष 4–5 सौ जगहें सेकेंड मेडिकल आफिसर की मिलीं तो हम कुछ डाक्टरों को सरकारी सेवा में ले सकें अन्यथा विगत दो, तीन वर्षों से जो डाक्टर हमारे मेडिकल कालेजेज से निकल रहे हैं उनको शासन सेवा का अवसर देने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। आज वह स्थिति नहीं है जिस स्थिति की तरफ वह हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। रोगियों से जो 50 पैसा लिया जाता है उसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा। मैं उनसे बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि यह जो पैसा लिया जाता है वह अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं पर ही खर्च होता है उसके लिये विभाग ने सारे नियम आदि भी बनाये हैं। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि वे इस प्रश्न को इसके पीछे जो दृष्टिकोण है उसके साथ देखें।

यह भी कहा गया कि दवाओं के मूल्य बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश का जहां तक संबंध है, हमारा सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर लाइफ सेविंग ड्रग्स केवल हरिद्वार के कारखाने से ही खरीदता है, जो पब्लिक सेक्टर में है। सारी दवायें हम अधिकतर उन्हीं कारखानों से खरीदते हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं। आयुर्वेदिक दवायें भी हम कोई बाजार से नहीं खरीदते। हमारी जो फार्मेसी है वही स्वयं दवायें पैदा करती है और वही आयुर्वेदिक अस्पतालों को सप्लाई करती है। यह सही कहा गया कि आयुर्वेदिक अस्पतालों को जो अनुदान दिया जाता है वह कम है। इस दिशा में हमारे मंत्री जी प्रयत्नशील हैं कि वह अनुदान बढ़ाया जाय। हमारे मंत्री जी और विभाग इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाने वाले हैं।

एक सवाल यह उठाया गया कि दवाओं का उत्पादन पब्लिक सेक्टर में होना चाहिये इसका सम्बन्ध सारे देश से है और यह राष्ट्रीय नीति का और एक सैद्धान्तिक प्रश्न है जिस पर केन्द्रीय सरकार ही विचार कर सकती है, हमारी सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है लेकिन इतना जरूर है कि हम जो भी दवायें खरीदते हैं वह एक मात्र पब्लिक सेक्टर के कारखानों से ही खरीदते हैं।

एक आयुर्वेदिक कारपोरेशन भी हम बनाने जा रहे हैं जो उन दवाओं के उत्पादन, वितरण तथा शोध आदि कार्यों को करेगा।

कुष्ठ रोग के रोगी हमारे यहां तीर्थ स्थानों पर दिखायी देते हैं। उनमें आमतौर से यह धारणा होती है कि उन्होंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है अतः इस जन्म में उनको यह रोग हुआ है। अतः दो कारणों से वे तीर्थ स्थानों पर रहते हैं–एक तो वहां उनको उदर पूर्ति के लिये पैसा मिलता है तीर्थ यात्रियों से, दूसरे वे समझते हैं कि गंगा के किनारे यदि मरेंगे तो उनकी मुक्ति हो जायगी। उनका पाप कट जायेगा और वे स्वर्ग में जायेंगे। और इसलिये मान्यवर, आपकी सेवा में मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की है कि हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या और वाराणसी में इस वर्ष से कोढ़ियों की चिकित्सा की व्यवस्था के लिये आवास-व्यवस्था करने वाले हैं और केवल इतना ही नहीं, प्रदेश में लगभग सर्वे एजूकेशन ट्रीटमेन्ट यूनिट्स हम कायम कर रहे हैं, 25 कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्रों की स्थापना कर रहे हैं इसके अलावा बहुत सी ऐसी भी संस्थाएं प्रदेश में हैं जो जनता के द्वारा चलायी जाती हैं और वे आदर्श संस्थाएं हैं गोरखपुर में बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम है, वाराणसी में है, स्वर्गीय भोलानाथ की कृपा से एक अस्पताल चल रहा है जिसमें कोढ़ियों की सेवा और रिहैबिलिटेशन का काम भी सारा होता है और प्रचुर मात्रा में शासन की ओर से उसे अनुदान दिया जाता है मैं माननीय सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के पीछे बहुत सारे कारण सन्निहित हैं। हमारे प्रदेश में कोढ़ फैले का एक और भी कारण है; वाराणसी में कोढ़ियों की ओर दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि केवल उत्तर प्रदेश

के ही नहीं, बंगाल से भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं इसको मैं इसलिये नहीं कहता–सारे लोग इसलिये आते हैं कि गंगा माता में स्नान करने के बाद रोग मुक्त हो जायेंगे और अगर शरीर छूट गया तो स्वर्ग मिल जायगा। यह बड़ा भारी व्यापक प्रश्न है। शासन इस दिशा में सचेष्ट है।

हमारे साथी शकील साहब ने कहा कि सोशलिस्ट एप्रोच की दिशा में कुछ होना चाहिये स्वास्थ्य और चिकित्सा की दिशा में जिस देश में भी सोशलिस्ट एप्रोच हुआ है उस एप्रोच में एक ही सिद्धान्त रहा है कि प्रिवेंटिव साइड में कितना काम कर रहे हैं कि जनता को रोग होने ही न पाये इस दिशा में भी काम हो रहा है। यह सही है कि रोग का मुख्य कारण स्वतः भूख है। भूख दूर करने की दिशा में क्या हो रहा है उसकी चर्चा करने को यह समय नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में भूख की ज्वाला को शान्त करने के लिये ही सरकार हमारे यहां बिजली का उत्पादन बढ़ा रही है। 1966 में जहां 910 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, अब 2210 मेगावाट बिजली पैदा होती है और इससे खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ा है। जहां तक प्रिवेन्टिव साइड का सवाल है, हमारा प्रयास इस ओर है और यही कारण है कि प्लेग, हैजा आदि बीमारियों पर हमने नियन्त्रण किया है और चेष्टा कर रहे हैं कि इस तरह के जितने संक्रामक रोग हैं उनसे हमारा समाज मुक्त हो सके।

मलेरिया के सम्बन्ध में भी यहां कहा गया है। मैं मानता हूं कि मलेरिया गत वर्षों में समूल नष्ट हो गया था। पुनः उसके कुछ रोगी दिखलायी दे रहे हैं और यही कारण है कि इस वर्ष मलेरिया के बढ़ते हुए रोग को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता से हमने एक प्रभावकारी योजना बनायी है और हमारी चेष्टा है कि हम मलेरिया के प्रकोप से अपने प्रदेश की जनता को मुक्त कर सकें। मलेरिया की चर्चा करते श्री देवकुमार जी ने जिन तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, यदि वे बुरा न मानें तो मैं कहूंगा कि उन्होंने जो यह तथ्य दिया कि एक महिला थी जिसे मच्छरों ने काट लिया और सबेरे देखा गया कि उसके शरीर पर चेचक जैसे दाग थे, तो मैं आपको बतलाऊं कि मच्छर और मलेरिया का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्यूलेक्स और एनाफलीज यह दोनों ही मच्छर मलेरिया फैलाने के लिये कैरियर का काम नहीं करते हैं। जहां तक मलेरिया के कैरियर का संबंध है, हमारा यह अनुभव है कि हमने उसे साफ कर दिया था लेकिन उसका रिकरेंस हो रहा है और कई कारणों से हो रहा है। अभी वर्ल्ड बैंक के लोग आये थे उनके बीच में सौभाग्य से थोड़ी देर तक मुझे भी बातचीत करने का मौका मिला। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मलेरिया के फैलने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एक देश नैपाल है। अब उधर का कोई आदमी जिसे मलेरिया है, इधर आ जाता है तो इधर भी इसका प्रकोप होता है। इसके अलावा हम नहरों का जाल बिछा रहे हैं जिससे वाटर लाग्गिंग की समस्या पैदा हुयी है। ड्रेनेज की भी समस्या है। तो एक बड़ा कम्पलेक्स सवाल है और इस सवाल को हल करने के लिये ड्रेनेज स्कीम्स के ऊपर शासन सचेष्ट है। इसके अलावा दूसरे देशों और प्रदेशों से भी यह बीमारी हमारे प्रदेश में आ गयी है। इसके लिये हम एक योजना तैयार कर रहे हैं जिससे इस बीमारी को प्रभावशाली रूप से हम रोक सकेंगे।

एक सदस्य—

मलेरिया बिल्कुल नहीं है; लेकिन मच्छर बहुत अधिक है।

(हंसी)

श्री रामायण राय--

माननीय शकील साहब ने एक तथ्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया, जो शायद तथ्य से परे है। उन्होंने कहा था कि कोई राज्य सरकार की ओर से लखनऊ में यूनानी पद्धति का विद्यालय चल रहा था। यह बात सही नहीं है। एक जमाने में एक विद्यालय था जिसको केवल ग्रांट मिला करती थी। सरकार द्वारा संचालित कोई विद्यालय (तिब्बिया कालेज) आज तक लखनऊ में नहीं रहा है और आज भी नहीं है। अनुदान के संबंध में उन्होंने कहा कि केवल 18 हजार रुपया अनुदान दिया गया है, यह बात सही नहीं है। अपने मित्र की जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि 1 लाख 15 हजार रुपये का अनुदान उसको दिया जाता है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। जो अनुदान तिब्बिया कालेज के बारे में बताया गया है वह मार्च, 1975 में दिया गया है या नहीं? दूसरे टूड़ियागंज में जो तिब्बे-यूनानी विद्यालय कायम हुआ था वह सरकारी विद्यालय था या नहीं था? इन दो बातों पर आप प्रकाश डाल दें।

श्री रामायण राय--

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रकरणान्तर है और हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं। मान्यवर, यों तो माननीय सदस्यों ने और कटौती के प्रस्तावक महोदय और हमारे दल के माननीय सदस्यों ने, जहां तक परिवार नियोजन का संबंध है, राष्ट्रीय प्रश्न के संबंध में जो नीति है, उसका तो समर्थन किया लेकिन हमारे समाजवादी दोस्त काशीनाथ मिश्र जी ने एक ऐसे तथ्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई बात सही भी हो तो किसी जाति विशेष की जनसंख्या बढ़ती है तो उसका मूल कारण उसमें फैली हुयी गरीबी है। गरीब आदमी, जाड़े में विवश होकर पति-पत्नि को एक साथ सोना पड़ता है जिससे भी जनसंख्या बढ़ती है।

(सदन में व्यापक हंसी)

गरीब आदमी के लिये, मैं काशी नाथ मिश्र जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वह कहते हैं कि हरिजनों की जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको स्वीकार करना चाहिये कि वह गरीब अधिक हैं। अगर किसी जाति विशेष की तरफ उनका इशारा है, तो आवश्यक रूप से मनोरंजन के साधन उन लोगों के पास नहीं हैं। जहां तक हमारे शासन का सम्बन्ध है, कोई किसी जाति में पैदा हुआ हो; इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है और आज ही चीफ मेडिकल आफिसर्स की एक मीटिंग हो रही थी उसमें मुख्य मंत्री महोदय ने घोषित किया कि जब भी वह किसी जनपद में दौरे पर जायेंगे तो और कार्यक्रम के साथ-साथ वह किसी न किसी परिवार नियोजन केन्द्र का निरीक्षण अवश्य करेंगे और मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने, प्रधान मंत्री जी ने इस समस्या की गुरुता को देखते हुये प्रत्येक कर्मचारी के लिये यह पार्ट आफ द डियूटी बना दिया है उसके कर्त्तव्य का एक अंग बना दिया गया है। उसको परिवार नियोजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेना ही होगा। श्री गैरोला साहब ने कोई कहानी सुनाई कि शराबी को बुलाकर कुछ कर दिया। तो इन कहानियों से इस गम्भीर प्रश्न को न जोड़ें और हम इसका उपहास करते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है कि देश के किसी भी राज्य में इस योजना में जिसने सफलता प्रस्तुत की है उसकी पहली शर्त रही है कि लीडरशिप का उसमें इन्वाल्वमेन्ट रहा है। नेतृत्व का और जनसेवियों का इसमें सहयोग रहा है इसलिये आग्रह है कि कोई भी जनसेवी इस राष्ट्रीय प्रश्न का उपहास न उड़ाये बल्कि उसको अपना पुण्य कर्तव्य मानकर इसमें सक्रिय योग दे। माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने वह और

मुझे याद है मान्यवर, जब मैं राजनीति में आया था तो अविभाजित भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी और जब गीत गाया करता था--

त्रिंश कोटि कल-कल निनाद कराले,
दिवत्रिंश कोटि भुजैं धृत खरकर करवाले ।

लेकिन आज 1948 के बाद विभाजित भारत की जनसंख्या 60 करोड़ हो गयी है । जो रेट आफ ग्रोथ है उसको देखते हुये ऐसा लगता है कि अगले 20 वर्ष में एक अरब की जनसंख्या हो जायेगी । इसलिये मेरी मान्यता यह है कि प्रोडक्शन प्लस पापुलेशन कन्ट्रोल इज इक्वैल टू इन्डियन सोशलिज्म । खेती और कारखानों का उत्पादन बढ़ाना और जनसंख्या पर नियंत्रण करना यही भारतीय समाजवाद है । अन्यथा माननीय देव कुमार आप जैसे प्रगतिशील आदमी और आपके द्वारा प्रतिपादित नीतियां उत्पादन के क्षेत्र में चाहे जितनी छलांग मारें लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या का स्वरूप हमारे देश की सारी उपलब्धियों को खा जायेगी और इतिहास कहेगा कि इतने बड़े राष्ट्र में हम बैठे–बैठे उपहास कर रहे थे । इसलिये परिवार नियोजन का कार्यक्रम हमारे राष्ट्र का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं. . . .

श्री भगवती प्रसाद--

क्या आपने पुलिस को आदेश दिया है; इस व्यवस्था के लिये ?

श्री रामायण राय--

पुलिस को आदेश देने का सवाल नहीं है । हम तो केवल यह चाहते हैं कि जैसे शिक्षा विभाग के जो लोग लोक चित्र का निर्माण करने में समर्थ होते हैं वह लोग जनमानस को बनायें । हम बाध्यता कानून बनाने के पहले लोक क्षेत्र बनाना चाहते हैं ।

श्रीमन्, एक चर्चा विधायकों की चिकित्सा के विषय में हुई थी; तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने विधायकों की चिकित्सा संबंधी कठिनाइयों को देखते हुये 11 सदस्यों की एक समिति गठित करने का विचार किया है । वह समिति चिकित्सा संबंधी कठिनाइयों और दारुलशफा डिस्पेंसरी का काम भी ठीक ढंग से चल सके, उस सबको देखेगी । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय देव कुमार जी से, जो कि एक बहुत ही प्रगतिशील विधायक हैं, आग्रह करूंगा कि वह एक नई परम्परा, जबकि वह राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति का समर्थन कर रहे हैं, डालने के लिये अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

*श्री देव कुमार यादव--

मैं केवल एक स्पष्टीकरण के साथ माननीय मंत्री जी के आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लूंगा । मैंने डाक्टरों की कमी की बात कही तो इस सन्दर्भ में कही कि महामहिम राज्यपाल ने कानपुर में कहा था कि दो हजार के बीच में एक डाक्टर हो । मैंने कहा था कि इसको देखते हुए डाक्टरों की कमी है । मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी जिनकी स्वतः ही समाजवाद में आस्था है और उन्होंने इस बात का एहसास भी किया है कि हरिजनों में बच्चों की जनसंख्या ज्यादा होने का कारण उनकी गरीबी है और जाड़ों में उनको भी इंसानी गर्मी की जरूरत पड़ती है यह भी एक फैक्टर है । मैं निवेदन करूंगा कि डाक्टर केवल दवाइयां लेकर न जायं बल्कि कम्बल और रजाई लेकर जायं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। जहां तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में लगे डाक्टरों से हम काम लेना चाहते हैं वहीं हमने उनकी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा है। हमने यह निर्णय लिया है कि सभी डाक्टरों को इमरजेन्सी को छोड़कर सण्डे आफ रहेगा। इतवार के दिन इमरजेन्सी को स्ट्रेंथन किया जायगा जिससे कि अस्पताल में आने वालों को परेशानी न हो। सण्डे के बाद सोमवार, मंगलवार एक ही दिन सभी स्पेशलिस्ट वहां उपस्थित मिलेंगे। अभी तक यह स्थिति थी कि छुट्टी पर होने के कारण कभी एक स्पेशलिस्ट था तो कभी दूसरा। अब यह स्थिति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय देव कुमार द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या 31,32,33 और 69 में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव वापस करने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से श्री देव कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,64,54,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,85,53,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,64,44,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,04,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा दिया गया एक प्रश्न है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, यह प्रश्न वापस हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत एक सूचना श्री राम चन्द्र बक्श सिंह की थी, लेकिन चूंकि वह उपस्थित नहीं हैं, इसलिये नहीं लिया जा सकता ।

अब हम परसों, तारीख 3 मई, 1976 के पूर्वान्ह 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, 3 मई, 1976 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
1 मई, 1976

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०--एल० 103 वि० सभा---(214)---1976---840।